

## अध्याय I

### राज्य सरकार का वित्त प्रबन्ध

#### राज्य की रूपरेखा

राजस्थान, भौगोलिक भू-भाग (342.24 हजार वर्ग किलोमीटर) की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा तथा जनसंख्या की दृष्टि से आठवां राज्य है। यह देश के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित है। राज्य की वर्ष 2001 की जनसंख्या जो कि 5.65 करोड़ थी वर्ष 2011 में 21.3 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर्ज करते हुये 6.85 करोड़ हो गई, जबकि राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर 17.7 प्रतिशत थी। *(परिशिष्ट 1.1)*। गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत 21.7 था जो कि सम्पूर्ण भारत के औसत 29.5 प्रतिशत से कम था। वर्ष 2014-15 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वर्तमान मूल्यों पर ₹ 5,74,549 करोड़ (अग्रिम अनुमान) था। इसी अवधि के दौरान साक्षरता दर 60.4 प्रतिशत (2001 की जनगणना) से बढ़कर 66.1 प्रतिशत (2011 की जनगणना) हो गई जो कि सम्पूर्ण भारत के औसत 73 प्रतिशत से 6.9 प्रतिशतता बिन्दु कम थी। 2014-15 के दौरान राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय ₹ 72,156<sup>1</sup> रही । राज्य से सम्बन्धित सामान्य आँकड़ें *परिशिष्ट 1.1* में दिये गये हैं।

जीएसडीपी, किसी निर्धारित समयावधि में अधिकारिक रूप से मान्य राज्य में अंतिम रूप में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य है। राज्य की जीएसडीपी में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सूचक है क्योंकि यह राज्य की आबादी के जीवन स्तर को इंगित करती है। वर्तमान मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) एवं राज्य की जीएसडीपी की वार्षिक वृद्धि दर की प्रवृत्ति को तालिका 1.1 में इंगित किया गया है:

तालिका 1.1: वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी एवं जीएसडीपी की वार्षिक वृद्धि दर

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
भारत की जीडीपी <sup>#</sup> (₹ करोड़ में)	72,48,860	83,91,691	93,88,876	1,04,72,807	उपलब्ध नहीं
जीडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	18.7	15.8	11.9	11.5	उपलब्ध नहीं
राज्य की जीएसडीपी* (₹ करोड़ में)	3,38,348	4,14,179	4,70,178 <sup>2</sup>	5,17,615 <sup>3</sup>	5,74,549 <sup>4</sup>
जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	27.3	22.4	13.5	10.1	11.0

स्रोत: # केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय एवं

\* आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार

<sup>1</sup> स्रोत: आर्थिक समीक्षा, राजस्थान सरकार

<sup>2</sup> प्रावधिक अनुमान

<sup>3</sup> त्वरित अनुमान

<sup>4</sup> अग्रिम अनुमान

राजस्थान ने वर्ष 2010-13 की अवधि के दौरान भारत की जीडीपी की वृद्धि दर की तुलना में अधिक जीएसडीपी वृद्धि दर प्राप्त की तथा इसके उपरान्त जीएसडीपी में वृद्धि भारत की जीडीपी से कम रही। वर्ष 2010-14 की अवधि के दौरान जीएसडीपी ने वृद्धि दर में गिरावट की प्रवृत्ति को दर्शाया तथापि, 2014-15 के दौरान वृद्धि दर में सुधार हुआ।

## 1.1 प्रस्तावना

यह अध्याय वर्ष 2014-15 के दौरान राजस्थान सरकार के वित्त प्रबन्ध के व्यापक परिदृश्य को प्रस्तुत करता है तथा गत पाँच वर्षों की सभी प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए गत वर्ष की तुलना में मुख्य राजकोषीय समग्रों में दृष्टिगत परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। राज्य सरकार के वार्षिक लेखों में वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे शामिल होते हैं। वित्त लेखाओं का नया प्रारूप वर्ष 2009-10 से प्रारम्भ किया गया, जो कि दो खण्डों में विभाजित कर (खण्ड I में सरकार के सारांशीकृत वित्तीय विवरण तथा खण्ड II में विस्तृत वित्तीय विवरण है) 2015 में संशोधित किया गया जैसाकि **परिशिष्ट 1.2 (भाग अ)** एवं **परिशिष्ट 1.2 (भाग ब)** में सारांशीकृत दर्शाया गया है।

## 1.2 वर्ष 2014-15 में राजकोषीय संव्यवहारों का सारांश

तालिका 1.2 गत वर्ष (2013-14) की तुलना में चालू वर्ष (2014-15) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय संव्यवहारों के सारांश को प्रस्तुत करती है, जबकि **परिशिष्ट 1.4** चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रदर्शित करता है।

तालिका 1.2: वर्ष 2014-15 में राजकोषीय संव्यवहारों का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	संवितरण				
	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	
<b>अनुभाग-अ: राजस्व</b>					
कर राजस्व	33,477.70	38,672.94	सामान्य सेवायें	23,339.22	27,868.15
कर-भिन्न राजस्व	13,575.25	13,229.50	सामाजिक सेवायें	31,486.09	37,753.39
संघीय करों/ शुल्कों का हिस्सा	18,673.07	19,816.97	आर्थिक सेवायें	20,435.59	28,920.34
भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान	8,744.36	19,607.50	सहायतार्थ-अनुदान एवं अंशदान	248.69	0.09
<b>योग अनुभाग-अ राजस्व प्राप्तियाँ</b>	<b>74,470.38</b>	<b>91,326.91</b>	<b>योग अनुभाग-अ राजस्व व्यय</b>	<b>75,509.59</b>	<b>94,541.97</b>
<b>अनुभाग-ब : पूँजीगत एवं अन्य</b>					
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	10.27	14.57	पूँजीगत परिव्यय	13,664.66	16,102.69
कर्जों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	315.53	1,004.44	संवितरित कर्जें तथा अग्रिम	811.21	700.78
लोक ऋण प्राप्तियाँ*	14,491.44	18,140.82	लोक ऋण की पुनर्दायगी *	4,115.62	4,960.04
आकस्मिकता निधि	-	300.00	आकस्मिकता निधि	-	300.00

	प्राप्तियाँ		संवितरण		
	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	
लोक लेखा प्राप्तियाँ <sup>5</sup>	1,07,978.58	1,26,382.20	लोक लेखा संवितरण <sup>5</sup>	1,05,605.40	1,22,060.62
प्रारम्भिक रोकड़ शेष	12,886.72	10,446.44	अन्तिम रोकड़ शेष	10,446.44	8,949.28
योग अनुभाग-ब प्राप्तियाँ	1,35,682.54	1,56,288.47	योग अनुभाग-ब संवितरण	1,34,643.33	1,53,073.41
महा योग (अ+ब)	2,10,152.92	2,47,615.38	महा योग (अ+ब)	2,10,152.92	2,47,615.38

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

\* मार्गोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल संव्यवहारों के अलावा

वर्ष 2014-15 में राजकोषीय संचालन के मुख्य बिन्दुओं को नीचे दिया गया है:

- राजस्व प्राप्तियों में गत वर्ष की तुलना में ₹ 16,856.53 करोड़ (22.6 प्रतिशत) की वृद्धि, भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान: ₹ 10,863.14 करोड़ (124.2 प्रतिशत), स्व-कर राजस्व: ₹ 5,195.24 करोड़ (15.5 प्रतिशत) एवं संचयी करों एवं शुल्कों में राज्यांश: ₹ 1,143.90 करोड़ (6.1 प्रतिशत) के कारण हुई जो कि कर-भिन्न राजस्व: ₹ 345.75 करोड़ (2.5 प्रतिशत) में कमी से प्रतिसंतुलित हुई। तथापि, राजस्व प्राप्तियाँ मध्यकालिक राजवित्तीय नीति विवरण (एमटीएफपीएस) 2014-15 में किये गये आंकलन से ₹ 14,798 करोड़ कम रही।
- राजस्व व्यय में ₹ 19,032.38 करोड़ (25.2 प्रतिशत)<sup>6</sup> की कमी मुख्यतः सामान्य सेवा क्षेत्र में ₹ 4,528.93 करोड़ (19.4 प्रतिशत), सामाजिक सेवा क्षेत्र में ₹ 6,267.30 करोड़ (19.9 प्रतिशत) एवं आर्थिक सेवा क्षेत्र में ₹ 8,484.75 करोड़ (41.9 प्रतिशत) के अन्तर्गत हुई। राजस्व व्यय वर्ष के लिए एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन से ₹ 10,845 करोड़ कम रहा।
- पूँजीगत परिव्यय में ₹ 2,438.03 करोड़ (17.8 प्रतिशत) की वृद्धि सामाजिक सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत ₹ 1,286.81 करोड़ (28.3 प्रतिशत) से, आर्थिक सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत ₹ 951.86 करोड़ (10.8 प्रतिशत) से एवं सामान्य सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत ₹ 199.36 करोड़ (59.6 प्रतिशत) से हुई।
- लोक ऋण प्राप्तियाँ एवं लोक ऋण की पुनर्अदायगी (मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अलावा) में क्रमशः ₹ 3,649.38 करोड़ (25.2 प्रतिशत) एवं ₹ 844.42 करोड़ (20.5 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- लोक लेखा प्राप्तियाँ एवं संवितरण में क्रमशः ₹ 18,403.62 करोड़ (17 प्रतिशत) एवं ₹ 16,455.22 करोड़ (15.6 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- रोकड़ शेष में ₹ 1,497.16 करोड़ (14.3 प्रतिशत) की कमी हुई।

<sup>5</sup> तालिका 1.2 में लोक लेखा प्राप्तियाँ/संवितरण की राशि सकल आधार पर दर्शाई गई है, जबकि अन्य तालिकाओं/पैराग्राफों में इन्हें शुद्ध आधार पर दर्शाया गया है।

<sup>6</sup> इसमें सहायतार्थ-अनुदान एवं अंशदान में रही ₹ 248.60 करोड़ की कमी शामिल है।

### 1.2.1 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य में विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबन्धन सुनिश्चित करने के इरादे से राजवित्तीय स्थिरता को बनाये रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा 'राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (एफआरबीएम) अधिनियम' 2005 अधिनियमित किया गया, जिसके अनुसरण में राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन संशोधन अधिनियम 2011 बनाया गया।

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित बजट में एवं राज्य के एफआरबीएम अधिनियम में निर्धारित मुख्य राजकोषीय चर लक्ष्यों को नीचे तालिका 1.3 में प्रदर्शित किया गया है:

तालिका 1.3: मुख्य राजकोषीय लक्ष्य एवं उपलब्धियां

राजकोषीय चर	2014-15		
	एफआरबीएम अधिनियम/तेरहवें वित्त आयोग में निर्धारित लक्ष्य	बजट/एमटीएफपीएस में प्रस्तावित लक्ष्य	उपलब्धि
राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+) (₹ करोड़ में)	0.00	(+) 738	(-) 3,215
राजकोषीय घाटा/जीएसडीपी (प्रतिशत में)	3.0 या कम	3.52	3.31
सरकार के कुल बकाया ऋण का जीएसडीपी से अनुपात (प्रतिशत में)	36.5	25.78	25.69

एफआरबीएम अधिनियम के लागू किये गये मुख्य प्रावधानों की समीक्षा में निम्न स्थिति पाई गयी:

- एफआरबीएम अधिनियम 2011 की धारा 6(क) में उल्लेख था कि सरकार वित्तीय वर्ष 2011-12 से शून्य राजस्व के लक्ष्य को प्राप्त करेगी और उसके बाद उसे बनाये रखेगी अथवा राजस्व आधिक्य प्राप्त करेगी। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान क्रमशः ₹ 1,055 करोड़ ₹ 3,357 करोड़ और ₹ 3,451 करोड़ का राजस्व आधिक्य बनाये रखा, जो एफआरबीएम अधिनियम में निर्धारित किये गये लक्ष्यों की सीमा के अन्तर्गत थे। तथापि, वर्ष 2013-14 के दौरान राजस्व घाटा ₹ 1,039 करोड़ रहा।

- राजस्व आधिक्य ₹ 738 करोड़ प्राप्त करने की दृष्टि से, वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य सरकार के योजनागत बजट अनुमान में राजस्व व्यय ₹ 1,05,387 करोड़ और राजस्व प्राप्तियों ₹ 1,06,125 करोड़ आंकलित किये गये थे। वर्ष के दौरान यह पाया गया कि वास्तविक व्यय ₹ 94,542 करोड़ (अनुमानित से 10.3 प्रतिशत कम) और वास्तविक आय ₹ 91,327 करोड़ (अनुमानित से 13.9 प्रतिशत कम) रहे। इसकी परिणति आय एवं व्यय के 3.6 प्रतिशतता बिन्दु घाटे के रूप में हुई। प्राप्तियों का विश्लेषण करने पर पाया गया कि अनुमानों के विरुद्ध

प्राप्तियों कर राजस्व (4.9 प्रतिशत) गैर कर राजस्व (11.4 प्रतिशत), केन्द्रीय अंश (12.9 प्रतिशत) और अनुदान सहायता (29.4 प्रतिशत) के प्रकरणों में कम थी। वे मुख्य क्षेत्र जहाँ राज्य सरकार स्वयं को राजस्व प्राप्तियों को एकत्र करने में असमर्थ रही, मुख्यतः स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क ₹ 1,011 करोड़ (24.1 प्रतिशत) बिक्री, व्यापार आदि पर कर ₹ 1,455 करोड़ (5.7 प्रतिशत) और पेट्रोलियम रायल्टी ₹ 1,725 करोड़ (26.2 प्रतिशत) के अन्तर्गत थे।

तथापि, नियोक्ता के अंशदान से सम्बन्धित ₹ 8.21 करोड़ राजस्व घाटा कम प्रदर्शित हुआ, जो एक जनवरी 2004 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों के सम्बन्ध में बीमा एवं पेन्शन निधि को नहीं भेजा गया ।

- एफआरबीएम अधिनियम की धारा 6(ख) में वित्तीय वर्ष 2011-12 तक राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के तीन प्रतिशत तक करने तथा उसके आगे उक्त कथित अनुपात को बनाये रखने या कम करने की परिकल्पना की गई थी।

एमटीएफपीएस 2013-14 में 2014-15 के लिए दिए गए राजकोषीय संकेतको की समीक्षा में पाया गया कि कुल बकाया ऋणों और राजकोषीय घाटे के लक्ष्य क्रमशः 25.40 और 2.68 प्रतिशत निर्धारित किए गए थे जो एमटीएफपीएस 2014-15 में 25.73 और 2.86 प्रतिशत संशोधित किए गए। आगे ये एमटीएफपीएस (परिवर्तित) 2014-15 में जीएसडीपी का 25.78 और 3.52 प्रतिशत कर संशोधित किए गए। जबकि कुल बकाया ऋण के लिए लक्ष्यों की प्राप्ति जीएसडीपी का 25.69 प्रतिशत थी, राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.31 प्रतिशत था जो 2014-15 के लिए एमटीएफपीएस में निर्धारित किए गए लक्ष्य (3.52 प्रतिशत) से कम था, परन्तु एफआरबीएम अधिनियम और तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित की गई सीमा (जीएसडीपी का 3 प्रतिशत) से अधिक था।

- एफआरबीएम अधिनियम की धारा 8 के अनुसार लोक व्यय समीक्षा समिति (पीईआरसी) में वित्त, आर्थिक प्रबन्ध, योजना, प्रशासन, लेखा और संपरीक्षा और विधि के क्षेत्र में पेशेवर विशेषज्ञता रखने वाले पाँच से अनधिक सदस्यों का प्रावधान किया गया था ।

13 अगस्त 2014 को पीईआरसी का गठन किया गया जिसमें आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञ (डॉ इन्दिरा राजारमन और श्री बिबेक देबरॉय), विशेषज्ञ (श्री विनीत मित्रल और श्री अनिल वैश्य) और वित्त (प्रमुख शासन सचिव) के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले सम्मिलित थे। तथापि, समिति में लेखा और संपरीक्षा तथा विधि के क्षेत्र में विशेषज्ञ कोई सदस्य नहीं था।

- गजट में अधिसूचना प्रकाशित होने (फरवरी 2006) के बाद समिति की बैठक (मई 2006) की गई जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह निश्चय किया गया कि समिति की तीन माह में कम से कम एक बैठक की जानी चाहिए।

वित्त विभाग द्वारा दी गई सूचनाओं (जून 2015) के अनुसार बैठक केवल 9 मई 2013, 17 जून 2013 और 23 अप्रैल 2015 को की गई, जो वर्ष 2014-15 के दौरान बैठक नहीं किये जाने और गत वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या में महत्वपूर्ण कमी को इंगित करती है।

व्यय में कटौती के बावजूद, लक्ष्य के अनुरूप स्व कर प्राप्तियों की वसूली में कमी के कारण राज्य सरकार शून्य राजस्व घाटे का लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ रही जैसाकि एफआरबीएम अधिनियम में उल्लेख किया गया था। इसके विपरीत, राजस्व घाटा ₹ 1,039 करोड़ (2013-14) से ₹ 3,215 करोड़ (2014-15) हो गया।

### 1.2.2 बजट अनुमान एवं वास्तविक

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट प्रपत्र किसी विशेष वित्त वर्ष के लिए प्राप्तियों तथा व्यय के आंकलों अथवा अनुमानों का विवरण उपलब्ध कराते हैं। समग्र आर्थिक प्रबन्धन के लिए राजकोषीय नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के संदर्भ में, प्राप्तियों एवं व्यय के आंकलन में सटीकता के महत्व को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। बजट अनुमानों से विचलन, वांछित राजकोषीय लक्ष्यों की अप्राप्ति/गैर अनुकूलन का सूचक है जो कि विभिन्न कारणों यथा कुछ के सरकार के नियंत्रणाधीन एवं कुछ के सरकारी नियंत्रण से बाहर होने के कारण होता है।

वर्ष 2014-15 के लिए बजट अनुमानों के साथ वास्तविकों की तुलना नीचे तालिका 1.4 में एवं परिशिष्ट 1.6 में दिये गये हैं।

तालिका 1.4: 2014-15 के लिये बजट अनुमान एवं वास्तविक

(₹ करोड़ में)

राजकोषीय मानदंड	बजट अनुमान	वास्तविक	अन्तर
1	2	3	4 (3-2)
कर राजस्व	40,655	38,673	(-) 1,982
कर-भिन्न राजस्व	14,939	13,229	(-) 1,710
संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	22,756	19,817	(-) 2,939
भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान	27,775	19,608	(-) 8,167
राजस्व प्राप्तियाँ	1,06,125	91,327	(-) 14,798
राजस्व व्यय	1,05,387	94,542	(-) 10,845
ब्याज अदायगियाँ	10,470	10,463	(-) 7
पूँजीगत व्यय	20,565	16,103	(-) 4,462
राजस्व घाटा (-) / अधिशेष (+)	(+) 738	(-) 3,215	(-) 3,953
राजकोषीय घाटा (-)	(-) 20,186	(-) 19,000	(+) 1,186
प्रारम्भिक घाटा (-)	(-) 9,716	(-) 8,537	(+) 1,179

स्रोत: वित्त लेखे एवं बजट प्रपत्र

महत्वपूर्ण मानदण्डों का लेखापरीक्षा विश्लेषण निम्न प्रकार है:

### 1.2.2.1 राजस्व प्राप्तियाँ

बजट अनुमानों से राजस्व प्राप्तियों में ₹ 14,798 करोड़ (14 प्रतिशत) की कमी राज्य के कर राजस्व (संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश सहित) में ₹ 4,921 करोड़ (8 प्रतिशत) से, एवं भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान में ₹ 8,167 करोड़ (29 प्रतिशत) से एवं कर-भिन्न राजस्व बजट अनुमान से ₹ 1,710 करोड़ (11 प्रतिशत) कम संकलन होने के कारण रही। कर राजस्व प्राप्ति की अधिकांश श्रेणियों में प्राप्तियां राज्य उत्पाद शुल्क, माल एवं सवारी पर कर एवं वस्तुओं एवं सेवाओं पर शुल्क को छोड़कर बजट अनुमान से कम थी। कर-भिन्न राजस्व भी पेट्रोलियम से रायल्टी में ₹ 1,725 करोड़ (26 प्रतिशत) कम प्राप्त होने के कारण बजट अनुमान से कम रहा।

### 1.2.2.2 राजस्व व्यय

बजट अनुमानों से राजस्व व्यय में ₹ 10,845 करोड़ की कमी मुख्यतः 'सामान्य शिक्षा' के अन्तर्गत ₹ 3,299 करोड़, ग्रामीण रोजगार के अन्तर्गत ₹ 1,852 करोड़, 'बिजली' के अन्तर्गत ₹ 1,194 करोड़, परिवार कल्याण के अन्तर्गत ₹ 960 करोड़, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ₹ 909 करोड़ तथा चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत व्यय में ₹ 696 करोड़ की गिरावट के कारण रही।

### 1.2.2.3 घाटें

राजस्व अधिशेष के ₹ 738 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध ₹ 3,215 करोड़ का राजस्व घाटा<sup>7</sup> रहा। यह बजट में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की कम प्राप्ति के कारण रहा। तथापि, राजकोषीय घाटा<sup>8</sup> एवं प्राथमिक घाटा<sup>9</sup> बजट अनुमानों की तुलना में क्रमशः ₹ 1,186 करोड़ एवं ₹ 1,179 करोड़ से कम रहे।

### 1.2.2.4 पूँजीगत व्यय

वर्ष 2014-15 के दौरान पूँजीगत व्यय में बजट अनुमानों की तुलना में ₹ 4,462 करोड़ (22 प्रतिशत) की कमी रही जो कि मुख्यतः सड़कों तथा सेतुओं: ₹ 969 करोड़, शहरी विकास: ₹ 678 करोड़, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य ₹ 590 करोड़, सड़क परिवहन: ₹ 300 करोड़, पोषण ₹ 288 करोड़, मुख्य सिंचाई: ₹ 204 करोड़ एवं लोक निर्माण कार्य: ₹ 201 करोड़ में कम पूँजीगत व्यय होने के कारण हुई।

<sup>7</sup> राजस्व घाटा = राजस्व व्यय - राजस्व प्राप्तियाँ

<sup>8</sup> राजकोषीय घाटा = राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्तियाँ - विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ

<sup>9</sup> प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान

### 1.2.3 केन्द्रीय सहायता की प्रत्याशा में राज्य आयोजना के अन्तर्गत योजनाएं रखना परन्तु पर्याप्त निधियों की अनुपलब्धता के कारण व्यय नहीं किया जाना।

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण और शहरी आधारभूत संरचना का निर्माण करने के उद्देश्य से बुनियादी सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए समग्रता में वृद्धि तथा गरीबी कम करने के उद्देश्य से केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएँ (सीएसएस) लागू की जा रही थीं। केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के पीछे उद्देश्य जनता के जीवन स्तर में व्यापक सुधार लाना है। भारत सरकार ने वार्षिक योजना 2014-15 में पूर्व में अस्तित्व में रही केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं को अम्ब्रेला योजनाओं के रूप में 66 केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं में पुनर्गठित कर अनुमोदित किया। यहां तक कि 2014-15 के लिए राजस्थान सरकार के बजट की प्रस्तावना में भी इसकी पुष्टि की गई कि संघ सरकार ने केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं को 66 योजनाओं में पुनर्गठित किया था और 2014-15 के लिए निर्णय लिया गया कि राज्य योजना को केन्द्रीय सहायता के रूप में केन्द्रीय अंश राज्य सरकार की संचित निधि के माध्यम से जारी किया जाये। 66 केन्द्रीय प्रवर्तित कार्यक्रमों/योजनाओं में से वार्षिक वित्त लेखे 2014-15 का विवरण संख्या 15, 65 योजनाओं की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। 2014-15 के दौरान इन 65 योजनाओं के अन्तर्गत बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति को तालिका 1.5 में सारांशीकृत किया गया है।

तालिका 1.5 केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं में बजट प्रावधान एवं वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

कार्यक्रमों/योजनाओं की संख्या	राज्य योजना के लिए बजट प्रावधान	राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता	भारत सरकार द्वारा जारी राशि	व्यय
65	27,403.37	20,799.11	13,654.49	19,340.70

यह दृष्टिगत हुआ कि 65 योजनाओं में से चार योजनाओं में बजट प्रावधान के विरुद्ध व्यय नहीं किया गया (राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, राष्ट्रीय हैण्डलूम विकास कार्यक्रम एवं पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान)।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना (1985 में प्रारम्भ) के अन्तर्गत किए गए व्यय की जांच में पाया गया कि 2014-15 के दौरान राज्य योजना में ₹ 28.58 करोड़ का बजट प्रावधान रखे जाने के बावजूद व्यय नहीं किया गया। पर्यावरण विभाग ने सूचित किया (अक्टूबर 2015) कि 2014-15 के दौरान शून्य व्यय भारत सरकार से मैचिंग अनुदान प्राप्त न होने के कारण रहा। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के लिये आवश्यक व्यय किये जाने हेतु राज्य सरकार को वित्त परिचालन के लिए प्रयत्न करना चाहिए था।

### 1.2.4 जेंडर बजटिंग

जेंडर रिस्पानसिव बजटिंग (जीआरबी) यह सुनिश्चित करने का एक साधन है कि लोक-संसाधनों का न्यायसंगत रूप से विनिधान किया गया है ताकि विशेष जेंडर



समूहों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। राजस्थान सरकार ने 2009-10 के बजट भाषण के दौरान जीआरबी तैयार करने की घोषणा की, ताकि प्रत्येक विभाग के बजट का जेंडर आधारित विश्लेषण हो सके। तदनुसार, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) का गठन (अगस्त 2009) किया गया एवं सितम्बर 2009 में महिला एवं बाल विकास विभाग में एक जेंडर प्रकोष्ठ का गठन किया गया। जीआरबी के कार्यों एवं उद्देश्यों में से एक, सरकार के बजट में योजनाओं का इस प्रकार समेकन करना था कि जेंडर आधारित विश्लेषण में सुविधा रहे। यही नहीं, अगस्त 2010 के दौरान विभिन्न विभागों में विभिन्न जीआरबी प्रस्तावों के कार्यान्वयन के उद्देश्य से जेंडर डेस्कों का भी गठन किया गया। इसके अलावा, राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2012-13 से, बजट अनुमान तैयार करने के लिए नयी एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में, जेंडर बजट प्रविवरण का समावेश करने का निर्णय लिया (अगस्त 2011)।

राज्य में जेंडर बजटिंग को राज्य बजट नियमावली (एसबीएम) के अनुच्छेद 13.27 में निहित प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाता है। वार्षिक जेंडर बजट प्रविवरण तैयार करने के लिए, निर्दिष्ट विभागों के बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा जानकारी, वित्त विभाग द्वारा जारी बजट परिपत्र में दिए गए प्रारूप में, प्रदान की जानी होती है। यह प्रारूप महिला उन्मुख आयोजना योजनाओं/कार्यक्रमों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। श्रेणियों का विवरण नीचे दिया गया है:

अ	योजनाएँ जिनके अन्तर्गत महिलाओं के लिए 70 प्रतिशत से अधिक व्यय के लक्ष्य निर्धारित किये गये
ब	योजनाएँ जिनके अन्तर्गत महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत - 70 प्रतिशत के मध्य व्यय के लक्ष्य निर्धारित किये गये
स	योजनाएँ जिनके अन्तर्गत महिलाओं के लिए 10 प्रतिशत - 30 प्रतिशत के मध्य व्यय के लक्ष्य निर्धारित किये गये
द	योजनाएँ जिनके अन्तर्गत महिलाओं के लिए 10 प्रतिशत से कम व्यय के लक्ष्य निर्धारित किये गये

विधान सभा में दिनांक 20 फरवरी 2014 को प्रस्तुत अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2014-15 के दौरान श्रेणी-वार आवंटन का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार था:

श्रेणी	आवंटन (₹ करोड़ में)
अ	4,241.11
ब	21,143.72
स	2,887.26
द	38.49
<b>योग</b>	<b>28,310.58</b>

वर्ष 2014-15 के संशोधित बजट (14 जुलाई 2014) में, जीआरबी से संबंधित परिशिष्ट में सूचना नहीं पाई गयी। वित्त विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग (मबावि) ने सूचित किया कि सम्बन्धित परिशिष्ट छापा नहीं गया तथा विधान सभा के पटल पर नहीं रखा गया। यद्यपि, प्रकरण वित्त विभाग तथा

महिला एवं बाल विकास विभाग के समक्ष लाया गया, तथापि सूचना प्राप्त नहीं हुई एवं यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या अंतरिम बजट की तुलना में परिवर्तित बजट में जीआरबी के वित्त पोषण में समानुपातिक वृद्धि की गई थी। नोडल विभाग (महिला एवं बाल विकास विभाग) के पास भी इन चार श्रेणियों के विरुद्ध व्यय की कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी।

फरवरी 2014 में प्रस्तुत वर्ष 2014-15 के अंतरिम बजट के साथ संलग्न परिशिष्ट में दर्शायी गयी 'अ' श्रेणी की इकाइयों, जिनमें ₹ 10 करोड़ से अधिक का बजट था, के बीएफसी जेण्डर बजटिंग के व्यय की नमूना जाँच में निम्नलिखित प्रकट हुआ:

- **महिला एवं बाल विकास विभाग**

महिला स्वयं सहायता समूहों का संकुल बनाने, क्षमता निर्माण तथा हाथों में हाथ के माध्यम से मजबूत बनाने और महिलाओं के सशक्तिकरण के व्यापक लक्ष्य के लिए आजीविका को बढ़ावा देने के कार्यक्रमों के साथ सम्पर्क माध्यम बनाने हेतु 'मिशन ग्राम्य शक्ति'(एमजीएस) राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत एक स्वायत्तशासी संस्था है। मबावि ने सूचित किया (सितम्बर 2015) कि 'मिशन ग्राम्य शक्ति' की कार्य योजना अनुमोदित नहीं होने के कारण ₹ 16.60 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध, इस उद्देश्य के लिए कोई व्यय नहीं हुआ।

- **प्रारम्भिक शिक्षा विभाग**

बालिकाओं की उच्च प्राथमिक विद्यालयों संबंधित योजनागत योजना के अंतर्गत, ₹ 14.13 करोड़ की राशि का अनुमान किया गया था जिसके विरुद्ध मात्र ₹ 0.12 करोड़ व्यय हुये एवं ₹ 14.01 करोड़ अनुपयोजित रहे। विभाग द्वारा निधियों के अनुपयोजित रहने का कारण पदों का रिक्त रहना बताया (अगस्त 2015)।

- **वित्तीय समावेशन प्रोत्साहन योजना (भामाशाह वित्तीय सशक्तीकरण एवं नारी समृद्धि योजना)**

राज्य सरकार ने महिला सुदृढीकरण हेतु वर्ष 2008 में भामाशाह योजना प्रारम्भ की, जिसे वर्ष 2009 में बंद कर दिया गया तथा 15 अगस्त 2014 को पुनः प्रारम्भ किया गया। यह देखा गया कि 'भामाशाह योजना 2008' के सेवा प्रदाताओं के दावों का भुगतान करने हेतु तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य परिवारों को मानदेय व प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु वर्ष 2014-15 में ₹ 25 करोड़ का प्रावधान किया गया। इसके विरुद्ध कोई व्यय नहीं हुआ। आयोजना (संस्थागत वित्त) विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2015) कि अव्ययीत निधियाँ अभ्यर्पित की

गई क्योंकि यह निर्णय नहीं लिया जा सका कि दावों का कोई भुगतान बकाया है।

● **माध्यमिक शिक्षा विभाग**

वर्ष 2014-15 के दौरान, योजनागत योजना 'शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के राजकीय विद्यालयों की कक्षा 9 में अध्ययनरत कन्या छात्राओं को साइकिल वितरण' के अंतर्गत ₹ 60 करोड़ आवंटित किये गये, जिसके विरुद्ध ₹ 20.44 करोड़ व्यय हुए तथा ₹ 39.56 करोड़ अनुपयोजित रहे। विभाग ने सूचित किया (सितम्बर 2015) कि साइकिलों की आपूर्ति में विलम्ब के कारण राशि उपयोजित नहीं की जा सकी।

**1.2.5 वर्ष 2014-15 के बजट भाषण की प्रमुख नीतिगत पहलों एवं उन पर की गई कार्यवाही की स्थिति**

वर्ष 2014-15 के लिए संशोधित बजट प्रस्तुत (जुलाई 2014) करते समय, सरकार ने कई योजनाओं/नीतियों की घोषणा की। सम्बन्धित विभागों द्वारा सूचित की गई (जुलाई-सितम्बर 2015) प्रमुख नीतिगत पहलों एवं उन पर की गई कार्यवाही की स्थिति का सार नीचे तालिका में दिया गया है:

बजट भाषण का पैरा नं.	विभाग का नाम	बजट भाषण में की गई घोषणाओं का सारांश	की गई कार्यवाही की स्थिति
77	चिकित्सा शिक्षा	(i) कैसर के इलाज तथा अनुसंधान हेतु राज्य के झालावाड़ और बीकानेर जिलों में स्थित मेडिकल कॉलेज में टेरिटरी कैसर केयर केन्द्र (₹ 45 करोड़) तथा (ii) राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर से संबद्ध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में राज्यस्तरीय कैसर चिकित्सा एवं अनुसंधान केन्द्र (₹ 120 करोड़) की स्थापना।	वर्ष 2014-15 में कोई राशि आवंटित नहीं की गई।
78	चिकित्सा शिक्षा	प्रथम चरण में राज्य के बीकानेर, उदयपुर तथा कोटा मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में सुपर स्पेशलिटी विंग स्थापित की जावेगी जिस पर ₹ 150 करोड़ रुपये का व्यय होगा।	वर्ष 2014-15 में कोई राशि आवंटित नहीं की गई।
79	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	राज्य में 1079 उप-स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण किया जावेगा, जिस पर ₹ 248.17 करोड़ का प्रावधान किया गया।	बजट अनुमान में अनुमोदित राशि ₹ 151.91 करोड़ को संशोधित अनुमान में घटाकर ₹ 40 करोड़ किया गया, जिसके विरुद्ध कोई व्यय नहीं हुआ, परिणामस्वरूप ₹ 99.41 करोड़ अभ्यर्पित किये गए एवं ₹ 52.50 करोड़ पुनर्विनियोजित किये गए।

बजट भाषण का पैरा नं.	विभाग का नाम	बजट भाषण में की गई घोषणाओं का सारांश	की गई कार्यवाही की स्थिति
87	शिक्षा विभाग	सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत 940 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवन, 2,609 अतिरिक्त कक्षाओं, बालिकाओं हेतु 678 जल सहित शौचालय तथा 155 पेयजल सुविधाओं का निर्माण होगा, जिस पर ₹ 303.32 करोड़ का व्यय होगा।	31 मार्च 2015 तक ₹ 184.95 करोड़ का व्यय किया गया। 256 प्राथमिक विद्यालयों के भवनों, 1490 अतिरिक्त कक्षाओं, 634 शौचालयों तथा 109 पेयजल सुविधाओं से संबंधित कार्य किये गये। 112 प्राथमिक विद्यालयों के लिये भूमि आवंटित/ उपलब्ध नहीं हो सकी।
120	पर्यटन विभाग	सांभर क्षेत्र में राशि ₹ 37.65 करोड़ की लागत से आधारभूत पर्यटक सुविधायें, सड़क निर्माण, पक्षियों के निगरानी मचान आदि उपलब्ध कराकर विशेष विकास कार्य करना।	31 मार्च 2015 तक ₹ 37.65 करोड़ के विरुद्ध ₹ 0.72 करोड़ व्यय किये गये।
		राशि ₹ 4.34 करोड़ की लागत से रणथम्भौर अभ्यारण्य का विकास।	31 मार्च 2015 तक ₹ 0.51 करोड़ व्यय किये गये।
		प्रत्येक के लिए राशि ₹ 4.92 करोड़ की लागत से झालावाड़ किले तथा गागरोन किले का विकास।	झालावाड़ किले तथा गागरोन किले के संबंध में 31 मार्च 2015 तक क्रमशः ₹ 0.48 करोड़ तथा ₹ 0.28 करोड़ व्यय किये गये।
		राशि ₹ 4.81 करोड़ की लागत से डीग किले का विकास।	31 मार्च 2015 तक ₹ 0.26 करोड़ व्यय किये गये।
		मचकुण्ड का राशि ₹ 4.61 करोड़ की लागत से संरक्षण, विकास तथा विद्युतीकरण करना।	कार्यकारी एजेन्सियों द्वारा सलाहकार नियुक्त नहीं किये गये जिससे कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका।

इस प्रकार, उपरोक्त से यह प्रदर्शित होता है कि नई पहलों के बारे में घोषणाएं संबंधित विभागों द्वारा पर्याप्त प्रारम्भिक कार्य किये बिना ही की गईं।

### 1.3 राज्य के संसाधन

#### • वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन


राज्य सरकार की प्राप्तियों को दो श्रेणियों राजस्व प्राप्तियों<sup>10</sup> एवं पूँजीगत प्राप्तियों<sup>11</sup> में विभाजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा अपने घाटे की वित्त पूर्ति करने हेतु लोक लेखे में संवितरण के बाद उपलब्ध निधियों का भी उपयोग

<sup>10</sup> राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा तथा भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान शामिल होते हैं।


<sup>11</sup> पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेश से प्राप्तियाँ, कर्जें और अग्रिमों की वसूलियाँ, आन्तरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार से कर्जें, वित्तीय संस्थाओं/ वाणिज्यिक बैंकों से उधार) और भारत सरकार से कर्जें और अग्रिम शामिल हैं।

किया जाता है। राज्य के संसाधनों के घटकों तथा उप-घटकों को निम्नलिखित फ्लो चार्ट में प्रदर्शित किया गया है:

**संसाधनों के घटक तथा उप-घटक**



चार्ट 1.1 2009-15 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्ति दर्शाता है। चार्ट 1.2 चालू वर्ष के दौरान राज्य के संसाधनों के संयोजन को दर्शाता है।



स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2009-10 से 2014-15, के दौरान कुल प्राप्तियाँ (आकस्मिकता निधि प्राप्तियों के अलावा) 20 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज कर 2009-10 में ₹ 45,946 करोड़ से 2014-15 में बढ़कर ₹ 1,14,809 करोड़ हो गई। गत वर्ष की तुलना में यह ₹ 23,148 करोड़ (25 प्रतिशत) बढ़ी।


वर्ष 2014-15 में कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का अंश 79 प्रतिशत था। आगे राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत विवरण पैराग्राफ 1.4 में दिया गया है।

लोक लेखा प्राप्तियाँ, जो कि ऐसी प्राप्तियाँ हैं जिनके लिये सरकार लोक निधि हेतु एक बैंकर/ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है। वर्ष 2014-15 के दौरान कुल प्राप्तियों का 4 प्रतिशत थी। लोक लेखा की निवल प्राप्तियाँ (₹ 4,322 करोड़) मुख्यतः अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि: (₹ 2,982 करोड़) के अन्तर्गत थी।


पूँजीगत प्राप्तियाँ 17 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर के साथ 2009-10 में ₹ 8,918 करोड़ से 2014-15 में बढ़कर ₹ 19,160 करोड़ हो गई एवं वर्ष 2014-15 के दौरान कुल प्राप्तियों की भी 17 प्रतिशत रही। लोक ऋण प्राप्तियाँ जो कि पूँजीगत प्राप्तियों का मुख्य संघटक है गत वर्ष की तुलना में ₹ 3,650 करोड़ से बढ़ी। आंतरिक ऋण एवं भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम, ऋण प्राप्तियों के दो घटक है जो कि कुल ऋण प्राप्तियों का क्रमशः 96 प्रतिशत एवं 4 प्रतिशत थे। आन्तरिक ऋण एवं भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिमों में गत वर्ष की तुलना में क्रमशः 22 प्रतिशत एवं 207 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 207 प्रतिशत की वृद्धि का कारण मुख्यतः 2014-15 के दौरान बाह्य परियोजनाओं के लिए ऋण राशि ₹ 795 करोड़ थी जो कि पिछले वर्ष के दौरान ₹ 410 करोड़ थी।

## 1.4 राजस्व प्राप्तियाँ

सरकार की राजस्व प्राप्तियों का विवरण वित्त लेखे के प्रविवरण-14 में दिया जाता है। राजस्व प्राप्तियों में स्व-कर एवं कर-भिन्न राजस्व, केन्द्रीय कर अन्तरण तथा भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान शामिल है। वर्ष 2010-15 की अवधि की राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों एवं संयोजन को परिशिष्ट 1.3 में प्रस्तुत किया गया है तथा क्रमशः चार्ट 1.3 एवं चार्ट 1.4 में भी दर्शाया गया है:



स्रोत: वित्त लेखे



स्रोत: वित्त लेखे

राजस्व प्राप्तियों 19 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर के साथ 2010-11 में ₹ 45,928 करोड़ से 2014-15 में बढ़कर ₹ 91,327 करोड़ हो गई ।

2010-15 की अवधि के दौरान राजस्व का औसत 61 प्रतिशत राज्य के स्व-संसाधनों से आया। शेष भारत सरकार से संघीय करों तथा शुल्कों में राज्य के हिस्से एवं सहायतार्थ-अनुदान के रूप में आया।

राज्य के स्व-संसाधनों में कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व शामिल हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 2010-15 की अवधि के दौरान 42 एवं 46 प्रतिशत के मध्य रहा, जबकि कर-भिन्न राजस्व का अंश 14 एवं 18 प्रतिशत के मध्य रहा । तथापि स्व-कर राजस्व का अंश राजस्व प्राप्तियों में 2013-14 में 63 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में 57 प्रतिशत रह गया ।

नीचे तालिका 1.6 में जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ दर्शाई गयी हैं:

तालिका 1.6: जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	45,928	57,011	66,913	74,471	91,327
राजस्व प्राप्ति की वृद्धि दर (प्रतिशत)	29.8	24.1	17.4	11.3	22.6
राज्य स्व-कर की वृद्धि दर (प्रतिशत)	26.5	22.3	20.2	9.8	15.5
राजस्व प्राप्ति/जीएसडीपी (प्रतिशत)	13.6	13.8	14.2	14.4	15.9
<b>उत्प्लावकता अनुपात</b>					
राजस्व उत्प्लावकता जीएसडीपी के संदर्भ में	1.1	1.1	1.3	1.1	2.1
राज्य स्व-कर उत्प्लावकता जीएसडीपी के संदर्भ में	1.0	1.0	1.5	1.0	1.4
राजस्व उत्प्लावकता राज्य स्व-कर के संदर्भ में	1.1	1.1	0.9	1.2	1.5

स्रोत: वित्त लेखे

उत्प्लावकता अनुपात मूल परिवर्ती में दिये गये परिवर्तन के सम्बन्ध में राजकोषीय परिवर्ती की प्रतिक्रिया की मात्रा या लचीलापन दर्शाता है। जीएसडीपी की वृद्धि सरकार को स्व कर राजस्व की वृद्धि के लिये भी उपलब्ध होती है। राजस्व उत्प्लावकता, जो कि राजस्व प्राप्तियों एवं जीएसडीपी की वृद्धि दर के सीधे समानुपाती है, इस अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर में उतार चढ़ाव के कारण व्यापक रूप से परिवर्तित हुआ। भारत सरकार द्वारा राज्य की कार्यकारी एजेन्सियों को निधियों का अन्तरण राज्य की समेकित निधि के द्वारा किये जाने के निर्णय लेने के कारण यह वर्ष 2014-15 में पिछले वर्ष के 1.1 से बढ़कर 2.1 हो गया ।

#### 1.4.1 राज्य के स्व-संसाधन

जैसाकि केन्द्रीय करों एवं सहायतार्थ-अनुदानों में राज्यांश का निर्धारण वित्त आयोग की अनुशंषाओं के आधार पर किया जाता है, राज्य के संसाधन जुटाने की निष्पादकता का आंकलन उसके स्वयं के कर एवं कर-भिन्न संसाधनों से किया गया।

नीचे तालिका 1.7 में तेरहवें वित्त आयोग तथा एमटीएफपीएस द्वारा किये गये आंकलन के समक्ष राज्य के वास्तविक कर एवं कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियाँ दी गयी हैं:

तालिका 1.7: 2014-15 के लिए कर एवं कर-भिन्न राजस्व आंकलन तथा वास्तविक प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	तेरहवें वित्त आयोग का आंकलन	बजट/एमटीएफपीएस अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	बजट अनुमान एवं वास्तविक के मध्य अन्तर	
				राशि	प्रतिशत
कर राजस्व	32,460	40,655	38,673	(-) 1,982	4.9
कर-भिन्न राजस्व	6,523	14,939	13,229	(-) 1,710	11.4

कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व के अन्तर्गत प्राप्तियाँ तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये मानक आंकलनों से क्रमशः 19 प्रतिशत (₹ 6,213 करोड़) एवं 103 प्रतिशत (₹ 6,706 करोड़) अधिक रही। तथापि, वास्तविक प्राप्तियों के अन्तर्गत कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व, बजट अनुमानों से कम रहे ।

##### 1.4.1.1 कर राजस्व

बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर 63 प्रतिशत के योगदान के साथ राज्य के कर राजस्व के मुख्य स्रोत थे, इसके बाद राज्य उत्पाद शुल्क (14 प्रतिशत), मुद्रांक एवं पंजीकरण शुल्क (8 प्रतिशत) एवं वाहनों पर कर (7 प्रतिशत) थे। मुख्य करों एवं शुल्कों के सम्बन्ध में सकल संग्रह की घटक वार स्थिति नीचे तालिका 1.8 एवं चार्ट 1.5 में दी गई है:




तालिका 1.8: राज्य के स्व कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी की दर
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	12,630	15,767	18,575	21,216	24,170	13.9
राज्य उत्पाद शुल्क	2,861	3,287	3,988	4,982	5,586	12.1
वाहनों पर कर	1,612	1,927	2,283	2,499	2,830	13.2
मुद्रांक एवं पंजीकरण शुल्क	1,941	2,651	3,335	3,125	3,189	2.0
भू-राजस्व	222	209	304	338	289	(-) 14.5
माल तथा यात्री कर	231	220	249	288	956	231.9
अन्य कर <sup>12</sup>	1,261	1,316	1,769	1,030	1,653	60.5
<b>योग</b>	<b>20,758</b>	<b>25,377</b>	<b>30,503</b>	<b>33,478</b>	<b>38,673</b>	<b>15.5</b>

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

\* अन्य करों में भू-राजस्व, माल तथा यात्री कर, कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर, विद्युत कर तथा शुल्क एवं कृषि आय पर कर आदि शामिल है

वर्ष 2014-15 के दौरान, बिक्री, व्यापार इत्यादि से प्राप्तियाँ, कर राजस्व का मुख्य अंश (63 प्रतिशत) रहा, तथा गत वर्ष की तुलना में 14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। यह वृद्धि दर गत वर्ष की वृद्धि दर के समान रही।

वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य उत्पाद शुल्क में गत वर्ष की तुलना में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य उत्पाद शुल्क में वृद्धि दर गत वर्ष 2013-14 की वृद्धि दर (25 प्रतिशत) से 13 प्रतिशतता बिन्दु गिरी जो कि मुख्यतः विदेशी शराब, स्पिरिट की बिक्री एवं सेवा शुल्कों के अन्तर्गत प्राप्तियों की वृद्धि दर में गिरावट के कारण रही।

<sup>12</sup> अन्य कर में कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर, विद्युत कर तथा शुल्क तथा कृषि आय पर कर शामिल है।

माल एवं सवारियों पर कर ने वर्ष 2014-15 में पूर्व वर्ष के ₹ 282 करोड़ से ₹ 956 करोड़ की वृद्धि के साथ पूर्व वर्ष पर 232 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।


#### 1.4.1.2 कर-भिन्न राजस्व

वर्ष 2010-15 की अवधि के दौरान कर-भिन्न राजस्व के मुख्य घटकों की प्रवृत्तियों को नीचे तालिका 1.9 एवं चार्ट 1.6 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.9: कर-भिन्न राजस्व के घटक

राजस्व शीर्ष	(₹ करोड़ में)					गत वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी की दर
	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	
ब्याज प्राप्ति	1,277	1,715	2,067	2,142	2,065	(-) 3.6
लाभांश एवं लाभ	21	58	57	25	63	152.0
पेट्रोलियम से प्राप्ति <sup>13</sup>	1,630	3,436	5,070	5,954	4,850	(-) 18.5
अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	1,930	2,366	2,839	3,089	3,636	17.7
अन्य कर-भिन्न प्राप्ति	1,436	1,600	2,100	2,365	2,615	10.5
<b>योग</b>	<b>6,294</b>	<b>9,175</b>	<b>12,133</b>	<b>13,575</b>	<b>13,229</b>	<b>(-) 2.5</b>

स्रोत: वित्त लेखे



स्रोत: वित्त लेखे

कर-भिन्न राजस्व (₹ 13,229 करोड़), जो कि 2014-15 में कुल राजस्व प्राप्ति का 15 प्रतिशत था, में गत वर्ष की तुलना में 2.5 प्रतिशत (₹ 346 करोड़) की

<sup>13</sup> बाड़मेर-सांचौर बेसिन में कच्चे तेल उत्पादन से राजस्व।

कमी हुई। कच्चे तेल पर रॉयल्टी की कमी के परिणामस्वरूप, पेट्रोलियम प्राप्तियाँ ₹ 1,104 करोड़ से घटी। ब्याज प्राप्तियों में भी सीमान्त गिरावट हुई ।

निवेश पर प्रतिलाभ 2013-14 के 0.1 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 0.2 प्रतिशत हो गया। अधिक विवरण पैराग्राफ 1.9.3 में दिया गया है।

### 1.4.1.3 सामाजिक-आर्थिक सेवाओं से लागत वसूली

कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों (एनटीआरआर) के आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय (एनपीआरई) से अनुपात को सामाजिक-आर्थिक सेवाओं से लागत वसूली के सूचक के रूप में माना जाता है। वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान प्राथमिक शिक्षा, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, जलापूर्ति तथा सफाई, मुख्य, मध्यम एवं लघु सिंचाई एवं सड़क तथा सेतु के सम्बन्ध में वर्तमान मूल्य की वसूली का विवरण एनटीआरआर का एनपीआरई से अनुपात के रूप में नीचे तालिका 1.10 में दिया गया है:

तालिका 1.10: सामाजिक-आर्थिक सेवाओं से लागत वसूली

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सेवा	2013-14			2014-15		
		सम्बन्धित सेवाओं में एनटीआर आर	सम्बन्धित सेवाओं में एनपीआरई	लागत वसूली (प्रतिशत)	सम्बन्धित सेवाओं में एनटीआरआर	सम्बन्धित सेवाओं में एनपीआरई	लागत वसूली (प्रतिशत)
1	प्रारम्भिक शिक्षा	27.68	6,458.39	0.43	19.30	7,121.83	0.27
2	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	65.61	2,664.95	2.46	116.43	2,982.83	3.90
3	जलापूर्ति तथा सफाई	254.84	1,836.64	13.88	275.80	2,072.61	13.31
4	मुख्य, मध्यम एवं लघु सिंचाई	92.49	516.16 <sup>14</sup>	17.92	81.41	501.87 <sup>14</sup>	16.22
5	सड़क तथा सेतु	4.15	934.27	0.44	7.12	975.79	0.73

स्रोत: वित्त लेखे

सिंचाई क्षेत्र में प्राप्तियाँ 2014-15 में गत वर्ष की तुलना में 12 प्रतिशत से गिरी जबकि वसूली की वास्तविक लागत गत वर्ष की तुलना में 1.70 प्रतिशतता बिन्दु से कम हुयी। इसी प्रकार, सिंचाई के लिये तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये मानक आंकलन 42 प्रतिशत की वसूली दर की तुलना में वास्तविक वसूली दर की प्रतिशतता 16.22 प्रतिशत रही।

<sup>14</sup> ब्याज अदायगियों 2013-14: ₹ 1,055.63 करोड़ एवं 2014-15: ₹ 1,124.13 करोड़ के कल्पित समायोजन के अतिरिक्त

### 1.4.2 भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान

जैसाकि नीचे तालिका 1.11 में दर्शाया गया है, भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान 2010-11 में ₹ 6,020 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 19,608 करोड़ हो गया:

तालिका 1.11: भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
आयोजना-भिन्न अनुदान	1,716	2,901	2,675	3,551	4,527
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	2,488	2,416	2,316	2,993	14,885
केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	165	166	92	135	196
केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के लिए अनुदान	1,651	1,999	2,091	2,066	-
<b>योग</b>	<b>6,020</b>	<b>7,482</b>	<b>7,174</b>	<b>8,745</b>	<b>19,608</b>
गत वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	16.8	24.3	(-) 4.1	21.9	124.2
कुल अनुदान का राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता	13.1	13.1	10.7	11.7	21.5

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2014-15 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ-अनुदान में गत वर्ष की तुलना में 124 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह मुख्यतः राज्य की कार्यकारी एजेन्सियों को निधियों का अन्तरण राज्य की समेकित निधि के अन्तर्गत राज्य आयोजनान्तर्गत योजना के द्वारा किये जाने के कारण हुई।

### 1.4.3 केन्द्रीय कर अन्तरण

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा केन्द्रीय करों में राज्यों को 32 प्रतिशत हिस्से की सिफारिश की गई। केन्द्रीय करों (सेवा कर के अतिरिक्त) के निवल आगमों एवं सेवा करों के निवल आगमों में राज्य का हिस्सा क्रमशः 5.85 प्रतिशत एवं 5.95 प्रतिशत निर्धारित किया गया।

वर्ष 2014-15 के दौरान केन्द्रीय कर अन्तरण गत वर्ष की तुलना में ₹ 1,144 करोड़ मुख्यतया निगम कर के अलावा आय पर कर (₹ 807 करोड़) के अन्तर्गत बढ़ा तथा यह राजस्व प्राप्तियों का 22 प्रतिशत था।

### 1.4.4 राज्य बजट से बाहर राज्य की कार्यकारी एजेन्सियों को भारत सरकार द्वारा निधियों का अन्तरण

केन्द्रीय सरकार सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में निधियाँ सीधे राज्य की कार्यकारी

एजेन्सियों<sup>15</sup> को अन्तरित कर रही हैं। क्योंकि इन निधियों का अन्तरण राज्य बजट/राज्य कोषालय के माध्यम से नहीं किया जाता है, वार्षिक वित्त लेखों में इन निधियों को नहीं दिखाया जाता एवं इस स्तर तक ये राज्य की प्राप्तियों एवं व्यय व उनसे व्युत्पन्न अन्य राजकोषीय चरों/पैमानों की सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं करते।

भारत सरकार ने निश्चय किया कि वर्ष 2014-15 से आयोजना सहायता के अन्तर्गत सभी केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएँ (सीएसएस) तथा खण्ड अनुदान राज्य की समेकित निधि से वर्ष 2014-15 के आगे से चरणबद्ध तरीके से हस्तान्तरण द्वारा राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में वर्गीकृत की जावेगी।

वर्ष के दौरान, ₹ 561.46 करोड़ की केन्द्रीय निधियाँ भारत सरकार द्वारा सहायता प्रदत्त कार्यक्रमों/योजनाओं के लिये राज्य की कार्यकारी एजेन्सियों को सीधे अन्तरित की गईं। इनमें से भारत सरकार द्वारा ₹ 138 करोड़ सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास, ₹ 113.30 करोड़ अक्षय ऊर्जा, ₹ 82 करोड़ प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, एवं ₹ 26.66 करोड़ मानव शक्ति विकास के लिए अन्तरित की। राज्य की कार्यकारी एजेन्सियों को सीधे अन्तरित निधियों का विवरण **परिशिष्ट 1.7** में प्रस्तुत किया गया है।

#### 1.4.5 अनुदानों का अधिकतम उपयोग

##### तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों का अधिकतम उपयोग

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को ₹ 12,950 करोड़ सहायतार्थ अनुदान के रूप में आवंटित किये जिसको अवधि 2010-15 के दौरान उपयोग किया जाना था। तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान को जारी करने एवं उपयोग के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की शर्तों एवं नियमों के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अनुश्रवण कमेटी (जून 2010 में) सहायतार्थ अनुदान का उचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु गठित की गई। भारत सरकार ने अवधि 2010-15 के दौरान राज्य सरकार को ₹ 12,270.80 करोड़ जारी किये, जिसके विरुद्ध राज्य सरकार ने तेरहवें वित्त आयोग की अवधि के दौरान ₹ 12,352.66 करोड़ व्यय किये। विस्तृत विवरण **तालिका 1.12** में नीचे दर्शाया गया है:

<sup>15</sup> राज्य कार्यकारी एजेन्सियों में गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करते हुए वे संगठन/संस्था सम्मिलित हैं जिनको राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने हेतु भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया गया है।

तालिका 1.12: सिफारिश किये गये अन्तरण एवं वास्तव में निर्मोचित सहायतार्थ-अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अंतरण	तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश 2010-15 के लिए	2010-15 के लिए वास्तविक निर्मोचन	कम(-)/ अधिक जारी	2010-15 के दौरान वास्तविक व्यय	अनुपयोगी राशि / अधिक व्यय (-)
1	2	3	4	(3-4)=5	6	(4-6)=7
<b>(1)</b>	<b>स्थानीय निकायें</b>					
	(i) पीआरआई को अनुदान	3,938.64	3,963.43	24.79	3,963.43	0.00
	(अ) सामान्य मूल अनुदान	2,575.24	2,609.27	34.03	2,609.27	0.00
	(ब) पीआरआई को सामान्य निष्पादन अनुदान	1,363.40	1,354.16	(-) 9.24	1,354.16	0.00
	(ii) यूएलबी को अनुदान	1,194.26	1,266.28	72.02	1,266.28	0.00
	(अ) सामान्य मूल अनुदान	780.86	791.17	10.31	791.17	0.00
	(ब) यूएलबी को सामान्य निष्पादन अनुदान	413.40	475.11	61.71	475.11	0.00
	(iii) विशेष क्षेत्र अनुदान	30.90	32.32	1.42	32.32	0.00
	(अ) विशेष क्षेत्र मूल अनुदान	18.20	18.00	(-) 0.20	18.00	0.00
	(ब) विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान	12.70	14.32	1.62	14.32	0.00
	<b>योग (1)</b>	<b>5,163.80</b>	<b>5,262.03</b>	<b>98.23</b>	<b>5,262.03</b>	<b>0.00</b>
<b>(2)</b>	<b>आपदा राहत</b>					
	(i) आपदा राहत निधि	2,489.30	2,489.27	(-) 0.03	2,489.27	0.00
	(ii) क्षमता निर्माण	30.00	18.00	(-) 12.00	16.05	1.95
	<b>योग (2)</b>	<b>2,519.30</b>	<b>2,507.27</b>	<b>(-) 12.03</b>	<b>2,505.32</b>	<b>1.95</b>
<b>(3)</b>	<b>परिणाम में सुधार के लिए अनुदान</b>					
	(i) न्याय वितरण में सुधार	268.51	121.94	(-) 146.57	87.87	34.07
	(ii) यूआईडी निर्गम के लिए प्रोत्साहन	134.90	30.79	(-) 104.11	0.58	30.21
	(iii) जिला नवाचार निधि	33.00	16.50	(-) 16.50	15.13	1.37
	(iv) राज्य और जिला स्तर पर सांख्यिकीय प्रणालियों का सुधार	33.00	19.80	(-) 13.20	12.93	6.87
	(v) कर्मचारी और पेंशन डाटा बेस	10.00	10.00	0.00	4.15	5.85
	<b>योग (3)</b>	<b>479.41</b>	<b>199.03</b>	<b>(-) 280.38</b>	<b>120.66</b>	<b>78.37</b>
<b>(4)</b>	<b>पर्यावरण सम्बन्धित अनुदान</b>					
	(i) वनों की सुरक्षा	88.32	88.32	0.00	86.71	1.61
	(ii) जल क्षेत्र प्रबंधन	224.00	56.00	(-) 168.00	0.00	56.00
	<b>योग (4)</b>	<b>312.32</b>	<b>144.32</b>	<b>(-) 168.00</b>	<b>86.71</b>	<b>57.61</b>
<b>(5)</b>	<b>प्रारम्भिक शिक्षा</b>	<b>1,766.00</b>	<b>1,766.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,766.00</b>	<b>0.00</b>
<b>(6)</b>	<b>सड़क एवं पुल</b>	<b>1,509.00</b>	<b>1,509.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,508.99</b>	<b>0.01</b>
<b>(7)</b>	<b>राज्य विशिष्ट अनुदान</b>					
	(i) पेयजल	500.00	339.37	(-) 160.63	474.27	(-) 134.90
	(ii) सिंचाई	300.00	264.42	(-) 35.58	291.88	(-) 27.46
	(iii) लोक स्वास्थ्य अवसंरचना	150.00	75.17	(-) 74.83	95.97	(-) 20.80
	(iv) राजमार्ग	150.00	150.00	0.00	145.49	4.51
	(v) पुलिस, जेल कार्मिकों और होम गार्ड का प्रशिक्षण	100.00	54.19	(-) 45.81	95.34	(-) 41.15
	<b>योग (7)</b>	<b>1,200.00</b>	<b>883.15</b>	<b>(-) 316.85</b>	<b>1102.95</b>	<b>(-) 219.80</b>
	<b>महायोग (1 से 7)</b>	<b>12,949.83</b>	<b>12,270.80</b>	<b>(-) 679.03</b>	<b>12,352.66</b>	<b>(-) 81.86</b>

स्रोत: तेरहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन

लेखा परीक्षा ने पांच विभागों (सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं संचार, गृह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, विधि एवं विधिक कार्य तथा जल संसाधन विभाग) जिनको मुख्य रूप से सहायतार्थ अनुदान का आवंटन किया गया था, के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा की। पायी गयी कमियों एवं अनियमितताओं को संक्षिप्त में नीचे दर्शाया गया है:

- सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के लिए अनुदान ₹ 134.90 करोड़ जो कि गरीबी रेखा से नीचे के नागरिकों को यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन के लिए पंजीकृत कराने हेतु प्रोत्साहन के लिए ₹ 100 प्रति व्यक्ति थी के विरुद्ध प्रथम किशत (₹ 13.49 करोड़) जुलाई 2010 में एवं द्वितीय किशत (₹ 17.30 करोड़) मार्च 2015 में जारी की गई। इस प्रकार अवधि 2010-15 के दौरान राज्य सरकार को ₹ 30.79 करोड़ अनुदान के रूप में प्राप्त हुए।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि जुलाई 2010 में ₹ 13.49 करोड़ जारी करने के बावजूद भी विभाग ने इस अनुदान राशि को मैसर्स राजकॉम्प सूचना सेवा लिमिटेड को दिसम्बर 2014 में गरीबी रेखा के नीचे के नागरिकों की पहचान एवं पंजीकरण हेतु अन्तरण किये। इसके अतिरिक्त विभाग ने बीपीएल नागरिकों की सूचना एकत्रित करने हेतु किसी प्रक्रिया का निर्धारण नहीं किया जिसके कारण नवम्बर 2014 तक अनुदान का उपयोग नहीं हो सका। इस अनुदान में से (₹ 13.49 करोड़) राजकॉम्प ने वास्तव में ₹ 57.52 लाख का ही उपयोग किया था तथापि, राज्य सरकार ने पूर्ण राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (13 मार्च 2015) को भेज दिया ताकि आगामी किशतों की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके।

इस प्रकार, बीपीएल नागरिकों की पहचान में राज्य सरकार की शिथिलता के कारण अनुदान ₹ 104.11 करोड़ अप्राप्त रहा। द्वितीय किशत अनुदान ₹ 17.30 करोड़ का भी उपयोग नहीं किया जा सका जिसके लिए राज्य सरकार ने इसका उपयोग 2015-16 में करने के लिए भारत सरकार से विशिष्ट अनुरोध (जून 2015 में) किया।

- गृह विभाग ने अनुदान ₹ 100 करोड़ (पैरा 12.274) के विरुद्ध जो कि विभिन्न विभागों में प्रशिक्षण आधारभूत सुविधाओं को संबल प्रदान करने के लिए जैसे पुलिस, होमगार्ड, कारागार एवं नागरिक सुरक्षा के लिए था, कार्य योजना ₹ 102.00 करोड़ अनुमोदित की जिसमें पुलिस विभाग (₹ 62 करोड़), नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा (₹ 20 करोड़), कारागार विभाग (₹ 15 करोड़) एवं राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला (₹ 5 करोड़) हेतु थे। इसके विरुद्ध भारत सरकार ने ₹ 54.19 करोड़ अवधि 2010-15 के दौरान जारी किये (जनवरी 2012: ₹ 26.56 करोड़ एवं फरवरी 2015: ₹ 27.63 करोड़)। गृह विभाग ने ₹ 95.34 करोड़<sup>16</sup> अवधि 2011-15 के दौरान व्यय किये। यह ध्यान में आया कि प्रथम समेकित उपयोगिता प्रमाण पत्र ₹ 28.85 करोड़ विलम्ब से 30 मई 2014 को भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया।

<sup>16</sup> 2011-12: ₹ 1.52 करोड़; 2012-13: ₹ 8.72 करोड़; 2013-14: ₹ 22.90 करोड़ एवं 2014-15: ₹ 62.20 करोड़।

इस प्रकार तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग में अत्यधिक देरी के कारण न केवल ₹ 45.81 करोड़ प्राप्त नहीं हुये बल्कि ₹ 41.15 करोड़ का अधिक व्यय आगे अनुदान की प्राप्ति के बिना कर दिया गया।

- विधि एवं विधिक विभाग में ₹ 268.51 करोड़ सहायतार्थ अनुदान के समक्ष न्याय प्रदाय में सुधार जिसमें न्यायालय के कार्यालय घंटे बढ़ाना, लोक अदालतों को समर्थित करना, एडीआर को तथा न्यायिक व्यवस्था की क्षमता निर्माण को बढ़ाना इत्यादि हेतु भारत सरकार ने अनुदान ₹ 121.94 करोड़ (₹ 53.70 करोड़ 2010-11, ₹ 26.85 करोड़ 2011-12, ₹ 23.80 करोड़ 2013-14 में तथा ₹ 17.59 करोड़ 2014-15 में) जारी किये, इसके विरुद्ध वर्ष 2014-15 के अन्त तक ₹ 87.87 करोड़<sup>17</sup> का ही उपयोग हो सका। अवधि के वर्षों में लगातार एवं महत्वपूर्ण बकाया शेष विभाग की अनुदान के उपयोग में असफलता को दर्शाता है। अप्राप्त अनुदान ₹ 146.57 करोड़ (₹ 268.51 करोड़ - ₹ 121.94 करोड़) रहा। अनुदान के उपयोग में कमी मुख्य घटकों जैसे न्यायालयों का सुबह/शाम संचालन (शत प्रतिशत), न्यायिक व्यवस्था में सुधार की क्षमता (65.59 प्रतिशत) एवं विरासत भवनों में चलने वाले न्यायालयों के अनुरक्षण (70.58 प्रतिशत) में रही।

विभाग ने अवगत कराया (मई-जून 2015) कि न्यायालय की सुबह/शाम की शिफ्ट नीतिगत मामलों के कारण, क्षमता निर्माण हेतु दिया अनुदान शैक्षणिक भवनों के अपूर्ण रहने से राष्ट्रीय सेमिनार के आयोजन नहीं होने तथा कानूनी पुस्तकों, फर्नीचर एवं कानूनी साफ्टवेयर की खरीद न होना इत्यादि के कारण क्रियान्वित नहीं हो पाये। विरासत न्यायालय भवन के अनुरक्षण सम्बन्धी अनुदान का उपयोग नहीं होने का कारण आहरण एवं संवितरण अधिकार सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्रदान नहीं करने एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्य की धीमी प्रगति रहने के कारण रहे। विभाग द्वारा दिया गया उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि पाँच वर्षों के पर्याप्त समय में भी धनराशि का उपयोग नहीं हो सका। अनुसरण एवं निगरानी संबंधी मुद्दे की पहचान कर उसमें सुधारात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए थी। तथ्य यह है कि उपयोग के अभाव में क्रमशः अनुदान ₹ 34.07 करोड़ एवं ₹ 146.57 करोड़ से वंचित रहना पड़ा।

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में अनुदान ₹ 150 करोड़ के समक्ष एचएलएमसी ने बैठक (दिनांक 12 अक्टूबर 2011) में सार्वजनिक अस्पतालों में नैदानिक उपकरणों एवं जनरेटर सहित आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए अवधि 2011-15 के लिए ₹ 150 करोड़<sup>18</sup> की कार्ययोजना अनुमोदित की। भारत सरकार ने ₹ 75.17 करोड़ (2011-12 ₹ 37.50 करोड़ एवं 2013-14 ₹ 37.67 करोड़) जारी किये थे। डीएमएचएस ने 2014-15 तक ₹ 95.97 करोड़<sup>19</sup> का व्यय

<sup>17</sup> 2010-11: ₹ 8.82 करोड़; 2011-12: ₹ 8.95 करोड़; 2012-13: ₹ 16.84 करोड़; 2013-14: ₹ 22.92 करोड़ एवं 2014-15: ₹ 30.34 करोड़।

<sup>18</sup> 2011-12: ₹ 37.50 करोड़; 2012-13: ₹ 37.67 करोड़; 2013-14: ₹ 39.56 करोड़; एवं 2014-15: ₹ 35.27 करोड़।

<sup>19</sup> 2011-12: ₹ 7.28 करोड़; 2012-13: ₹ 17.94 करोड़; 2013-14: ₹ 39.30 करोड़; एवं 2014-15: ₹ 31.45 करोड़।



किया एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र ₹ 74 करोड़ का प्रस्तुत (फरवरी 2015) किया। इस प्रकार निर्धारित समयावधि में अनुमोदित योजना के अनुसार अनुदान के उपयोग का अभाव रहने के कारण राज्य सरकार तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान ₹ 74.83 करोड़ से वंचित रही।

- जल संसाधन विभाग में अनुदान ₹ 224 करोड़ जो कि जल प्रबंधन क्षेत्र, गैर वेतन रखरखाव वृहद एवं मध्यम लघु सिंचाई योजना के लिए था, के विरुद्ध भारत सरकार द्वारा ₹ 56 करोड़ (₹ 28 करोड़ सितम्बर 2011 और ₹ 28 करोड़ जनवरी 2012) वर्ष 2011-12 की अवधि के लिए जारी किये गये तथा राज्य सरकार को आगे किश्तें प्राप्त नहीं हुई। वित्त विभाग द्वारा आदेश (01 अप्रैल 2011) जारी किये गये कि अग्रिम आदेशों तक बजट प्रावधान (₹ 56 करोड़) का उपयोग नहीं किया जावे। हालांकि वित्त विभाग द्वारा आगे कोई आदेश जारी नहीं किए गए। अतः भारत सरकार से प्राप्त अनुदान का उपयोग नहीं हुआ (मार्च 2015)।

इस प्रकार, चार वर्षों का पर्याप्त समय उपलब्ध होने पर भी समय पर आहरित राशि के उपयोग में शिथिलता के परिणामस्वरूप वर्ष 2011-12 में भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान ₹ 56 करोड़ अनुपयोगी पड़े रहने के साथ राज्य सरकार को आगामी अनुदान ₹ 168 करोड़ से भी वंचित रहना पड़ा।

अवधि 2010-15 के दौरान उक्त विभागों में ₹ 539.52 करोड़\* की अप्राप्ति/वंचित रहने संबंधी अनियमिततायें प्रदर्शित हुईं।

वित्त आयोग के अधीन भारत सरकार द्वारा जारी अनुदानों एवं उनकी उपयोगिता का राज्य सरकार को अनुश्रवण कर यह सुनिश्चित करना चाहिये कि अनुदान का प्रभावी रूप से समयावधि में निश्चित उद्देश्य पर उपयोग हो सके।

#### 1.4.6 छोड़ा गया राजस्व

विभागों से प्राप्त सूचनाओं की जाँच में यह पाया गया कि 2014-15 के दौरान विभिन्न करों के अंतर्गत छोड़े गये राजस्व की स्थिति निम्नानुसार थी:

(1) परिवहन विभाग ने (अ) दूसरे राज्यों से अजमेर में उर्स हेतु आने-जाने वाले सभी यात्री वाहनों (₹ 1 करोड़<sup>20</sup>) एवं जैसलमेर में रामदेवरा मेले में (₹ 0.93 करोड़<sup>21</sup>) तथा (ब) सेंट जूड इण्डिया चाईल्ड केयर सेन्टर्स (₹ 0.01 करोड़<sup>22</sup>), इस्कॉन बाढ़ राहत फाउण्डेशन (₹ 0.03 करोड़<sup>23</sup>) एवं माँ माधुरी बृज वारिस सेवा सदन 'अपना घर' भरतपुर (₹ 0.01 करोड़<sup>24</sup>) पर मोटर वाहन कर, विशेष सड़क कर, अधिभार एवं एकमुश्त भुगतान ₹ 1.98 करोड़ छोड़ा।

\* सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (₹ 104.11 करोड़), गृह विभाग (₹ 45.81 करोड़), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (₹ 74.83 करोड़), विधि एवं विधिक मामलात विभाग (₹ 146.57 करोड़) एवं जल संसाधन विभाग (₹ 168 करोड़)

<sup>20</sup> अधिसूचना/आदेश सं. एफ.6(96)ट्रांस./कर/छूट/10 दिनांक 28.04.2014

<sup>21</sup> अधिसूचना/आदेश सं. एफ.6(75)ट्रांस./कर/छूट/08 दिनांक 20.08.2014

<sup>22</sup> अधिसूचना/आदेश सं. एफ.6(64)ट्रांस./कर/छूट/05 दिनांक 15.12.2014

<sup>23</sup> अधिसूचना/आदेश सं. एफ.6(123)ट्रांस./कर/छूट/05 दिनांक 09.02.2015

<sup>24</sup> अधिसूचना/आदेश सं. एफ.6(62)ट्रांस./कर/छूट/10 दिनांक 09.03.2015

(2) मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग ने भूमि के विक्रय, उपहार, दान, स्थानीय निकायों द्वारा भू आवंटन/विक्रय, अंशदानों का आवंटन एवं भू संपरिवर्तन इत्यादि के पंजीयन के दौरान निष्पादित किये गये विभिन्न डीड्स एवं दस्तावेजों पर मुद्रांक कर की छूट के संबंध में 43 अधिसूचनाएँ (जुलाई: 12; अगस्त: 04; सितंबर: 03; अक्टूबर: 03; नवम्बर: 01; दिसम्बर: 01; जनवरी: 03; फरवरी: 01 एवं मार्च: 15) जारी की। छोड़े गये राजस्व के मौद्रिक मूल्य के आकलन की दृष्टि से मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग को उपर्युक्त अधिसूचनाओं के परिणामस्वरूप माफ की गयी राशि का विवरण देने को कहा गया। तथापि, विभाग द्वारा उत्तर (अक्टूबर 2015) दिया गया कि उनके अधीनस्थ वृत्त कार्यालय सूचना वर्गीकृत रूप में संधारित नहीं करते हैं, इस कारण एकीकृत सूचना उपलब्ध कराना संभव नहीं है।

(3) खान एवं भू विज्ञान विभाग ने “बकाया आम माफी योजना 2014 पर विभागीय बकाया राशि एवं ब्याज” (जनवरी 2015) के अंतर्गत 1519 प्रकरणों में ₹ 26.30 करोड़ छोड़े जो कि अवधि 31.03.2012 से पूर्व डीड रेन्ट, रॉयल्टी आधिक्य, उधार ली गयी भूमि से खनन के संबंध में रॉयल्टी, शास्ती के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए सभी बकाया राशि के प्रकरणों से संबंधित थे।

(4) वाणिज्यिक कर विभाग ने 405 लाभार्थियों को ₹ 6.68 करोड़ की राजस्थान मूल्य संवर्धन कर अधिनियम, 2003 की धारा 51 के अंतर्गत छूट प्रदान की।

## 1.5 पूँजीगत प्राप्तियाँ

वर्ष 2010-15 की अवधि में पूँजीगत प्राप्तियों के घटक एवं वृद्धि की प्रवृत्ति को नीचे तालिका 1.13 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.13: पूँजीगत प्राप्तियों के घटक एवं वृद्धि की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य प्राप्तियों के स्रोत	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
<b>पूँजीगत प्राप्तियाँ</b>	<b>8,309</b>	<b>7,163</b>	<b>11,065</b>	<b>14,817</b>	<b>19,160</b>
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	13	16	8	10	15
ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	319	1,229	1,102	316	1,004
लोक ऋण प्राप्तियाँ	7,977	5,918	9,955	14,491	18,141
ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	- 9.3	- 25.8	68.2	45.6	25.2
गैर-ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	174.4	275.0	- 10.8	- 70.6	212.6
जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत)	27.3	22.4	13.5	10.1	11.0
पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	- 6.8	- 13.8	54.5	33.9	29.3

स्रोत: वित्त लेखे

### 1.5.1 पूँजीगत प्राप्तियाँ

राज्य की पूँजीगत प्राप्तियाँ (ऋण एवं गैर-ऋण प्राप्तियाँ) 2010-11 से 2014-15 में 23 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ी। यह 2014-15 के दौरान गत वर्ष की तुलना में 29 प्रतिशत से बढ़ी।

### 1.5.2 कर्ज एवं अग्रिम की वसूलियाँ

वर्ष 2014-15 के दौरान गत वर्ष की तुलना में कर्ज एवं अग्रिम की वसूलियों में ₹ 688 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से अधिक वसूली के कारण हुई।

### 1.5.3 आन्तरिक स्रोतों से ऋण प्राप्ति/लोक ऋण प्राप्ति

वर्ष 2014-15 के दौरान लोक ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत आन्तरिक ऋण प्राप्ति जैसे बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों, बैंकों इत्यादि से उधार, गत वर्ष की तुलना में 21.9 प्रतिशत (₹ 3,114 करोड़) से बढ़ी, जिनमें बाजार ऋण प्राप्ति गत वर्ष की तुलना में ₹ 3,500 करोड़ (39.8 प्रतिशत) से बढ़ी।

### 1.5.4 भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम

वर्ष 2014-15 के दौरान भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम की प्राप्ति (₹ 795 करोड़ बाह्य परियोजनाओं के लिए ऋण) गत वर्ष की तुलना में मुख्यतः राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज के अन्तर्गत 207 प्रतिशत (₹ 536 करोड़) से बढ़ी।

## 1.6 लोक लेखा प्राप्ति

अल्प बचत, भविष्य निधियाँ, आरक्षित निधियाँ, जमा, उच्चत, प्रेषण इत्यादि से सम्बन्धित कुछ लेन-देनों से सम्बन्धित प्राप्ति एवं संवितरण, जो कि समेकित निधि के भाग नहीं है, को संविधान की धारा 266(2) के अन्तर्गत स्थापित लोक लेखे में रखा जाता है एवं यह राज्य विधानमण्डल द्वारा मतदान के अध्यक्षीन नहीं होता है। यहाँ सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है और संवितरण के बाद शेष राशि का उपयोग करती है। लोक लेखा प्राप्ति का विवरण तालिका 1.14 में दिया गया है:

तालिका 1.14: लोक लेखा प्राप्ति के घटक

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत संसाधन	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
अ. अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि	5,130	5,630	7,171	6,311	7,082
ब. आरक्षित निधि	873	1,638	1,568	2,233	1,724
स. जमा तथा अग्रिम	1,07,666	1,14,301	1,40,748	89,436	1,07,067
द. उच्चत तथा विविध	11	27	43	91	22
य. प्रेषण	5,810	5,619	7,033	9,908	10,487 <sup>25</sup>
<b>योग</b>	<b>1,19,490</b>	<b>1,27,215</b>	<b>1,56,563</b>	<b>1,07,979</b>	<b>1,26,382</b>

स्रोत: वित्त लेखे

लोक लेखा प्राप्ति में 2014-15 के दौरान गत वर्ष की तुलना में ₹ 18,403 करोड़ (17 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः जमा तथा अग्रिमों ₹ 17,631 करोड़ के अन्तर्गत रही।


<sup>25</sup> इसमें खजानों तथा मुद्रा तिजोरियों के बीच प्रेषण: ₹ 169.84 करोड़; लोक निर्माण प्रेषण: ₹ 9,992.59 करोड़ तथा वन प्रेषण: ₹ 325.21 करोड़ शामिल है।

## 1.7 संसाधनों का उपयोग

राज्य सरकार के स्तर पर व्यय के आवंटन का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है चूंकि व्यय का मुख्य उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान के दायरे में, घाटे अथवा उधारों से वित्त पोषित लोक व्यय को बढ़ाने में बजटीय रूकावटें होती हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होता है कि राज्य स्तर पर चल रहे राजकोषीय सुधार एवं दृढ़ीकरण प्रक्रिया व्यय, विशेषतया सामाजिक क्षेत्रों के विकास के लिए निर्दिष्ट व्यय, की लागत पर नहीं है।


### 1.7.1 कुल व्यय

नीचे दिखाये गये चार्ट 1.7 पाँच वर्षों (2010-15) की अवधि के कुल व्यय की प्रवृत्ति को और चार्ट 1.8 'आर्थिक वर्गीकरण' के रूप में इसके संयोजन को दर्शाते हैं।



स्रोत: वित्त लेखे

राज्य का कुल व्यय, 22 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से 2010-11 से 2014-15 की अवधि में बढ़ा। वर्ष 2014-15 के दौरान कुल व्यय गत वर्ष की तुलना में 24 प्रतिशत से बढ़ा।



### राजस्व व्यय

राजस्व व्यय, कुल व्यय का मुख्य भाग है। यह वर्तमान स्तर की सेवाएं बनाये रखने एवं पिछले दायित्वों के भुगतान पर किया जाता है और इसी कारण राज्य के आधारभूत ढांचे एवं सेवाओं के नेटवर्क में किसी प्रकार का योगदान नहीं देता।

वर्ष 2014-15 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का 85 प्रतिशत था। यह 20 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से 2010-11 के ₹ 44,873 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 94,542 करोड़ हो गया। वर्ष 2014-15 के दौरान राजस्व व्यय में गत वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत (₹ 19,032 करोड़) की वृद्धि मुख्यतः सामान्य शिक्षा (₹ 4,057 करोड़), ग्रामीण विकास (₹ 3,308 करोड़), बिजली (₹ 1,896 करोड़) तथा पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति परिलाभ (₹ 1,828 करोड़) के अन्तर्गत हुई ।

### पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय 32 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से 2010-11 के ₹ 5,251 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 16,103 करोड़ हो गया। वर्ष 2014-15 के दौरान पूँजीगत व्यय में गत वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत (₹ 2,439 करोड़) की वृद्धि मुख्यतः जलापूर्ति एवं सफाई पर पूँजीगत परिव्यय (₹ 1,737 करोड़), एवं सड़क एवं सेतु पर पूँजीगत परिव्यय (₹ 479 करोड़) के अन्तर्गत हुई । कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का प्रतिशतता अंश 2010-11 में 10.4 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 के दौरान 14.5 प्रतिशत हो गया।

#### 1.7.2 चालू राजस्व शेष<sup>26</sup>

₹ 76,246 करोड़ (₹ 91,327 करोड़-₹ 14,885 करोड़-₹ 196 करोड़) (परिशिष्ट 1.4) की राजस्व प्राप्तियाँ (भारत सरकार से प्राप्त आयोजनागत सहायता के अलावा) एनपीआरई के ₹ 67,098 करोड़ (चार्ट 1.7) से ₹ 9,148 करोड़ अधिक थी जो कि यह इंगित करता है कि एनपीआरई की पूर्ति करने हेतु आयोजनागत सहायता का उपयोग नहीं किया गया जो कि एक सकारात्मक सूचक है।

#### 1.7.3 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व खाते में राज्य सरकार का प्रतिबद्ध व्यय मुख्यतः ब्याज अदायगियों, वेतन तथा मजदूरी, पेन्शन पर व्यय तथा अर्थ-सहाय्य से बनता है। वर्ष 2010-2015 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्ति को निम्न तालिका 1.15 में प्रस्तुत किया गया है।

<sup>26</sup> चालू राजस्व शेष से तात्पर्य 'राजस्व प्राप्तियाँ घटाइये समस्त आयोजना अनुदान तथा मुख्य शीर्ष 2048 के अन्तर्गत दर्ज व्यय को छोड़कर आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय' है।

तालिका 1.15: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
वेतन एवं मजदूरी- आयोजना-भिन्न शीर्ष	13,730	14,829	16,825	19,290	21,466
वेतन एवं मजदूरी- आयोजना शीर्ष *	840	1,018	770	1,314	2,032
कुल वेतन एवं मजदूरी	14,570 (31.7)	15,847 (27.8)	17,595 (26.3)	20,604 (27.7)	23,498** (25.7)
व्याज अदायगियों	7,369 (16.0)	7,892 (13.8)	8,340 (12.5)	9,063 (12.2)	10,463 (11.5)
पेंशन पर व्यय	5,151 (11.2)	5,920 (10.4)	6,858 (10.2)	7,801 (10.5)	9,629 (10.6)
अर्थ-सहाय्य	2,227 (4.8)	3,200 (5.6)	5,464 (8.2)	6,940 (9.3)	8,626 (9.4)
<b>कुल प्रतिबद्ध व्यय</b>	<b>29,317</b> <b>(63.8)</b>	<b>32,859</b> <b>(57.6)</b>	<b>38,257</b> <b>(57.2)</b>	<b>44,408</b> <b>(59.6)</b>	<b>52,216</b> <b>(57.2)</b>
अन्य घटक	15,556 (33.9)	20,795 (36.5)	25,205 (37.7)	31,102 (41.8)	42,326*** (46.3)
<b>कुल राजस्व व्यय</b>	<b>44,873</b>	<b>53,654</b>	<b>63,462</b>	<b>75,510</b>	<b>94,542</b>
<b>राजस्व प्राप्तियाँ</b>	<b>45,928</b>	<b>57,011</b>	<b>66,913</b>	<b>74,471</b>	<b>91,327</b>
प्रतिबद्ध व्यय राजस्व व्यय से प्रतिशत के रूप में	66.7	61.2	60.3	58.8	55.2

**टिप्पणी:** कोष्ठक में दी गयी संख्या राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता दर्शाती है।  
 \* आयोजनागत शीर्ष में केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत भुगतान किए गए वेतन एवं मजदूरी भी सम्मिलित है।  
 \*\* वेतन: ₹ 23,020 करोड़ एवं मजदूरी ₹ 478 करोड़  
 \*\*\* वित्तीय सहायता (सहायतार्थ अनुदान): ₹ 20,084 करोड़; सहायतार्थ-अनुदान सामान्य (वेतन): ₹ 8,245 करोड़; निधियों को अंतरण: ₹ 1,912 करोड़; एवं रखरखाव: ₹ 469 करोड़ पर व्यय सम्मिलित है।

स्रोत: वित्त लेखे

राज्य सरकार प्रतिबद्ध व्यय के कुल राजस्व व्यय में अंश को वर्ष 2010-11 में 67 प्रतिशत से वर्ष 2014-15 में 55 प्रतिशत करने में सफल रही।

### 1.7.3.1 वेतन तथा मजदूरी

वेतन तथा मजदूरी पर व्यय 13 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर से वर्ष 2010-11 के ₹ 14,570 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 23,498 करोड़ हो गया। वर्ष 2014-15 के दौरान वेतन तथा मजदूरी पर व्यय गत वर्ष की तुलना में 14 प्रतिशत से बढ़ा। यह तेरहवें वित्त आयोग<sup>27</sup> द्वारा सिफारिश किए (6 प्रतिशत) से 8 प्रतिशतता बिन्दु अधिक रहा, यह राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन से भी ₹ 255 करोड़ अधिक रहा।

### 1.7.3.2 पेंशन भुगतान

#### • सामान्य

समग्र पेंशन भुगतान पर व्यय 17 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर से वर्ष 2010-11 के ₹ 5,151 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 9,629 करोड़<sup>28</sup> हो गया। वर्ष

<sup>27</sup> तेरहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन का अनुच्छेद संख्या 7.60

<sup>28</sup> इसमें चालू वर्ष के दौरान 31 दिसम्बर 2003 या इससे पहले के राज्य सरकार के कर्मचारियों पर पेंशन तथा सेवानिवृत्ति हित लाभ हेतु व्यय पर हुये व्यय ₹ 8,802.97 करोड़ शामिल है।

2014-15 के दौरान पेन्शन भुगतान पर गत वर्ष की तुलना में 23 प्रतिशत की वृद्धि दर पेन्शनरों की कुल संख्या में 15,440<sup>29</sup> (4.4 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण अभिलेखित की गई। वास्तविक पेन्शन भुगतान, तेरहवें वित्त आयोग तथा राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस में किये गये अनुमान/आंकलन का तुलनात्मक विश्लेषण यह दर्शाता है कि वास्तविक पेन्शन भुगतान (₹ 9,629 करोड़) तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये मानक आंकलन से 82 प्रतिशत अधिक रहा परन्तु राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन से मामूली रूप से 6.5 प्रतिशत कम रहा। राज्य सरकार के कर्मचारियों के पेन्शन तथा सेवानिवृत्ति हित लाभ पर व्यय कुल राजस्व व्यय का 10.2 प्रतिशत हुआ।

### • अंशदायी पेंशन योजना

राज्य सरकार द्वारा जनवरी 2004 से नयी पेंशन योजना लागू की जा चुकी है। योजना के सम्बन्ध में, कर्मचारी मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान देता है, जो कि राज्य सरकार के बराबर का होता है, तथा सम्पूर्ण राशि अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों से सम्बन्धित लोक लेखा के अन्तर्गत लेखाशीर्ष '8342-अन्य जमायें-117 निर्धारित अंशदान पेंशन योजना' तथा अन्य राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए उपशीर्ष (03) के अन्तर्गत लेखाशीर्ष '8011- बीमा तथा पेंशन निधि 106- अन्य बीमा तथा पेंशन निधियों' में स्थानान्तरित किया जाता है तथा उसके बाद निर्दिष्ट निधि प्रबंधक को नेशनल सिक्क्यूरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 364.33 करोड़ कर्मचारी अंशदान से प्राप्त किये परन्तु नियोक्ता के अंश के रूप में केवल ₹ 356.12 करोड़ का योगदान दिया फलस्वरूप दोनों श्रेणियों के कर्मचारियों के संदर्भ में ₹ 8.21 करोड़ की कमी रही ।

### 1.7.3.3 ब्याज अदायगियाँ

ब्याज अदायगियाँ 9 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर से वर्ष 2010-11 के ₹ 7,369 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 10,463 करोड़ हो गई तथा गत वर्ष (₹ 9,063 करोड़)की तुलना में 15 प्रतिशत बढ़ी । मुख्य घटक आन्तरिक ऋण पर ब्याज (₹ 7,146 करोड़), अल्प बचत, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज (₹ 2,708 करोड़) एवं केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज (₹ 474 करोड़) थे।

आन्तरिक ऋण पर ब्याज जिसमें बाजार के कर्जे शामिल हैं 2013-14 के ₹ 5,972 करोड़ से 20 प्रतिशत बढ़कर 2014-15 में ₹ 7,146 करोड़ हो गया, जोकि गत वर्ष की तुलना में मुख्यतः बाजार के कर्जे ₹ 10,002 करोड़ (19 प्रतिशत) से एवं आन्तरिक ऋण ₹ 2,894 करोड़ (10 प्रतिशत) से बढ़ने के कारण था।

<sup>29</sup> पेन्शनरों की संख्या 2013-14: 3,51,415 एवं 2014-15: 3,66,855.

अल्प बचत, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज भी 2013-14 के ₹ 2,469 करोड़ से 10 प्रतिशत बढ़कर 2014-15 में ₹ 2,708 करोड़ हो गया, जोकि गत वर्ष की तुलना में मुख्यतः राज्य प्रावधायी निधि ₹ 2,078 करोड़ (10 प्रतिशत) से एवं बीमा तथा पेंशन निधि ₹ 904 करोड़ (10 प्रतिशत) से बढ़ने के कारण था।

वर्ष 2014-15 के दौरान की गयी ब्याज अदायगियाँ ₹ 10,463 करोड़ थी जोकि राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन (₹ 10,470 करोड़) से कम रही एवं तेरहवें वित्त आयोग में किये गये आंकलन (₹ 10,280 करोड़) से अधिक रही।

ब्याज अदायगियों का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात, राज्य की ऋण सहनीयता को निर्धारित करता है। वर्ष के दौरान ब्याज अदायगियों का राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों से अनुपात 11.5 प्रतिशत रहा ।

#### 1.7.3.4 अर्थ-सहाय्य

किसी भी कल्याणकारी राज्य में समाज के साधनहीन वर्ग को अर्थ-सहाय्य/आर्थिक सहायता प्रदान करना असामान्य बात नहीं है। अर्थ-सहाय्य केवल प्रत्यक्ष रूप से ही नहीं दी जाती है अपितु जनता को अप्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक सेवाएँ उपलब्ध कराके भी वितरित की जा सकती है। अप्रत्यक्ष अर्थ-सहाय्य की श्रेणी में वित्तीय संस्थाओं को बजटीय समर्थन, निवेशों पर अपर्याप्त प्रतिलाभ एवं सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर उपभोक्ता प्रभारों की अल्प वसूली शामिल है। प्रत्यक्ष अर्थ-सहाय्य आंशिक चित्र प्रस्तुत करता है क्योंकि इसमें अप्रत्यक्ष अर्थ-सहाय्य सम्मिलित नहीं होता है।

चालू वर्ष के दौरान ₹ 8,626 करोड़ का प्रत्यक्ष अर्थ-सहाय्य वित्त लेखे के परिशिष्ट II में दर्शाया गया है जो कि गत वर्ष (₹ 6,910 करोड़) की तुलना में ₹ 1,716 करोड़ (25 प्रतिशत) अधिक रहा जो कि मुख्यतः विद्युत (₹ 8,330 करोड़), फसल कृषि-कर्म (₹ 130 करोड़) एवं घरेलू गैस (₹ 125 करोड़) के क्षेत्र में रहा।

विद्युत क्षेत्र को अर्थ-सहाय्य कुल अर्थ-सहाय्य का 96.6 प्रतिशत था। 2014-15 के दौरान विद्युत क्षेत्र को मुख्यतः विद्युत दरें (₹ 5,895.65 करोड़<sup>30</sup>) न बढ़ाने के लिए विद्युत कर (₹ 1,175 करोड़<sup>31</sup>) बन्ध पत्र पर ब्याज

<sup>30</sup> (i) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 2,633.17 करोड़, (ii) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 1,660.36 करोड़ तथा (iii) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 1,602.12 करोड़।

<sup>31</sup> (i) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 500.55 करोड़, (ii) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 354.45 करोड़ तथा (iii) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 320 करोड़।



(₹ 760.73 करोड़<sup>32</sup>) तथा वित्तीय पुनर्संरचना प्रोग्राम के (₹ 441 करोड़<sup>33</sup>) के लिए अर्थ-सहाय्य प्रदान किया गया।

विद्युत क्षेत्र अर्थ-सहाय्य गत वर्ष (₹ 6,460 करोड़) की तुलना में 29 प्रतिशत (₹ 1,870 करोड़) की वृद्धि मुख्यतः दरें न बढ़ाने के लिए अनुदान ₹ 634.22 करोड़<sup>34</sup>, विद्युत कर के लिए अनुदान ₹ 612.17 करोड़ एवं बॉण्ड्स पर ब्याज हेतु अनुदान ₹ 725.79 करोड़ से बढ़ाने के कारण हुयी जोकि अनुदान ₹ 120 करोड़ से कम होने से प्रतिसन्तुलित हुयी।

घरेलू गैस अर्थ-सहाय्य एवं फसल कृषि-कर्म अर्थ-सहाय्य गत वर्ष की तुलना में क्रमशः 8 प्रतिशत एवं 148 प्रतिशत से बढ़ा। तथापि, खाद्य वितरण अर्थ-सहाय्य 2013-14 के ₹ 268 करोड़ से 97 प्रतिशत घटकर 2014-15 में ₹ 7 करोड़ हो गया।

#### 1.7.4 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वर्ष 2010-15 के दौरान अनुदान एवं कर्जों के माध्यम से प्रदान की गई सहायता निम्न प्रकार है:

तालिका 1.16: स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	
					आवंटन	वास्तविक
<b>(अ)स्थानीय निकाय</b>						
नगर निगम एवं नगरपालिकाएँ	1,130.04	1,339.94	2,255.06	2,324.16	2,450.69	2,450.65
पंचायती राज संस्थाएँ	4,365.15	6,217.95	7,675.24	8,953.21	13,832.42	13,833.28
<b>योग (अ)</b>	<b>5,495.19</b>	<b>7,557.89</b>	<b>9,930.30</b>	<b>11,277.37</b>	<b>16,283.11</b>	<b>16,283.93</b>
<b>(ब) अन्य</b>						
शैक्षणिक संस्थाएं (अनुदानित विद्यालय, अनुदानित कॉलेज एवं विश्वविद्यालय इत्यादि)	1,506.21	2,013.12	2,302.98	2,236.99	1,128.22	1,128.22
विकास अभिकरण	354.18	75.07	118.94	195.36	6.93	6.93
अस्पताल एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाएँ	117.03	72.50	84.27	124.72	169.72	169.47

<sup>32</sup> (i) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 284.65 करोड़, (ii) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 247.34 करोड़ तथा (iii) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 228.74 करोड़।

<sup>33</sup> (i) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 176.40 करोड़, (ii) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 132.30 करोड़ तथा (iii) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 132.30 करोड़।

<sup>34</sup> (i) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 372.89 करोड़, (ii) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 242.01 करोड़ तथा (iii) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 19.32 करोड़।

संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	
					आवंटन	वास्तविक
अन्य संस्थाएँ	2,743.03	2,618.23	3,781.66	4,929.02	10,747.31	10,740.54 <sup>35</sup>
<b>योग (ब)</b>	<b>4,720.45</b>	<b>4,778.92</b>	<b>6,287.85</b>	<b>7,486.09</b>	<b>12,052.18</b>	<b>12,045.16</b>
<b>योग (अ+ब)</b>	<b>10,215.64</b>	<b>12,336.81</b>	<b>16,218.15</b>	<b>18,763.46</b>	<b>28,335.29</b>	<b>28,329.09</b>
राजस्व व्यय	44,873	53,654	63,462	75510	1,05,387	94,542
सहायता का राजस्व व्यय से प्रतिशत	23	23	26	25	27	30

स्रोत: वित्त लेखे एवं प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) द्वारा संकलित वाउचर

स्थानीय निकायों को दी गई वित्तीय सहायता पिछले वर्ष से 44 प्रतिशत की वृद्धि अंकित करते हुए ₹ 5,006.56 करोड़ से बढ़ी तथा अन्य संस्थानों को दी गई वित्तीय सहायता पिछले वर्ष से 61 प्रतिशत की वृद्धि अभिलिखित करते हुए ₹ 4,559.07 करोड़ से बढ़ी। इसके अतिरिक्त 2010-15 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता उनके राजस्व व्यय की 23 से 30 प्रतिशत तक रही।

वर्ष 2014-15 के दौरान वित्तीय सहायता मुख्यतः सर्व शिक्षा अभियान (₹ 4,120 करोड़); राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (₹ 3,230 करोड़); पंचायत समितियों को प्राथमिक विद्यालयों के लिए (₹ 3,132 करोड़); राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को अनुदान (₹ 1,763 करोड़); तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को अनुदान (₹ 888 करोड़); नगरपालिकाओं/नगर परिषदों हेतु निर्बन्ध निधियाँ (₹ 661 करोड़); मिड-डे मील (₹ 566 करोड़) तथा राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत नगरपालिकाओं/नगर परिषद हेतु (₹ 481 करोड़) दी गई।

### 1.7.5 स्थानीय निकायों से सम्बन्धित मुख्य बिन्दु

स्थानीय निकायों यथा पंचायती राज संस्थाओं (पं.रा.सं.) एवं शहरी स्थानीय निकायों (श.स्था.नि.) से संबंधित मुख्य बिन्दुओं की स्थिति निम्नलिखित अनुच्छेदों में सारांशीकृत है :

#### 1.7.5.1 पंचायती राज संस्थान

##### (i) प्रस्तावना

31 मार्च 2015 को राज्य में 33 जिला परिषदें (पंचायत प्रकोष्ठ), 295 पंचायत समितियाँ एवं 9894 ग्राम पंचायतें सचिव, पंचायती राज विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन थी। जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का उनके पंजीयन निरस्तीकरण के पश्चात जिला स्तर पर 33 जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) के तौर पर पंचायती राज संस्थाओं में ही विलय कर दिया गया तथा सचिव,

<sup>35</sup> इसमें (i) शिक्षा: ₹ 4,284.45 करोड़; (ii) प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत: ₹ 1,522.48 करोड़ एवं (iii) फसल कृषि -कर्म: ₹ 1,022.86 करोड़ के लिए दी गई अनुदानें सम्मिलित हैं।

ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन रखा गया। उक्त दोनों सचिवों को प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन रखा गया है। जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों के लेखों एवं लेखापरीक्षा से संबंधित मामले राजस्थान पंचायती राज अधिनियम (रा.पं.रा.अ.), 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम (रा.पं.रा.नि.), 1996 द्वारा शासित होते हैं जबकि जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) की लेखा एवं लेखापरीक्षा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 1984 में जारी एवं 2001 तक संशोधित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण/समितियों के लिए लेखांकन प्रक्रिया से शासित होती है।

### **(ii) हस्तांतरण**

73वें संविधान संशोधन की अनुपालना में संविधान की 11वीं अनुसूची के क्रम में 29 विषयों के कार्य हस्तांतरित किये जाने थे। प्रारम्भिक रूप से 28 विषयों के कार्य हस्तांतरित किये गये। निधियाँ एवं कार्मिक केवल 20 विषयों (*परिशिष्ट 1.11*) के संबंध में ही अंतरित किये गये। तदनन्तर, जनवरी 2004 में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से संबंधित 5 विभागों की निधियाँ, कार्य एवं कार्मिक अस्थायी रूप से विभाग से वापस ले लिए गये थे।

### **(iii) लेखापरीक्षा, लेखा एवं प्रमाणन**

रा.पं.रा. अधिनियम की धारा 75(4) पंचायती राज संस्थाओं के सभी लेखों की निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग (डी.एल.एफ.ए.डी.) द्वारा राजस्थान स्थानीय निधि अंकेक्षण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत अंकेक्षण किये जाने का प्रावधान करती है, और साथ ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा भी जिसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखे जाएंगे। इस अधिदेश के अलावा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अंतर्गत भी नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के लिए अधिकृत हैं। तथापि, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) की लेखापरीक्षा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण हेतु निर्धारित लेखांकन प्रक्रिया (2001 में संशोधित) में समाहित प्रावधानों के अनुसार सनदी लेखाकारों द्वारा किया जाना जारी था जिसके अनुसार लेखों की लेखापरीक्षा एवं प्रमाणन सनदी लेखाकारों द्वारा किया जायेगा तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वितीयक लेखापरीक्षक हैं।

पंचायती राज संस्थाओं के लेखों के निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा प्रमाणीकरण के संबंध में प्रावधान राजस्थान स्थानीय निधि अंकेक्षण अधिनियम के नियम 23(ज) एवं नियम 25(xi) तथा निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग मैनुअल, 1994 के पैरा 4 में है।

स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण (टी.जी.एस.) के अंतर्गत निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग इस कार्यालय से निरन्तर मार्गदर्शन प्राप्त करते रहते हैं। इसमें 2010-11 से 2013-14 की अवधि के दौरान के 12 (3 जिला परिषद, 5 पंचायत समिति एवं 4 ग्राम पंचायत) पंचायती राज संस्थाओं के निरीक्षण प्रतिवेदन सम्मिलित हैं। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा दी गयी सूचनाओं से प्रकट हुआ कि इन पंचायती राज संस्थाओं के लेखों का प्रमाणन नहीं किया गया था।

31 मार्च 2015 तक लेखे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अधीन बनाये गये राजस्थान पंचायती राज नियम के अंतर्गत परम्परागत प्रारूपों में संधारित किये जा रहे थे। इसी बीच पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किये गये सरलीकृत लेखांकन प्रारूप 2009, डाटा प्रविष्टि तथा 8 डाटाबेस प्रारूपों के रखरखाव हेतु आदर्श लेखांकन “पंचायती राज संस्थान लेखांकन सॉफ्टवेयर” (पीआरआईए सॉफ्ट) सहित अप्रैल 2011 से अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए स्वीकार किया गया। पंचायती राज विभाग ने सूचित (28 मई 2015) किया कि वर्ष 2014-15 के लिए केवल 03 जिला परिषद, 19 पंचायत समितियों एवं 663 ग्राम पंचायतों की वार्षिक पुस्तकें पीआरआईए सॉफ्ट का प्रयोग करते हुए संवरित की गयी हैं।

इस प्रकार, पंचायती राज संस्थाओं में लेखांकन की स्थिति न केवल अपरिष्कृत थी, अपितु जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) के अलावा जिसकी लेखापरीक्षा एवं प्रमाणन भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश-2001 (जिला ग्रामीण विकास अधिकरण के लिए बनाये गये जिनका पंजीयन 2003 में रद्दकर पी.आर.आई. में जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) के रूप में विलय कर दिया गया) के प्रावधानों के अंतर्गत सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा एवं प्रमाणन जारी था एवं इसका प्रमाणन प्राथमिक या सांविधिक लेखा परीक्षा द्वारा नहीं किया गया था। यह भी ध्यान देने योग्य है कि पंचायती राज संस्थाओं को 2014-15 के दौरान ₹ 13,833.28 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी जिसका केवल वह भाग जो पूर्ववर्ती जिला ग्रामीण विकास अधिकरणों से संबंधित था सनदी लेखाकारों द्वारा प्रमाणित था। शेष राशि लेखापरीक्षक/स्थानीय निधि लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित होने से बची रही।

#### **1.7.5.2 शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित मुख्य बिन्दु**

31 मार्च 2015 तक 7 नगर निगम, 34 नगर परिषद एवं 147 नगर पालिकायें प्रमुख सचिव, स्थानीय स्व-शासन विभाग (एल.एस.जी.डी.) के प्रशासनिक नियन्त्रण के अंतर्गत थे। निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग प्राथमिक लेखापरीक्षक हैं तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अंतर्गत इनकी लेखापरीक्षा करते हैं।

निदेशक, स्थानीय निकाय (डी.एल.बी.) द्वारा सभी शहरी स्थानीय निकायों को लेखे उपार्जन आधार पर संधारित करने के लिये निर्देशित (1 अप्रैल 2010) किया गया था। निदेशक, स्थानीय स्व-शासन विभाग के प्रतिवेदन (10 जून 2015) के अनुसार राज्य में सभी शहरी स्थानीय निकाय उपार्जन के आधार पर लेखे संधारित कर रहे हैं। यद्यपि निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा दी गयी सूचना (25 मई 2015) के अनुसार उपार्जन आधारित पद्धति पर लेखे जोधपुर खण्ड के केवल 02 शहरी स्थानीय निकाय (सोजत एवं भीनमाल) में तैयार किये जा रहे हैं। इस प्रकार उपार्जन आधार पर लेखों के संधारण की स्थिति स्पष्ट नहीं है।

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंषाओं के अनुच्छेद 10.160(ii) की अनुपालना में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 99क(2), 2011 में संशोधित की गयी में, निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग की लेखापरीक्षा पर टी.जी.एण्ड एस. का प्रावधान किया गया है। टी.जी.एण्ड एस. व्यवस्था के अंतर्गत निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग इस कार्यालय से नियमित रूप से मार्गदर्शन प्राप्त करता रहता है। इसमें 12 शहरी स्थानीय निकाय (3 नगर निगम, 4 नगर परिषद एवं 5 नगर पालिका) की 2007-14 की अवधि के निरीक्षण प्रतिवेदन सम्मिलित हैं। इन निरीक्षण प्रतिवेदन के परीक्षण एवं निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा दी गयी जानकारी से प्रकट हुआ कि राजस्थान स्थानीय निधि अंकेक्षण अधिनियम के नियम 23(ज) में प्रावधान के उपरान्त भी लेखों के अपूर्ण संधारण के फलस्वरूप वार्षिक लेखों का प्रमाणन नहीं किया गया। यह ध्यान देने योग्य है कि शहरी स्थानीय निकाय को 2014-15 के दौरान कुल ₹ 2,450.65 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गयी।

74वें संविधानिक संशोधन द्वारा अंतर्विष्ट धारा 243डब्ल्यू में संविधान की 12वीं अनुसूची में उल्लेखित 18 विषयों के संबंध में नगरपालिकाओं को शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों का हस्तांतरण विहित किया गया है। डी.एल.बी. द्वारा दी गयी सूचना (जून 2015) के अनुसार 16 विषयों (परिशिष्ट 1.12) से संबंधित कार्य पहले से ही संपादित किये जा रहे हैं। शेष दो कार्यों के संबंध में 188 शहरी स्थानीय निकायों में से 7<sup>36</sup> में जलापूर्ति का कार्य किया जा रहा है जबकि 6 फरवरी 2013 की अधिसूचना के अनुसार 'शहरी आयोजना' के कार्य का हस्तांतरण शहरी स्थानीय निकायों को किया जाना अभी बाकी है। स्थानीय निकायों यथा पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) एवं शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) से संबंधित मुख्य बिन्दुओं की स्थिति निम्नानुसार सारांशीकृत है:

### **विभिन्न संस्थाओं एवं प्राधिकरणों के लेखों में अनियमितताएँ**

(i) स्टेट बजट मेन्युअल के खण्ड-11 की सूची के अनुसार प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग (न.वि.आ.), राजस्थान, जयपुर, जयपुर विकास प्राधिकरण (ज.वि.प्रा.) के नियंत्रण अधिकारी हैं। विक्रय, भू.-नियमन एवं रूपान्तरण तथा नगरीय निर्धारण शुल्क से प्राप्तियों को न.वि.आ. के शीर्षों 0075-105-07-01, 0029-800-07-03 एवं 0075-800-03-01 में क्रमशः जमा कराया जाता है।

<sup>36</sup> बूंदी, चौमूं, जैसलमेर, करौली, नागौर, नाथद्वारा एवं नोखा

राजस्थान सरकार (राजस्व विभाग) के आदेश (08 दिसम्बर 2010) एवं न.वि.आ. विभाग के आदेश (31 मई 2012 एवं 21 जून 2012) के अनुसार भूमि विक्रय से प्राप्त धन की वसूली का 20 प्रतिशत, नियमन एवं रूपान्तरण प्रभारों से राजस्व वसूली का 40 प्रतिशत और नगरीय निर्धारण शुल्क की राजस्व वसूली का 60 प्रतिशत सरकारी लेखों में सम्बन्धित शीर्षों में जमा कराना था। राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत ज.वि.प्रा. के 2014-15 के अंकेक्षित वार्षिक लेखों के विवरण, और प्रधान महालेखाकार (ले. एवं ह.), राजस्थान, जयपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार 2014-15 के दौरान राजस्व वसूली एवं राज्य सरकार के खाते में जमा की स्थिति निम्नानुसार है:-

(₹ करोड़ में)

भू-खण्ड/भूमि विक्रय			नियमन एवं रूपान्तरण प्रभार			नगरीय निर्धारण शुल्क (लीज राशि)		
प्राप्तियाँ	रा.स. का अंश (20 प्रतिशत)	वास्तविक जमा राशि	प्राप्तियाँ	रा.स. का अंश (40 प्रतिशत)	वास्तविक जमा राशि	प्राप्तियाँ	रा.स. का अंश (60 प्रतिशत)	वास्तविक जमा राशि
1191.10	238.22	122	114.65	45.86	21.35	149.06	89.44	शून्य

इस प्रकार ज.वि.प्रा. द्वारा संबंधित शीर्षों में राशि ₹ 230.17 करोड़ (₹ 116.22 करोड़, ₹ 24.51 करोड़ एवं ₹ 89.44 करोड़ कम जमा कराई गई, जो कि राजकीय आदेशों की गैर-अनुपालना को इंगित करता है।

(ii) निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग (नि.स्था.नि.अं.वि.) के अंकेक्षण पर इस कार्यालय द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण (त.मा. एवं प.) की पालना में की गई अनुवर्ती कार्रवाई और वित्तीय प्रमाणन लेखापरीक्षा के दौरान निम्नांकित वृहद् अनियमितताएँ पाई गई:-

(अ) ज.वि.प्रा. अधिनियम 1982 की धारा 62 राजस्थान स्थानीय निधि अंकेक्षण अधिनियम 1954 के प्रावधानों के अनुसार ज.वि.प्रा. का अंकेक्षण परीक्षक, स्थानीय निधि अंकेक्षण द्वारा किये जाने को निर्धारित करती है। ज.वि.प्रा. अधिनियम की धारा 64 के अनुसार राज्य सरकार वार्षिक प्रतिवेदन मय लेखों के विवरण (ज.वि.प्रा. द्वारा तैयार एवं प्रस्तुत) राज्य विधान सभा के पटल पर रखेगी। राजस्थान स्थानीय निधि अंकेक्षण अधिनियम 1954 के अधीन बनाये गये राजस्थान स्थानीय निधि अंकेक्षण नियम 1955 के नियम 23 (एच) के अनुसार वार्षिक लेखों की शुद्धता का प्रमाणीकरण परीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। यह व्यक्त करता है कि ज.वि.प्रा. के लेखे नि.स्था.नि.अ.वि. द्वारा अनिवार्यतः प्रमाणित किये जाने थे।

नि.स्था.नि.अ.वि. द्वारा ज.वि.प्रा. की अवधि 2009-13 (नि.प्र. 2009-10 एवं 2010-13) के अंकेक्षण के दौरान, उक्त वर्णित नियम एवं विनियमों और संहिता प्रावधानों का उल्लंघन कर नि.स्था.नि.अं.वि. द्वारा न तो लेखों का प्रमाणीकरण किया गया न ही अंकेक्षण प्रमाण-पत्र जारी किया गया। राजस्थान सरकार के

माध्यम से राजस्थान विधान सभा में रखे गये ज.वि.प्रा. के 2011-12 से 2014-15 के अंकेक्षित वार्षिक लेखों के विवरणों से प्रकट होता है कि ये लेखे सनदी लेखाकार (स.ले.) द्वारा प्रमाणित थे। ज.वि.प्रा. अधिनियम में स.ले. से प्रमाणन करवाने का कोई प्रावधान विद्यमान नहीं है। यही नहीं ज.वि.प्रा. अधिनियम के अनुसार लेखे नि.स्था.नि.अं. से प्रमाणित करवाये जाने थे, जो कि नहीं किये जा रहे थे।

अवधि 2011-15 के लिये विधान सभा के समक्ष रखे गये स.ले. द्वारा ज.वि.प्रा. के अंकेक्षित लेखों की जांच में स.ले. द्वारा की गई कई टिप्पणियां पाई गईं। जिनमें से कुछ नीचे दी गई हैं:-

- (i) लागू लेखांकन मानकों का अनुसरण नहीं करना।
- (ii) स्थाई परिसम्पत्तियों की पंजिकाओं का संधारण नहीं करना।
- (iii) भौतिक सत्यापन का अभाव।
- (iv) विभिन्न बैंकों और निक्षेप लेखाओं का संधारण एवं समाधान नहीं करना।
- (v) विकास कार्यों के लिए अवाप्त भूमि से संबंधित व्यवहारों की प्रमात्रा एवं मूल्य का निश्चितीकरण और प्रतिवेदित नहीं करना।
- (vi) प्राधिकरण के संव्यवहारों की लेखांकन/प्रणाली पर आन्तरिक नियंत्रण एवं आन्तरिक जांच का अभाव।
- (vii) वसूलनीय राशि, प्राप्तियों का समाधान, रा.स. और नगर निगम जयपुर को रूपांतरण प्रभार/भूमि विक्रय प्रतिफल के भुगतान को नकद लेखांकन के कारण विकास भुगतान मानना, आदि।

स.ले. द्वारा वर्ष दर वर्ष उपरोक्त टिप्पणियां करने के बावजूद, ये कमियां मार्च 2015 तक लगातार जारी रही।

(ब) इसी तरह नि.स्था.नि.अं.वि. द्वारा अन्य संस्थाओं एवं प्राधिकरणों (जोधपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मण्डल, नगर सुधार न्यास (न.सु.न्या.) बीकानेर तथा भिवाडी) के अंकेक्षण के दौरान की गई टिप्पणियां<sup>37</sup> यथा वार्षिक लेखे प्राधिकरण की सत्य एवं उचित स्थिति नहीं दर्शाते, वार्षिक लेखे प्रमाणित नहीं

37

क्र.सं.	संस्था/प्राधिकरण का नाम	नि.प्र. अवधि	नि. स्था. नि.अं. विभाग प्रतिवेदन में टिप्पणियां
1	जोधपुर विकास प्राधिकरण	(2012-13 से 2013-14)	वार्षिक लेखे प्राधिकरण की सत्य एवं उचित स्थिति नहीं दर्शाते
2	राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर	(2012-2013)	वार्षिक लेखे प्रमाणित नहीं
3	नगर सुधार न्यास, बीकानेर	(2008-2013)	वार्षिक लेखों को प्रमाणित करना सम्भव नहीं था
4	नगर सुधार न्यास, भिवाडी	(2013-2014)	वार्षिक लेखे प्रमाणित नहीं किये गये

किये गये, दर्शाती है कि नि.स्था.नि.अ.वि. लेखों को प्रमाणित करने में असमर्थ था।

इन संस्थाओं के वार्षिक लेखों के प्रमाणीकरण के अभाव में लेखों में वर्णित आंकड़ों की विश्वसनीयता एक सीमा तक प्रश्नयोग्य है।

## 1.8 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक आधारभूत ढाँचे की उपलब्धता उसके व्यय की गुणवत्ता को प्रतिबिम्बित करती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार के मूलतः तीन दृष्टिकोण शामिल होते हैं, यथा पर्याप्तता (लोक सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त प्रावधान), उपयोग की दक्षता एवं प्रभावोत्पादकता (चयनित सेवाओं के लिए परिव्यय-परिणाम के सम्बन्धों का आंकलन) पर व्यय।

### 1.8.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

सामाजिक क्षेत्र एवं आर्थिक आधारभूत ढाँचे से सम्बन्धित व्यय की राज्य सरकार को सौपी गयी जिम्मेदारियां मुख्यतया राज्य का विषय है। मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि राज्य मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, एवं स्वास्थ्य आदि पर अपने व्यय को बढ़ाये। न्यून राजकोषीय प्राथमिकता (किसी एक श्रेणी के अन्तर्गत व्यय का समग्र व्यय से अनुपात), यदि यह सम्बन्धित राष्ट्रीय औसत से नीचे है तो उस क्षेत्र विशेष से जोड़ कर देखी जाती है।

नीचे दी गयी तालिका 1.17 वर्ष 2014-15 के दौरान विकासात्मक व्यय, सामाजिक व्यय एवं पूँजीगत व्यय के सम्बन्ध में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता का विश्लेषण करती है।

तालिका 1.17: वर्ष 2011-12 एवं 2014-15 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	समग्र व्यय/ जीएसडीपी	विकासात्मक व्यय # / समग्र व्यय	सामाजिक क्षेत्र व्यय/ समग्र व्यय	आर्थिक क्षेत्र व्यय/ समग्र व्यय	पूँजीगत व्यय/ समग्र व्यय	शिक्षा/समग्र व्यय	स्वास्थ्य/ समग्र व्यय
सामान्य श्रेणी के राज्यों* का औसत (अनुपात) 2011-12	15.98	65.39	36.63	28.76	13.23	17.10	4.68
राजस्थान का औसत (अनुपात) 2011-12	14.94	69.00	38.75	30.25	11.50	18.90	5.45
सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत (अनुपात) 2014-15	16.49**	69.12	36.50	32.61	14.01	16.23	5.04
राजस्थान का औसत (अनुपात) 2014-15	19.38	74.49	39.40	35.09	14.46	17.44	5.80

\* पांडिचेरी के अतिरिक्त सामान्य श्रेणी के राज्य।

\*\* गोवा एवं पांडिचेरी के अतिरिक्त सामान्य श्रेणी के राज्य।

# विकासात्मक व्यय में विकासात्मक राजस्व व्यय, विकासात्मक पूँजीगत व्यय तथा संवितरित ऋण एवं अग्रिम शामिल है।

स्रोत: (i) राजस्थान की जीएसडीपी के लिए आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार से संग्रहित सूचना एवं वित्त लेखे (ii) सामान्य श्रेणी के राज्यों की जीएसडीपी के लिए 31 जुलाई 2015 को सीएसओ की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना सिवाय केरल एवं गुजरात के प्रकरणों में जहाँ पीएजी द्वारा आँकड़े उपलब्ध करवाये गये।



तालिका 1.17 निम्नानुसार इंगित करती है:

- वर्ष 2014-15 के दौरान सामान्य श्रेणी के राज्यों (16.49 प्रतिशत) की तुलना में राज्य अपने जीएसडीपी का समग्र व्यय (19.38 प्रतिशत) के अनुपात में अधिक खर्च कर रहा है।
- समग्र व्यय के अंश के रूप में विकासात्मक व्यय सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से अधिक है।
- समग्र व्यय के अंश के रूप में सामाजिक क्षेत्र व्यय सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से भी अधिक है।
- समग्र व्यय के अंश के रूप में आर्थिक क्षेत्र व्यय सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से भी अधिक है।
- राजस्थान द्वारा 2011-12 की तुलना में 2014-15 के दौरान पूँजीगत व्यय में वृद्धि को प्राथमिकता दी गई है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2014-15 में पूँजीगत व्यय का समग्र व्यय से अनुपात सामान्य श्रेणी राज्यों के औसत अंश से अधिक रहा।

### 1.8.2 व्यय के उपयोग की दक्षता

सामाजिक एवं आर्थिक विकास की दृष्टि से विकास शीर्षों पर सार्वजनिक व्यय के महत्व को देखते हुए राज्य सरकारों के लिए व्यय सुव्यवस्थीकरण के समुचित उपाय करना और कोर पब्लिक गुड्स एण्ड मैरिट गुड्स<sup>38</sup> के प्रावधान पर बल देना, महत्वपूर्ण है। विकासात्मक व्यय<sup>39</sup> के लिए आवंटन में सुधार के अतिरिक्त, व्यय के उपयोग की दक्षता पूँजीगत व्यय का कुल व्यय (एवं/अथवा जीएसडीपी) से अनुपात और विद्यमान सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के प्रचालन एवं रख रखाव पर किये जा रहे राजस्व व्यय के समानुपात द्वारा भी प्रतिबिम्बित होती है।

<sup>38</sup> कोर पब्लिक गुड्स वह साधन एवं सेवाएँ हैं जिसका सभी नागरिक समान रूप से उपयोग इस भाव से करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इनके उपयोग करने से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसी सामग्री के उपभोग करने में कमी नहीं आती है, उदाहरणार्थ कानून एवं व्यवस्था का प्रवर्तन, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षण, प्रदूषण रहित वायु एवं अन्य पर्यावरणीय साधन तथा सड़क आधारभूत संरचनाएँ इत्यादि। मैरिट गुड्स वे जिन्स हैं जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र निःशुल्क अथवा रियायती दरों पर उपलब्ध कराता है क्योंकि वे किसी व्यक्ति तथा समाज के पास, सरकार को भुगतान करने की इच्छा एवं क्षमता के बजाय, आवश्यकता की कुछ धारणा के आधार पर होने चाहिए और इसलिए उनके उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहता है। इन जिन्सों की व्यवस्था के उदाहरणों में गरीबों को पोषण देने के लिए निःशुल्क अथवा रियायती दर पर खाद्यान्न, अस्वस्थता में कमी एवं जीवन स्तर में सुधार करने के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना, सभी को बुनियादी शिक्षा प्रदान करना, पीने का पानी, सफाई व्यवस्था इत्यादि।

<sup>39</sup> व्यय के आँकड़ों के विश्लेषण को विकासात्मक एवं गैर-विकासात्मक व्यय में अलग-अलग किया गया है। राजस्व लेखे, पूँजीगत परिव्यय तथा कर्जे एवं अग्रिम से सम्बन्धित सभी व्ययों को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं एवं सामान्य सेवाओं में श्रेणीबद्ध किया गया है। मोटे तौर पर सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएँ विकासात्मक व्यय बनाते हैं, जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय को गैर-विकासात्मक व्यय माना गया है।

इन घटकों का कुल व्यय (एवं/अथवा जीएसडीपी) से अनुपात जितना अधिक होगा, व्यय की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होगी। **तालिका 1.18** राज्य की चालू वर्ष के दौरान कुल व्यय के सापेक्ष उस वर्ष के बजटीय एवं गत वर्ष में वास्तविक की तुलना में विकासात्मक व्यय की प्रवृत्तियों प्रस्तुत करती है।

**तालिका 1.18: विकासात्मक व्यय**

(₹ करोड़ में)

विकासात्मक व्यय के घटक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	
					बजट अनुमान	वास्तविक
अ. विकासात्मक राजस्व व्यय	28,115 (55.8)	34,672 (56.0)	42,701 (55.8)	51,921 (57.7)	78,418 (58.8)	66,674 (59.9)
ब. विकासात्मक पूँजीगत व्यय	5,096 (10.1)	6,915 (11.2)	10,434 (13.6)	13,330 (14.8)	19,798 (15.7)	15,569 (14.0)
स. विकासात्मक कर्जे एवं अग्रिम	262 (0.5)	1,109 (1.8)	2,412 (3.2)	812 (0.9)	518 (0.4)	701 (0.6)
<b>विकासात्मक व्यय(अ से स)</b>	<b>33,473 (66.4)</b>	<b>42,696 (69.0)</b>	<b>55,547 (72.6)</b>	<b>66,063 (73.4)</b>	<b>98,734 (78.1)</b>	<b>82,944 (74.5)</b>
विकासात्मक व्यय की वृद्धि दर	9.0	27.6	30.1	18.9		25.6

कोष्ठक में संख्या समग्र व्यय से प्रतिशतता को प्रकट करती है।

स्रोत: वित्त लेखे एवं बजट प्रपत्र

विकासात्मक व्यय में सामाजिक-आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय, पूँजीगत परिव्यय तथा कर्जे एवं अग्रिम शामिल है। वर्ष 2014-15 पर्यन्त इसकी कुल व्यय से प्रतिशतता, 2010-11 में 66.4 से बढ़कर 74.5 हो गयी। औसत रूप से वर्ष 2010-15 के दौरान विकासात्मक व्यय का औसत 79.8 प्रतिशत राजस्व खाते पर तथा शेष ऋण एवं अग्रिम सहित पूँजीगत खाते पर रहा।

सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 28 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 2013-14 के ₹ 4,551 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में 5,838 करोड़ हो गया एवं इसका कुल पूँजीगत व्यय के साथ अनुपात भी 2013-14 में 33 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 36 प्रतिशत हो गया। आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 11 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 2013-14 के ₹ 8,779 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 9,731 करोड़ हो गया।

गत वर्ष की तुलना में 2014-15 में सरकार द्वारा आर्थिक सेवाओं के सम्बन्ध में प्राथमिकता वाले क्षेत्र जैसे परिवहन, सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण, ऊर्जा, कृषि एवं सम्बद्ध कार्य कलाप पर पूँजीगत परिव्यय क्रमशः ₹ 409 करोड़, ₹ 194 करोड़, ₹ 291 करोड़, ₹ 165 करोड़ अधिक किया गया।

नीचे दी गयी तालिका 1.19 पूँजीगत व्यय तथा चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के रख-रखाव पर किये गये राजस्व व्यय के घटकों का विवरण प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.19: चयनित सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं में व्यय उपयोग की दक्षता

(प्रतिशत में)

क्षेत्र	2013-14			2014-15		
	पूँजीगत व्यय का कुल व्यय से अनुपात	राजस्व व्यय में		पूँजीगत व्यय का कुल व्यय से अनुपात	राजस्व व्यय में	
		वेतन एवं मजदूरी	संचालन एवं अनुरक्षण		वेतन एवं मजदूरी	संचालन एवं अनुरक्षण
<b>(अ) सामाजिक सेवायें</b>						
सामान्य शिक्षा	0.42	59.96	नगण्य	0.29	52.99	नगण्य
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	7.09	66.70	0.16	7.50	58.50	0.15
जलापूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	46.95	25.74	1.94	51.94	26.45	1.75
<b>योग (अ)</b>	<b>12.63</b>	<b>43.35</b>	<b>0.32</b>	<b>15.65</b>	<b>41.01</b>	<b>0.25</b>
<b>(ब) आर्थिक सेवायें</b>						
कृषि एवं सम्बद्ध कार्य कलाप	9.83	34.38	0.37	12.10	34.27	0.41
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	39.18	20.28	9.10	42.50	20.43	12.97
विद्युत एवं ऊर्जा	35.38	0.01	0.00	31.76	नगण्य	0.00
परिवहन	59.62	7.14	60.60	60.17	6.85	54.20
<b>योग (ब)</b>	<b>30.05</b>	<b>9.38</b>	<b>5.62</b>	<b>34.68</b>	<b>7.75</b>	<b>4.30</b>
<b>महायोग (अ+ब)*</b>	<b>20.43</b>	<b>29.98</b>	<b>2.40</b>	<b>23.60</b>	<b>26.57</b>	<b>2.01</b>

स्रोत: वित्त लेखे

\* (सामाजिक सेवाओं पर व्यय + आर्थिक सेवाओं पर व्यय) / कुल व्यय X 100

### सामाजिक सेवाओं पर व्यय

कुल राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी पर व्यय का अंश 2013-14 में 43.35 प्रतिशत से कम होकर 2014-15 में 41.01 प्रतिशत रह गया।

### आर्थिक सेवाओं पर व्यय

कुल राजस्व व्यय में आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत वेतन एवं मजदूरी पर व्यय का अंश 2013-14 के 9.38 प्रतिशत से कम होकर 2014-15 में 7.75 प्रतिशत रह गया।

### संचालन एवं अनुरक्षण पर व्यय

यह सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है कि संचालन एवं अनुरक्षण के लिए पर्याप्त निधि का आवंटन किया गया है क्योंकि परिसम्पत्तियों को अनुरक्षित रखा जाना

होता है। सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं के राजस्व व्यय में, संचालन एवं अनुरक्षण का अंश 2014-15 में 2.01 प्रतिशत रहा। वर्ष 2014-15 के दौरान, संचालन एवं अनुरक्षण के लिए कुल राजस्व व्यय का मात्र 1.51 प्रतिशत आवंटित किया गया।

सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में अनुरक्षण एवं रख-रखाव का अंश, 2013-14 के 0.32 प्रतिशत एवं 5.62 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में क्रमशः 0.25 प्रतिशत एवं 4.30 प्रतिशत हो गया। वित्त लेखे के अनुसार वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य सरकार ने अपनी सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के रख-रखाव के लिए मात्र ₹ 1,465.19 करोड़ (राजस्व: ₹ 1,423.62 करोड़, पूँजीगत: ₹ 41.57 करोड़) रखे।

### 1.8.3 आयोजना एवं आयोजना-भिन्न व्यय

वित्त लेखे व्यय का आगे वर्गीकरण, आयोजना एवं आयोजना-भिन्न व्यय में करते हैं। आयोजना व्यय जिसमें राजस्व एवं पूँजीगत व्यय दोनों शामिल हैं, सामान्यतः नई परियोजनाओं अथवा योजनाओं पर हुए वृद्धिशील विकासात्मक व्यय से संबंधित है। पहले से ली जा रही सेवाओं के स्तर को बनाये रखने के लिए सामान्यतः आयोजना-भिन्न व्यय का उपयोग किया जाता है। निम्न तालिका 1.20 विगत पाँच वर्षों में आयोजना तथा आयोजना-भिन्न व्यय की वृद्धि एवं घटकों को प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.20: आयोजना एवं आयोजना-भिन्न व्यय में वृद्धि

(₹ करोड़ में)

		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
आयोजना	राजस्व	8,752	12,416	14,235	17,364	27,444
	पूँजीगत	5,231	7,103	10,682	13,676	16,087
	ऋण	189	1,051	2,242	664	646
	<b>योग</b>	<b>14,172</b>	<b>20,570</b>	<b>27,159</b>	<b>31,704</b>	<b>44,177</b>
	आयोजना की कुल व्यय से प्रतिशतता	28	33	35	35	40
आयोजना-भिन्न	राजस्व	36,121	41,238	49,227	58,146	67,098
	पूँजीगत	20	16	1	(-) 12	16
	ऋण	73	58	170	148	55
	<b>योग</b>	<b>36,214</b>	<b>41,312</b>	<b>49,398</b>	<b>58,282</b>	<b>67,169</b>
	आयोजना-भिन्न की कुल व्यय से प्रतिशतता	72	67	65	65	60
<b>कुल व्यय</b>	<b>50,386</b>	<b>61,882</b>	<b>76,557</b>	<b>89,986</b>	<b>1,11,346</b>	

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2011-15 के दौरान कुल व्यय से आयोजना व्यय के अंश में लगातार वृद्धि दर्शाई जो व्यय की उत्पादक गुणवत्ता का संकेत है। वर्ष 2010-15 की अवधि के दौरान आयोजना व्यय 2010-11 के ₹ 14,172 करोड़ से 212 प्रतिशत बढ़कर 2014-15 में ₹ 44,177 करोड़ एवं इसी अवधि के दौरान आयोजना-भिन्न व्यय ₹ 36,214 करोड़ से 85 प्रतिशत बढ़कर ₹ 67,169 करोड़ हो गया।

आयोजना राजस्व व्यय (आराव्य) एवं आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय (आभिराव्य) में 2010-15 की अवधि में लगातार वृद्धि हुई। आराव्य गत वर्ष की तुलना में 58.1 प्रतिशत से बढ़ा जो कि 2014-15 के लिए आराव्य एमटीएफपीएस में अनुमानित 119.8 प्रतिशत की वृद्धि से कम था। इसी प्रकार, आभिराव्य में 15.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि 2014-15 के लिये एमटीएफपीएस में किये गये 14.2 प्रतिशत के आंकलन से अधिक थी।

### 1.8.3.1 आयोजना राजस्व व्यय

आयोजना राजस्व व्यय में गत वर्ष की तुलना में ₹ 10,080 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः, मुख्यशीर्ष ग्रामीण रोजगार (₹ 3,308 करोड़), सामान्य शिक्षा (₹ 3,027 करोड़), अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (₹ 1,562 करोड़) एवं परिवार कल्याण (₹ 1,068 करोड़) के अन्तर्गत थी। वर्ष 2014-15 के दौरान आयोजन राजस्व व्यय का राजस्व व्यय से अनुपात गत वर्ष (23 प्रतिशत) की तुलना में 6 प्रतिशतता बिन्दु अधिक रहा।

### 1.8.3.2 आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय

चालू वर्ष के दौरान आभिराव्य में ₹ 8,952 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः विद्युत (₹ 2,006 करोड़), ब्याज अदायगियों (₹ 1,400 करोड़), पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ (₹ 1,185 करोड़), सामान्य शिक्षा (₹ 1,030 करोड़) एवं सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (₹ 915 करोड़) के कारण हुई। आभिराव्य राजस्व व्यय का 71 प्रतिशत एवं कुल व्यय का 60 प्रतिशत रहा।

तेरहवें वित्त आयोग और राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन की तुलना में वास्तविक आभिराव्य एवं आराव्य निम्नानुसार रहे।

तालिका 1.21: तेरहवें वित्त आयोग एवं एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन की तुलना में आभिराव्य एवं आराव्य

(₹ करोड़ में)

	तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किया गया आंकलन	राजस्थान सरकार द्वारा एमटीएफपीएस में किया गया आंकलन	वास्तविक व्यय
आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय	38,119	69,302	67,098
आयोजना राजस्व व्यय	लागू नहीं	36,085	27,444

स्रोत: वित्त लेखे, बजट प्रपत्र एवं तेरहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन

वास्तविक आभिराव्य तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये मानक आंकलन से ₹ 28,979 करोड़ (76 प्रतिशत) अधिक हुआ। तथापि, यह राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन से ₹ 2,204 करोड़ (3.2 प्रतिशत) कम रहा। वास्तविक आराव्य भी एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन से ₹ 8,641 (23.9 प्रतिशत) करोड़ कम रहा।

### 1.8.4 मुख्य फ्लैगशिप कार्यक्रम/योजनाएँ

फ्लैगशिप कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी बुनियादी आधारभूत संरचना का निर्माण करने के उद्देश्य से बुनियादी सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए समग्रता में वृद्धि तथा गरीबी कम करने के उद्देश्य से लागू किये जाते हैं। भारत सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशेष कार्यक्रमों को मजबूती के साथ लागू/पुनर्स्थापन करती है। फ्लैगशिप कार्यक्रम/योजनाओं के पीछे मूल उद्देश्य जनता के जीवन स्तर में व्यापक सुधार लाना है।

वार्षिक योजना 2014-15 में भारत सरकार ने 17 मुख्य फ्लैगशिप कार्यक्रम अनुमोदित किये। राज्य बजट, बजट सम्बन्धी प्रलेखों और वित्त लेखे 2014-15 से सम्बन्धित अभिलेखों में शामिल सूचनाओं के अनुसार, राज्य योजना में केन्द्र सरकार के 17 फ्लैगशिप कार्यक्रमों के सम्बन्ध में वित्तीय स्थिति नीचे सारांकित की गई है:

फ्लैगशिप कार्यक्रमों/योजनाओं में बजट अनुमान तथा वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	फ्लैगशिप कार्यक्रमों/योजनाओं की प्रकृति	कार्यक्रमों/योजनाओं की संख्या	राज्य योजना के लिए बजट अनुमान	राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता	भारत सरकार द्वारा जारी राशी	व्यय	बचत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	केन्द्रीय	17	22,091.69	17,246.82	11,870.40	16,679.99	5,411.70

नीचे दी गई तालिका 1.22 के अनुसार 11 कार्यक्रमों/योजनाओं में अनुमानों के विरुद्ध व्यय में वृहद् कमी (30 प्रतिशत से अधिक) साक्ष्यांकित थी।

तालिका 1.22 मुख्य फ्लैगशिप कार्यक्रम/योजनाओं में वृहद् कमी

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	कार्यक्रमों/योजना का नाम	बजट अनुमान	कुल व्यय	व्यय में कमी	प्रतिशत के रूप में कमी
1	निर्मल भारत अभियान (एनबीए)(75:25)	298.33	186.17	112.16	38
2	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)	2,774.00	1,823.05	950.95	34
3	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि जिला घटक (बीआरजीएफ)	335.83	215.05	120.78	36
4	राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण योजना (आरजीपीएसवाई)	72.00	15.22	56.78	79
5	इन्दिरा आवास योजना (आईएवाई)	859.55	567.05	292.50	34
6	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (मनरेगा)	4,800.00	3,230.01	1,569.99	33
7	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	960.00	405.66	554.34	58
8	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)	238.49	20.51	217.98	91

क्रम संख्या	कार्यक्रमों/योजना का नाम	बजट अनुमान	कुल व्यय	व्यय में कमी	प्रतिशत के रूप में कमी
9	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नवीनीकरण शहरी मिशन (जेएलएनयूआरएम)	882.35	209.04	673.31	76
10	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आईसीडीएस)	1,392.61	908.62	483.99	35
11	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआरबीपी)	527.44	295.83	231.61	44
	<b>योग</b>	<b>13,140.60</b>	<b>7,876.21</b>	<b>5,264.39</b>	

निधियों का उपयोग नहीं किया जाना सम्बन्धित विभागों द्वारा मुख्य केन्द्रीय योजनाओं के निष्पादन एवं निगरानी में रुचि के अभाव को इंगित करता है। उपयोग में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी चार योजनाओं अर्थात् राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण योजना (79 प्रतिशत), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (58 प्रतिशत), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (91 प्रतिशत) और जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (76 प्रतिशत) के अन्तर्गत पाई गई। आयोजना विभाग (परिवीक्षण) ने सूचित किया (जुलाई और अगस्त 2015) कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 के दौरान केन्द्र/राज्य सरकार के किसी कार्यक्रम/योजना को फ्लेगशिप घोषित नहीं किये जाने के कारण फ्लेगशिप कार्यक्रमों का परिवीक्षण नहीं किया गया ।

## 1.9 सरकारी व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

पश्च-एफआरबीएम ढांचे में, राज्य से अपने राजकोषीय घाटे को निचले स्तरों पर रखने के साथ अपने पूँजीगत व्यय/निवेश (कर्जे तथा अग्रिमों सहित) की आवश्यकताओं को पूरा करने की भी अपेक्षा की जाती है। इसके साथ ही बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता के संक्रमण हेतु, राज्य सरकार को अपने निवेशों पर पर्याप्त प्रतिलाभ अर्जित करने एवं उधार लिए गए कोषों की लागत को, अपने बजट में अप्रत्यक्ष अर्थ-सहाय्य के रूप में दिखाने के स्थान पर वसूल करने के उपाय प्रारम्भ करने तथा उसे वित्तीय प्रचालनों में पारदर्शिता लाने हेतु अपेक्षित उपाय करने की आवश्यकता होती है । यह भाग गत वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किये गये निवेश तथा अन्य पूँजीगत व्यय के विश्लेषण को प्रस्तुत करता है।

### 1.9.1 सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणाम

मार्च 2015 के अन्त तक ₹ 6,052.94 करोड़ के पूँजीगत परिव्यय से पूर्ण की गयी 6 वृहद् एवं 11 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं (*परिशिष्ट 1.8*) के वित्तीय परिणामों से प्रकट हुआ कि परियोजनाओं से वर्ष 2014-15 के दौरान प्राप्त किया गया राजस्व (₹ 47.60 करोड़) पूँजीगत व्यय का केवल 0.8 प्रतिशत था। यह प्रत्यक्ष कार्यचालन व्ययों की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं था। कार्यचालन तथा

अनुरक्षण व्यय (₹ 228.80 करोड़) तथा ब्याज प्रभार (₹ 572.52 करोड़) को पूरा करने के पश्चात् परियोजनाओं ने ₹ 753.72 करोड़ की निवल हानि उठायी।

राजस्थान में इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना (इगांनप), निष्पादनाधीन सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है और इसके विभिन्न चरण गत वर्षों में पूर्ण किये जा चुके हैं। मार्च 2015 के अन्त तक इगांनप पर पूँजीगत व्यय ₹ 4,600.34 करोड़ था। इगांनप से वर्ष 2014-15 के दौरान प्राप्त किया गया राजस्व ₹ 16.99 करोड़, पूँजीगत व्यय का मात्र 0.37 प्रतिशत था। यह राजस्व कुल कार्यचालन तथा अनुरक्षण व्यय (₹ 132.15 करोड़) एवं ब्याज प्रभार के (₹ 446.95 करोड़) के संदर्भ में भी नगण्य (2.93 प्रतिशत) था। परियोजना ने ₹ 562.11 करोड़ की निवल हानि उठायी।

राज्य में गंग नहर दूसरी सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। मार्च 2015 के अन्त तक गंग नहर पर पूँजीगत व्यय ₹ 552.03 करोड़ था। वर्ष 2014-15 के दौरान गंग नहर से प्राप्त किया गया राजस्व ₹ 4.29 करोड़ था जो कि कार्यचालन तथा अनुरक्षण व्यय (₹ 21.69 करोड़) एवं ब्याज प्रभार (₹ 52.69 करोड़) की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं था। परियोजना ने ₹ 70.09 करोड़ की निवल हानि उठायी।

इन परियोजनाओं पर भारी हानियों का मुख्य कारण विगत 5 सालों से बिना संशोधन के प्रचलित कम पानी की दरें हैं। सिंचाई विभाग ने बताया है कि यह राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है।

### 1.9.2 अपूर्ण परियोजनाएं

31 मार्च 2015 को अपूर्ण परियोजनाओं से सम्बन्धित विभाग-वार सूचना निम्न प्रकार है:

तालिका 1.23: अपूर्ण परियोजनाओं की विभाग-वार रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की कुल संख्या	सभी अपूर्ण परियोजनाओं की मूल स्वीकृत लागत	44 जिन्हें संशोधित किया गया, की मूल अनुमानित लागत		44 अपूर्ण परियोजनाओं की संशोधित लागत	44 संशोधित परियोजनाओं की लागत वृद्धि	31 मार्च 2015 को सभी अपूर्ण परियोजनाओं पर संचित वास्तविक व्यय
			संख्या	राशि			
जल संसाधन विभाग/ परियोजनाएं	50	4,224.78	19	978.02	4,155.11	3,177.09	3,367.50
सार्वजनिक निर्माण विभाग/ परियोजना	76	1,525.68	9	118.87	200.81	81.94	906.75
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	73	20,432.80	16	4280.96	6459.33	2178.37	6,892.70
<b>योग</b>	<b>199</b>	<b>26,183.26</b>	<b>44</b>	<b>5377.85</b>	<b>10815.25</b>	<b>5437.40</b>	<b>11,166.95</b>

स्रोत: वित्त लेखे



राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 31 मार्च 2015 को 199 अपूर्ण परियोजनाएं (प्रत्येक ₹ 10 करोड़ से अधिक) थीं जिनमें ₹ 11,167 करोड़ की राशि अवरूद्ध थी। इनमें से 45 परियोजनाएँ (₹ 9,682.93 करोड़) विगत 5 से 21 वर्षों से अपूर्ण थीं जिसमें से 26 अपूर्ण परियोजनाओं की संशोधित लागत ₹ 4,308 करोड़ (आरम्भिक लागत) से 98 प्रतिशत बढ़कर ₹ 8,545 करोड़ हो गयी। इस प्रकार कुल लागत वृद्धि ₹ 5,437 करोड़ थी जिसमें से नर्मदा जालौर परियोजना में ही ₹ 467.53 करोड़ से ₹ 2,481.49 करोड़ अर्थात् 431 प्रतिशत (₹ 2,013.96 करोड़) की वृद्धि हुई। सभी अपूर्ण परियोजनाओं/निर्माण कार्यों में अवरूद्ध राशि (₹ 11,166.95 करोड़) राज्य के संचयी पूँजीगत व्यय (₹ 1,08,971.29 करोड़) का 10 प्रतिशत थी।

**तालिका 1.24** में वर्णित 12 परियोजनाओं (प्रत्येक परियोजना ₹ 10 करोड़ से अधिक) में विगत वर्ष 2014-15 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया। मार्च 2014 तक किया गया व्यय और मार्च 2015 तक किया गया संचयी व्यय वही ₹ 70.67 करोड़ रहा।

तालिका 1.24: अपूर्ण परियोजनाओं पर वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय नहीं

(₹ करोड़ में)				
क्र. सं.	परियोजना का नाम	कार्य प्रारम्भ का वर्ष	वास्तविक स्वीकृति लागत	31.03.2015 को संचित वास्तविक व्यय
<b>जल संसाधन विभाग की परियोजनाएँ</b>				
1.	अहमदी	2007-08	18.97	0.01
2.	दोहरी माइनर	2012-13	21.30	0.04
3.	हदमथिया	2012-13	13.23	2.53
4.	बी बी एस सी आर डी 115 से 118.59 किमी (एम आई एस-X)	2013-14	15.31	0.00
5.	बी बी एस सी आर डी 118.59 से 120.84 किमी (एम आई एस-XI)	2013-14	14.22	0.00
<b>सार्वजनिक निर्माण विभाग की परियोजनाएँ</b>				
6.	बयाना में राजकीय बालिका कॉलेज तथा छात्रावास का निर्माण	2011-12	10.64	0.02
7.	धौलपुर एस डब्ल्यू एम जी जी सी मथुरा रोड़ पर आर ओ बी का निर्माण (एस एच 1) किमी. 230	2007-08	10.00	21.57
8.	रास कामोस नागलेव जेटाना मांगलीवास रोड़	उपलब्ध नहीं	20.00	15.38
9.	रामठला बजता घटियाली नपाखेरा सड़क पर खारी नदी पर उच्च स्तरीय पुल	2009-10	12.01	8.64
10.	बनास नदी पर एस एच 37-ए से बोदुण्डा राजमहल देवली (बी आर-23) सी डी कार्य का निर्माण	2012-13	20.83	17.21
11.	आर ओ बी श्रीमहावीरजी एल. सी. सं. 195 डब्ल्यू सी आर	2011-12	18.77	0.10
<b>जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की परियोजनाएँ</b>				
12.	यू डब्ल्यू एस एस हनुमानगढ़ फेज II का पुनर्गठन	2013-14	16.29	5.17
<b>योग</b>			<b>191.57</b>	<b>70.67</b>

स्रोत: वित्त लेखे

उक्त तालिका में यह देखा जा सकता है कि यद्यपि जल संसाधन विभाग की पाँच परियोजनाओं को 2007-08, 2012-13 तथा 2013-14 में प्रारम्भ किया गया था, स्वीकृत ₹ 83.03 करोड़ की लागत के सन्दर्भ में नगण्य (₹ 2.58 करोड़) व्यय किया गया।

*निर्धारित समय में परियोजनाओं के पूर्ण नहीं होने के कारण न केवल समाज को मिलने वाले सम्भावित लाभ में विलम्ब हुआ बल्कि इनकी पूर्णता में समय वृद्धि के कारण राजकोष की लागत में भी गत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई।*

### 1.9.3 निवेश एवं प्रतिलाभ

31 मार्च 2015 तक सरकार ने 43 सरकारी कम्पनियों (₹ 26,423.44 करोड़), 7 सांविधिक निगमों (₹ 764.34 करोड़), 2 ग्रामीण बैंकों (₹ 73.69 करोड़), 25 संयुक्त पूँजी कम्पनियों (₹ 140.65 करोड़) और सहकारी बैंकों तथा समितियों (₹ 507.47 करोड़) में ₹ 27,909.59 करोड़ का निवेश किया। उक्त निवेश में अकार्यशील सांविधिक निगमों में ₹ 19.37 करोड़ एवं अकार्यशील सरकारी कम्पनियों में ₹ 10.83 करोड़ का निवेश भी शामिल है। इस निवेश पर विगत चार वर्षों में औसत प्रतिलाभ 0.1 से 0.4 प्रतिशत रहा जबकि सरकार ने अपनी उधारों पर 7.3 से 7.7 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज चुकाया (तालिका 1.25), इस प्रकार राज्य को निवेश पर प्रतिलाभ अत्यधिक कम रहा ।

*उधार लिए गए कोष का ऐसे निवेश के लिए लगातार उपयोग, जिससे पर्याप्त वित्तीय लाभ प्राप्त नहीं होता है, असाध्य वित्तीय स्थिति की ओर ले जायेगा।*

तालिका 1.25: निवेश पर प्रतिलाभ

निवेश/प्रतिलाभ/उधारों की लागत	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
वर्ष के अन्त तक निवेश (₹ करोड़ में)	11,112.16	13,920.78	18,753.33	23,518.00	27,909.59
प्रतिलाभ (₹ करोड़ में)	20.76	57.58	57.18	24.60	63.33
प्रतिलाभ (प्रतिशत में)	0.2	0.4	0.3	0.1	0.2
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर <sup>40</sup> (प्रतिशत)	7.7	7.7	7.4	7.3	7.5
ब्याज दर एवं प्रतिलाभ का अन्तर (प्रतिशत)	7.5	7.3	7.1	7.2	7.3

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2014-15 के दौरान, राज्य सरकार का सरकारी कम्पनियों, ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों और समितियों में निवल निवेश ₹ 4,391.59 करोड़ था। इसमें से

<sup>40</sup> गणना की पद्धति के लिए शब्दावली पृष्ठ 178 पर देखें।

₹ 3,959.21 करोड़<sup>41</sup> का निवेश हानि में चल रही पाँच सांविधिक निगमों/सरकारी कम्पनियों मुख्यतः चार बिजली कम्पनियों में किया गया। सरकार ने 31 मार्च 2015 तक ₹ 24,093.30 करोड़ (कुल निवेश का 86 प्रतिशत) पाँच बिजली कम्पनियों में निवेश किए।

राज्य सरकार के निवेश में 40 कार्यशील सरकारी कम्पनियों में ₹ 26,412.60 करोड़ सम्मिलित थे जिनमें से केवल सात कम्पनियों ने ₹ 514.83 करोड़ के निवेश के समक्ष कुल ₹ 60.31 करोड़ का लाभांश घोषित किया।

राशि ₹ 25,012.63 करोड़ का कुल निवेश, 2 सांविधिक निगमों, 18 सरकारी कम्पनियों एवं 6 संयुक्त स्टॉक कम्पनियों में किया गया और इन कम्पनियों की संचित हानि की राशि ₹ 73,650.73 करोड़ थी, जिसमें से पाँच बिजली कम्पनियों में संचित हानि की राशि ₹ 71,899.49 करोड़<sup>42</sup> थी।

*राज्य स्वामित्व वाले कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भारी हानियों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार को उनके कामकाज की समीक्षा करने पर विचार करना चाहिए ताकि उनकी हानियों को कम किया जा सके, और उनसे प्रतिलाभ प्राप्त करने के सम्बन्ध में समुचित रणनीति बनायी जानी चाहिये। यह देखा जाना महत्वपूर्ण है कि विद्युत कम्पनियों द्वारा भारी हानियाँ लेखांकित किये जाने के बावजूद, राज्य सरकार अत्यधिक कम दर के प्रतिलाभ पर उनमें महत्वपूर्ण निवेश करती रही जिनमें अन्यथा वित्तीय नवीनीकरण योजनाएँ लागू कर नवजीवन का संचार कर मजबूती प्रदान करनी चाहिये थी।*

तेरहवें वित्त आयोग ने राज्य सरकार को अकार्यशील कम्पनियों को बन्द करने के लिए मार्च 2011 तक एक रोडमैप तैयार करने की सिफारिश की थी। तथापि, यह दृष्टिगत हुआ कि सरकार ने छः अकार्यशील सांविधिक निगमों/सरकारी कम्पनियों<sup>43</sup> के सम्बन्ध में कोई रोडमैप तैयार नहीं किया।

<sup>41</sup> (i) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 1,041.10 करोड़; (ii) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 988.46 करोड़; (iii) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 968.15 करोड़; (iv) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड: ₹ 881.50 करोड़ तथा (v) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर: ₹ 80 करोड़।

<sup>42</sup> (i) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 23,096.51 करोड़; (ii) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 23,250.87 करोड़; (iii) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 22,590.33 करोड़; (iv) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड: ₹ 1,584.53 करोड़ एवं (v) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड: ₹ 1,377.25 करोड़।

<sup>43</sup> (i) राजस्थान भूमि विकास निगम, जयपुर: (₹ 19.36 करोड़), (ii) राजस्थान राज्य मण्डी विकास निगम, जयपुर: (₹ 0.65 लाख), (iii) राजस्थान जल प्रदाय और मल निकास निगम, जयपुर: (₹ 0.08 लाख), (iv) राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, जयपुर: (₹ 10.61 करोड़), (v) राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर: (₹ 16.75 लाख) एवं (vi) राजस्थान राज्य विद्युत निगम, जयपुर (₹ 5.00 लाख)।

### 1.9.4 विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम

कतिपय सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों द्वारा अर्द्ध-वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियाँ भी निष्पादित की जाती हैं। सरकार द्वारा किये गये निवेश की विभाग-वार स्थिति, वर्ष जब तक के प्रोफार्मा लेखाओं का अन्तिमीकरण किया गया, इन उपक्रमों में किये गये पूँजीगत निवेश पर प्रतिलाभ के साथ-साथ निवल लाभ/हानि को **परिशिष्ट 1.9 एवं 3.4** में दिया गया है। यह दृष्टिगत हुआ कि राज्य सरकार द्वारा 10 उपक्रमों में उस वित्तीय वर्ष के अन्त जब तक कि उनके लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया, राशि ₹ 13,875.22 करोड़ का निवेश किया गया था। इनमें से मात्र 2 उपक्रमों ने 2013-14 के दौरान राशि ₹ 22.38 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया जबकि लगातार हानि में चल रहे शेष 8 उपक्रमों की विगत पाँच वर्षों से अधिक समय से संचयी हानि ₹ 11,032.00 करोड़ रही।

### 1.9.5 राज्य सरकार द्वारा कर्जे एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कम्पनियों में निवेश के अतिरिक्त, सरकार इनमें से बहुत-सी संस्थाओं/संगठनों को कर्जे तथा अग्रिम भी प्रदान कर रही है। 31 मार्च 2015 को बकाया कर्जे तथा अग्रिम और विगत तीन वर्षों के दौरान ब्याज प्रप्तियों के समक्ष ब्याज अदायगियों को **तालिका 1.26** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.26: सरकार द्वारा दिये गये कर्जों पर प्राप्त औसत ब्याज

कर्जों की मात्रा/ब्याज प्राप्तियों/उधारों की लागत	2012-13	2013-14	2014-15	
			बजट अनुमान	वास्तविक
प्रारम्भिक शेष	3,198	4,508	4,958	5,004
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम राशि	2,412	812	518	701
वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि	1,102	316	151	1,004
<b>अन्तिम शेष</b>	<b>4,508</b>	<b>5,004</b>	<b>5,325</b>	<b>4,701</b>
निवल वृद्धि	1,310	496	367	(-) 303
ब्याज प्राप्तियाँ	150	143	-	129
बकाया कर्जे तथा अग्रिम से प्रतिशत के रूप में ब्याज प्राप्तियाँ	3.9	3.0	-	2.7
ब्याज अदायगियों की राज्य सरकार की बकाया राजकोषीय देयताओं से प्रतिशत	7.4	7.3	-	7.5
ब्याज अदायगियों तथा ब्याज प्राप्तियों में अन्तर (प्रतिशत)	(-) 3.5	(-) 4.3	-	(-) 4.8

स्रोत: वित्त लेखे

राज्य द्वारा उच्च दर पर उधार लिया गया जबकि दिये गये उधारों पर बहुत कम दर से ब्याज अर्जित किया गया।

विद्युत परियोजनाओं को ₹ 4,701 करोड़ के कुल कर्ज एवं अग्रिम में से, ₹ 2,560 करोड़ (54 प्रतिशत) के कर्ज एवं अग्रिम दिये गये। वर्ष के दौरान कर्जों तथा अग्रिमों के संवितरण की राशि वर्ष 2013-14 के ₹ 812 करोड़ से वर्ष 2014-15 में कम होकर ₹ 701 करोड़ रह गयी। वर्ष के दौरान दी गई कुल ऋण राशि में से सामाजिक सेवाओं के लिए ₹ 275 करोड़ एवं आर्थिक सेवाओं के लिए ₹ 426 करोड़ अन्तरित किये गये।

वर्तमान वर्ष के दौरान कर्जों का मुख्य अंश सामाजिक क्षेत्र के अन्तर्गत जयपुर मेट्रो रेल निगम लिमिटेड (₹ 216 करोड़), जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (₹ 51 करोड़) तथा आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 94 करोड़), खाद्य भण्डारण तथा भण्डारगृह के अन्तर्गत गोदामों का निर्माण (₹ 90 करोड़), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 71 करोड़), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 71 करोड़), तिलम संघ (₹ 35 करोड़) एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड (₹ 25 करोड़) को दिया गया। इन संस्थाओं (परिशिष्ट 1.10) द्वारा गत 12 वर्ष अथवा अधिक वर्षों से ₹ 68 करोड़ से अधिक का ऋण नहीं चुकाया गया।

#### 1.9.6 ऋण, जमा तथा प्रेषणों के अन्तर्गत प्रतिकूल शेष

उन लेखाशीर्षों के अन्तर्गत ऋणात्मक शेष जहाँ ऋणात्मक शेष नहीं होना चाहिये जो प्रतिकूल शेष कहलाता है। उदाहरणार्थ, किसी ऋण या अग्रिम के लेखांकन शीर्ष में ऋणात्मक शेष की गई वास्तविक राशि से अधिक पुनर्भुगतान को इंगित करता है।

31 मार्च 2015 तक ऋण, जमा तथा प्रेषण (डीडीआर) शीर्षों के अन्तर्गत 14 मुख्य शीर्षों<sup>44</sup> में राशि ₹ 439.64 करोड़ के 72 मामलों में प्रतिकूल शेष थे। प्रतिकूल शेष मुख्यतः बीमा तथा पेंशन निधि के अन्तर्गत नगरपालिका/नगर परिषद के कर्मचारियों (₹ 417.92 करोड़) की पेंशन निधि, स्थानीय निधि जमा के अन्तर्गत राजस्थान राज्य उत्पादन निगम लिमिटेड को वितरण (₹ 0.02 करोड़) तथा राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को वितरण (₹ 0.56 करोड़), कोषालय को प्रेषण (₹ 0.71 करोड़) तथा उसी लेखाधिकारी को लेखा भेजने वाले अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण तथा समायोजन के अन्तर्गत खण्ड द्वारा शीर्षों में समायोजन योग्य (₹ 2.03 करोड़) तथा सरकारी कर्मचारियों को कर्ज (₹ 2.35 करोड़) के अन्तर्गत थे।

<sup>44</sup> सरकारी कर्मचारियों को कर्ज (44 मामले: ₹ 2.35 करोड़), बीमा तथा पेंशन निधियाँ (2 मामले: ₹ 417.92 करोड़), राज्य प्रावधायी निधि (1 मामला: ₹ 0.01 करोड़), स्थानीय निकायों को जमा (2 मामले: ₹ 0.56 करोड़), भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम (7 मामले: ₹ 12.24 करोड़), 4 मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दिये गये कर्ज तथा अग्रिम (4 मामले: ₹ 0.05 करोड़), अन्य जमायें (1 मामले: ₹ 0.02 करोड़), सामान्य जमा (1 मामला: ₹ 0.05 करोड़), उच्चतम लेखा (6 मामले: ₹ 3.18 करोड़), सरकार द्वारा प्रतिभूति जमा (1 मामला: ₹ 0.52 करोड़) तथा उसी लेखाधिकारी को लेखा भेजने वाले अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण तथा समायोजन (3 मामले: ₹ 2.74 करोड़)।

### 1.9.7 निजी जन सहभागिता परियोजनाओं के अन्तर्गत राज्य को उपलब्ध संसाधन

पर्याप्त आधारभूत विकासात्मक गतिविधियों के लिए जनता की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये निजी जन सहभागिता (पीपीपी) सरकार या वैधानिक इकाई और निजी क्षेत्र की इकाई के मध्य ढांचा प्रदान करने की एक व्यवस्था है। राजस्थान सरकार द्वारा योजना विभाग में स्थापित पीपीपी प्रकोष्ठ (जुलाई 2007) आधारभूत विकास पर अधिकार प्राप्त समिति (ईसीआईडी) के सचिवालय के रूप में कार्य करने और राज्य में पीपीपी से संबंधित सभी सूचना के भण्डार के रूप में कार्य करने के लिए तथा आधारभूत क्षेत्र के विकास में शामिल पीपीपी के लिए राज्य सरकार से समन्वय के लिए नोडल एजेंसी है। प्रशासनिक विभागों को ईसीआईडी के अनुमोदन के लिए अपने प्रस्तावों को पीपीपी प्रकोष्ठ को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

पीपीपी प्रकोष्ठ द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना (जुलाई 2015) के अनुसार राज्य में वर्ष 1995-2015 के दौरान ₹ 15,460.39 करोड़ की लागत राशि की 174 परियोजनाएँ विभिन्न क्षेत्रों में ली गई। इनमें से 31 मार्च 2015 तक 130 परियोजनाएँ (₹ 9,789.39 करोड़) पूर्ण हो चुकी हैं एवं 44 परियोजनाएँ (₹ 5,671.00 करोड़) प्रगति पर थी। इसके अतिरिक्त, सड़क, शहरी आधारभूत संरचना, विद्युत, जल, सामाजिक एवं अन्य क्षेत्रों से सम्बन्धित ₹ 35,484.85 करोड़ की 155 परियोजनाएँ भविष्य के लिए बनाई जा चुकी हैं। संशोधित बजट 2014-15 के प्रस्तावित योजना परिव्यय के अनुसार पीपीपी के लिये भागीदारी करने वाले अभिकरणों के ₹ 812.01 करोड़ के संसाधन थे।

पूर्ण हो चुकी, प्रगतिशील एवं भविष्य में लिये जाने वाली पीपीपी परियोजनाओं का क्षेत्र-वार विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	पूर्ण हो चुकी		प्रगतिशील		भविष्य के लिए योजना	
		संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत
1.	सड़क	50	3,365.64	11	4,640.45	132	22,445.00
2.	शहरी आधारभूत संरचना	17	349.22	6	351.76	16	10,575.85
3.	विद्युत	3	5,473.32	2	415.81	3	712.00
4.	जल	1	46.00	-	-	2	1,700.00
5.	सूचना एवं प्रौद्योगिकी	1	54.01	-	-	-	-
6.	सामाजिक	47	372.50	20	191.19	1	10.00
7.	अन्य	11	128.70	5	71.79	1	42.00
	<b>योग</b>	<b>130</b>	<b>9,789.39</b>	<b>44</b>	<b>5,671.00</b>	<b>155</b>	<b>35,484.85</b>

स्रोत: योजना विभाग, राजस्थान सरकार

यह उल्लेखनीय है कि इस वर्ष के दौरान पूर्ण हुए पीपीपी प्रोजेक्ट सड़क क्षेत्र (50), शहरी आधारभूत संरचना (17) एवं अन्य क्षेत्र (11) पिछले वर्ष 2013-14 में पूर्ण हुए प्रोजेक्ट (57, 21 एवं 34) की तुलना में कम रहे। आयोजना विभाग (पीपीपी) ने यह स्पष्ट किया कि (14 अगस्त 2015) कुछ निश्चित सड़क क्षेत्र जो कि सड़क क्षेत्र के अधीन राजस्थान राज्य विकास निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा बनाये जा रहे हैं, पीपीपी के दायरे में नहीं आते, शहरी आधारभूत संरचना के कार्य जो प्रशासनिक विभाग द्वारा देखे जा रहे हैं एवं अन्य क्षेत्रों के भी पूर्ण हुए प्रोजेक्ट प्रशासनिक स्तर पर समीक्षा के बाद पीपीपी दायरे से बाहर किये गये।

बजट अभिलेख 2014-15 की समीक्षा से इस वर्ष एवं पिछले वर्ष पीपीपी प्रोजेक्ट में राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश उससे अर्जित आय का विवरण दोनो क्षेत्र (निजी क्षेत्र एवं लोक क्षेत्र) में सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। चालू वर्ष के अभिलेखों में भी पीपीपी प्रोजेक्ट में सरकार एवं निजी क्षेत्र के द्वारा पीपीपी प्रोजेक्ट में किये जाने वाले अनुमानित निवेश का स्पष्ट एवं अलग से उल्लेख नहीं है।।

#### **1.9.8 पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, जल संरक्षण तथा भवन एवं अन्य संनिर्माण कल्याण उपकर**

- **पर्यावरण एवं स्वास्थ्य उपकर को प्राप्त करने के लिए बनाई गई निधि के परिचालन और रखरखाव में अनियमितता**

सरकार द्वारा उपकर विशेष उद्देश्य के लिये उपयोग में लेने हेतु लगाए जाते हैं। पारदर्शिता के उद्देश्य से, प्राप्त उपकर एक निश्चित विकास/कल्याण निधि को स्थानान्तरित किये जाते हैं।

2008-09 के बजट भाषण (बिन्दु संख्या 196) में जैविक सन्तुलन को बनाये रखने तथा पर्यावरण एवं स्वास्थ्य को बचाने एवं उसमें सुधार करने के लिए खनिजाधिकार पर पर्यावरण एवं स्वास्थ्य उपकर लगाने जाने का, विशेष रूप से राज्य के उन क्षेत्रों में जहाँ खनिजों की खानें हैं, प्रस्ताव था, तदनुसार वर्ष 2008-09 के लिये राज्य सरकार के प्रस्तावों के लागू करने के लिये पर्यावरण एवं स्वास्थ्य उपकर लगाने के लिये वित्त अधिनियम 2008 (2008 के अधिनियम संख्या 11) में धारा 16 में प्रावधान किये गये। अधिनियम की धारा 17 उल्लेख करती है कि लगाये गए उपकर से प्राप्त आय को राज्य की संचित निधि में जमा करवाया जायेगा। इसके अतिरिक्त, राजस्थान पर्यावरण एवं स्वास्थ्य उपकर नियम 2008 के नियम 13(2) के अनुसार उपकर के रूप में वसूल की गई राशि राज्य सरकार द्वारा बनाई गई राजस्थान पर्यावरण एवं स्वास्थ्य देखभाल निधि के लोक निक्षेप लेखे को स्थान्तरित की जानी थी। पर्यावरण एवं स्वास्थ्य उपकर के लिए प्रावधान प्राप्ति शीर्ष 0853-800-(02) के अन्तर्गत बनाये गये थे। महानिरीक्षक स्टाम्प तथा पंजीकरण को 27 जनवरी 2015 तक इस उपकर की वसूली एवं जमा किये जाने का कार्य सौंपा गया। उसके पश्चात यह कार्य खान एवं भूगर्भ विभाग को सौंपा

गया। राज्य बजट 2011-12 में पृथक शीर्ष “8229-200-07 खनन क्षेत्रों में पर्यावरण एवं सुधार निधि” बनाया गया।

निदेशक, खान एवं भू-गर्भ द्वारा दी गई सूचना (अगस्त 2015) के अनुसार शीर्ष 0853-800-(02)[01] के अन्तर्गत गत पाँच वर्ष के दौरान संग्रहित, स्थानान्तरित उपकर और उसमें से किए गए व्यय की स्थिति को नीचे सारांशीकृत किया गया है:

(₹ करोड़ में)

प्राप्ति वर्ष	आरम्भिक शेष	प्राप्ति	कुल प्राप्तियाँ	व्यय	अन्तिम शेष
2010-11	100.85	61.85	162.70	-	162.70
2011-12	162.70	66.84	229.54	20.86	208.68
2012-13	208.68	47.30	255.98	9.95	246.03
2013-14	246.03	58.60	304.63	13.65	290.98
2014-15	290.98	65.92	356.90	7.12	349.78
<b>योग</b>		<b>300.51</b>		<b>51.58</b>	

सूचनाओं/अभिलेखों की समीक्षा में निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गईं:

- (i) वर्ष 2011-12 में पहली बार लेखा शीर्ष बनाया गया। उपकर की संग्रहित प्राप्तियों (₹ 24.71 करोड़) को लोक लेखे में वर्ष 2013-14 में स्थानान्तरित किया गया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 2012-13 तक राजस्व प्राप्तियों को संचित निधि से लोक लेखे में स्थानान्तरित नहीं किया गया जो कि राजस्थान पर्यावरण एवं स्वास्थ्य उपकर नियम 2008 के नियम 13(2) का उल्लंघन था ।
- (ii) वित्त लेखे 2014-15 के अनुसार, लोक लेखे ‘खनन क्षेत्र पर्यावरण और स्वास्थ्य सुधार निधि’ में अन्तिम शेष ₹ 3.94 करोड़ था । यह विभाग द्वारा लेखा परीक्षा को उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं में दिए गए अन्तिम शेष ₹ 349.78 करोड़ से बहुत भिन्न था ।
- (iii) विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये गए ऑकड़ों के अनुसार 2010-15 की सम्पूर्ण अवधि में कुल आवंटित निधियों का मात्र 17 प्रतिशत व्यय किया गया । अतः यद्यपि, खनन क्षेत्रों में सुधार के लिए उपकर लगाया और एकत्रित किया गया परन्तु उनके लिए कोई कार्यकलाप करने के प्रयास नहीं किये गये।

खनन निदेशक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2012-13 और 2014-15 के दौरान क्रमशः ₹ 16.69 करोड़ और ₹ 35 करोड़ निदेशक, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को हस्तान्तरित किये गये। तथापि खनन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं पर कोई व्यय नहीं किया गया और सम्पूर्ण राशि समर्पित की गई।



- राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कामगार कल्याण निधि को स्थानान्तरित करने में विलम्ब और निधियों का कम उपयोग।

भारत सरकार ने भवन एवं अन्य संनिर्माण कामगार (सेवा शर्तें और रोजगार विनियमन) अधिनियम 1996 बनाया, जो (अधिनियम) संनिर्माण कामगारों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को बनाने और लागू करने के लिए 'राज्य भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के गठन का उल्लेख करता है। बोर्ड के संसाधन बढ़ाने के लिए, केन्द्रीय सरकार ने भवन एवं अन्य संनिर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 (उपकर अधिनियम) और भवन एवं अन्य संनिर्माण कामगार कल्याण उपकर नियम 1998 बनाया। उपकर अधिनियम की धारा 3 में निर्माण परियोजनाओं की कुल लागत का दो प्रतिशत से अधिक नहीं परन्तु एक प्रतिशत से कम भी नहीं, की दर से उपकर लगाने के लिए उल्लेख है। यह उपकर केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभागों/संगठनों और अर्द्ध सरकारी या निजी संगठनों के सभी संस्थापनों पर लागू होना था।

अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कामगार (सेवा शर्तें और रोजगार विनियमन) नियम 2009 (राज्य नियम) बनाया। श्रम एवं रोजगार विभाग के परिपत्र दिनांक 09 जुलाई 2010 के अनुसार, उपकर से एकत्रित की गई राशि इसके एकत्रित किये जाने के तीस दिन के भीतर बोर्ड को स्थानान्तरित किया जावेगा। इसके अतिरिक्त, राज्य नियमों के नियम 43 में उल्लेख है कि इन नियमों के प्रभाव में आने के बाद बोर्ड एक निधि "राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कामगार कल्याण निधि" का गठन कर सकता है जो अनुदान या ऋण या अग्रिम, लाभार्थियों के अंशदान और केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा निश्चित किए गए ऐसे अन्य स्रोतों से बोर्ड द्वारा प्राप्त की गई राशियों से पोषित होगी।

नियम की धारा 57 और 58 के अन्तर्गत प्रदान की गई शक्तियों के प्रयोग में भवन एवं अन्य संनिर्माण कामगारों<sup>45</sup> के कल्याण के लिए बोर्ड ने विभिन्न योजनाएँ (2010-15) घोषित की।

यह देखने में आया कि एकत्रित उपकर और योजनाओं के अन्तर्गत किया गया व्यय निम्नानुसार था:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	एकत्रित उपकर	सरकार से बोर्ड द्वारा प्राप्त राशि	योजनाओं के अन्तर्गत किया गया व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	2010-11	85.52	0.50	0.04	8.00
2	2011-12	154.01	10.00	2.20	22.00
3	2012-13	173.83	229.03	11.71	5.11
4	2013-14	251.95	173.83	25.07	14.42
5	2014-15	277.35	251.94	31.05 (लगभग)	12.32
	<b>योग</b>	<b>942.66</b>	<b>665.30</b>	<b>70.07</b>	<b>(औसत) 10.53</b>

<sup>45</sup> 1. सामान्य दुर्घटना से मृत्यु व घायल होने की दशा में सहायता 2. विवाह सहायता 3. शिक्षा (छात्रवृत्ति) सहायता 4. मातृत्व सहायता 5. गम्भीर बीमारी के लिए चिकित्सा पुर्नभरण 6. मेघावी छात्र/ छात्राओं को नकद पुरस्कार 7. साइकिल वितरण योजना तथा 8. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना।

यह पाया गया कि एकत्रित किए गए उपकर को नियमों में निर्धारित अवधि की सीमा में बोर्ड को स्थानान्तरित नहीं किया गया। 2010-11 और 2011-12 में एकत्रित किए गए उपकर को 2012-13 में स्थानान्तरित किया गया और उसके बाद निधियों को संग्रहण के अगले वर्ष स्थानान्तरित किया गया। बोर्ड ने सूचित किया (जुलाई 2015) कि वर्ष 2014-15 के लिए उपकर राशि ₹ 277.36 करोड़ राजस्व शीर्ष 0230-800-(06) के अन्तर्गत सरकार में जमा करवाया गया, एवं महालेखाकार से अंक मिलान के बाद राशि को बोर्ड के पी.डी. खाते में स्थानान्तरित करने के लिए वित्त विभाग के पास प्रस्ताव प्रस्तुत किए जावेंगे।

यह पाया गया कि बोर्ड ने पाँच वर्ष की अवधि (2010-15) के दौरान कामगारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर मात्र ₹ 70 करोड़ उपयोग किए। विभाग ने (जुलाई 2015) लाभान्वितों की कम संख्या और व्यय में कमी का कारण प्रारम्भिक वर्षों में लाभान्वितों के बीच जानकारी के अभाव को बताया। 2014-15 के दौरान किए गए व्यय के विश्लेषण में देखा गया कि 2014-15 की राशि ₹ 277.35 करोड़ को सम्मिलित करते हुए 2014-15 के अन्त में ₹ 942.66 करोड़ का शेष था। इन निधियों के विरुद्ध (i) दुर्घटना के कारण सहायता (ii) शादी के लिए सहायता (iii) शिक्षा छात्रवृत्ति और (iv) साइकिल वितरण योजनाओं पर कुल ₹ 29.25 करोड़ व्यय किए गए। लाभान्वितों की संख्या भी आवेदकों से नीचे की ओर गिरती हुई अर्थात् (i) दुर्घटना के कारण सहायता (ii) शादी के लिए सहायता (iii) शिक्षा छात्रवृत्ति और (iv) साइकिल वितरण योजनाओं पर क्रमशः लगभग 37 प्रतिशत, 15 प्रतिशत, 37 प्रतिशत और 48 प्रतिशत थी। यह विभाग द्वारा स्वीकार किए गए न केवल प्रारम्भिक वर्षों में जानकारी नहीं होने को बल्कि हाल के वर्ष में भी जानकारी के अभाव को दर्शाती है।

प्रसंगानुकूल यह भी ध्यान देने योग्य है कि राज्य नियमों के नियम 43 के अनुसार बोर्ड को “भवन एवं अन्य संनिर्माण कामगार कल्याण निधि” के नाम एक निधि का गठन किये जाने की आवश्यकता थी। यह पाया गया कि लोक लेखे में कल्याण निधि के रूप में कोष का सुस्पष्ट रूप से परिचालन नहीं किया जा रहा था बल्कि लोक लेखे में जमा और अग्रिम के अन्तर्गत बिना ब्याज के पी.डी. खाते में रखा जा रहा था।

- **सरकार द्वारा राज्य में जल संरक्षण के लिए लगाए गए जल संरक्षण उपकर का उपयोग नहीं किया जाना ₹ 841.82 करोड़।**

सरकार द्वारा उपकर एक विशेष उद्देश्य के लिए उस अवधि तक लगाये जाते हैं। जब तक उस उद्देश्य के लिए सरकार पर्याप्त राशि प्राप्त कर ले, प्राप्त आय परिभाषित उद्देश्यों के लिए अभिप्रायित और निश्चित होने के कारण एक पृथक कोष में सुस्पष्ट लेखाकन सहित यह सुनिश्चित करने के लिए रखी जानी चाहिए कि यह अन्य वित्तीय संसाधनों को बाधित किए बिना उन विशेष उद्देश्यों के लिए व्यय की जा सके।

बजट भाषण (संशोधित) 2009-10, के निष्पादन में राज्य में जल संरक्षण के उद्देश्य से उपभोग की गई बिजली पर दस पैसे प्रति इकाई की दर से जल संरक्षण

उपकर (उपकर) लगाने के लिए राजस्थान वित्त अधिनियम 2009 में प्रावधान किया गया। यह उपकर जल एकत्रण संरचनाओं के निर्माण के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने के आशय से था। उपकर जल संरक्षण एकत्रण संरचनाओं का निर्माण करने, बहते हुए जल और भूजल को पुनर्चार्ज करने तथा शिक्षित और संवेदनशील लोगों को दैनिक जीवन में जल संरक्षित करने की आदत को बनाए रखने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने के आशय से था।

तदनुसार, 8 जुलाई 2009 से उपकर एकत्रित करने के लिये 'राजस्थान विद्युत (कर) अधिनियम, 1962 में प्रावधान किया गया। उपकर वाणिज्यिक कर विभाग के नियन्त्रण में राजस्व शीर्ष- 0043-800-04 के अन्तर्गत जमा करवाया जाना था।

यह पाया गया कि तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों (अजमेर, जयपुर और जोधपुर) द्वारा 2009-15 की अवधि के दौरान ₹ 841.82 करोड़<sup>46</sup> उपकर वसूला गया और इसमें से ₹ 777.47 करोड़<sup>47</sup> राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत जमा करवाये गये। यह ध्यान में आया कि वितरण कम्पनियों द्वारा एकत्रित उपकर नियमित रूप से सम्बन्धित शीर्ष में जमा नहीं करवाया गया था। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर ने अवगत करवाया (जुलाई 2015) कि क्योंकि यह वित्तीय संकट से गुजर रही थी, अतः दायित्वों को समय पर नहीं निपटा सकी।

वित्त विभाग के बैठक विवरण (24 मई 2011) में पाया गया कि जिन विभिन्न कार्यों पर उपकर का उपयोग करना है उन्हें नीति अनुसार चिन्हित किया जाना था। तथापि, बनाई गई मार्गदर्शिका/विनियम, निधि स्थापना और इसके उपयोग इत्यादि से सम्बन्धित सूचना वित्त विभाग द्वारा (सितम्बर 2015) लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं करवायी गयी। यह देखा गया कि न तो निधि की स्थापना की गई और न ही कोई व्यय किया गया। इसके अतिरिक्त, एकत्रित उपकर का सही लेखांकन नहीं किया गया था। निर्धारित उद्देश्यों के लिए एकत्रित उपकर के समय पर जमा को सुनिश्चित करने और इसके उपयोग की देखभाल के लिए निगरानी तन्त्र स्थापित नहीं था।

उपकर को नियमित राजस्व प्राप्तियों के साथ मिलाना राजस्व घाटा और राजस्व व्यय को कम बताने की युक्ति है। 2014-15 के दौरान उपकर के रूप में कुल ₹ 187.30 करोड़ एकत्रित कर राजस्व के रूप में संचित निधि में जमा किया गया। एकत्रित राशि को लोक लेखे में स्थानान्तरित नहीं करने के कारण 2014-15 के लिए राजस्व व्यय ₹ 187.30 करोड़ से कम बताया गया।

एक ऐसे राज्य में जो कि पानी की कमी तथा भूजल के पुनर्चार्ज में कमी से पीड़ित है उपकर के रूप में एकत्रित धन का उपयोग नहीं किया जाना, उपलब्ध संसाधनों के कमजोर प्रबन्धन का सूचक है।

<sup>46</sup> 2009-10: ₹ 59.62 करोड़, 2010-11: ₹ 129.38 करोड़, 2011-12: ₹ 140.90 करोड़, 2012-13: ₹ 153.73 करोड़, 2013-14: ₹ 170.89 करोड़ एवं 2014-15: ₹ 187.30 करोड़।

<sup>47</sup> 2009-10: ₹ 39.73 करोड़, 2010-11: ₹ 116.89 करोड़, 2011-12: ₹ 62.89 करोड़, 2012-13: ₹ 229.68 करोड़, 2013-14: ₹ 157.95 करोड़ एवं 2014-15: ₹ 170.33 करोड़।

## 1.10 परिसम्पत्तियां और देयताएं

### 1.10.1 परिसम्पत्तियों और देयताओं का संघटन एवं वृद्धि

विद्यमान सरकारी लेखांकन प्रणाली में सरकार के स्वामित्व वाली अचल परिसम्पत्तियों यथा भूमि और भवन का व्यापक लेखांकन नहीं किया जाता है। तथापि, सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं तथा किये गये व्यय द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों को आवश्यक रूप से समाहित करते हैं। 31 मार्च 2014 की सहप्रत्यक्षी स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2015 को ऐसी देयताओं एवं परिसम्पत्तियों के सार को **परिशिष्ट 1.5** में प्रस्तुत किया गया है जबकि इस परिशिष्ट में देयताओं में मुख्य रूप से आन्तरिक कर्जे, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखे एवं आरक्षित निधियों से प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं, परिसम्पत्तियों में मुख्य रूप से पूँजीगत परिव्यय, राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष समाविष्ट है।

एफआरबीएम अधिनियम, 2005 के अनुसार कुल दायित्व से अभिप्रायः राज्य की समेकित निधि और सामान्य प्रावधायी निधि को सम्मिलित करते हुए राज्य के लोक लेखा के अन्तर्गत सुनिश्चित देयताओं से है।

सम्पत्तियों और देयताओं के घटकों की वृद्धि दर का सार तालिका 1.27 में दिया गया है:

तालिका 1.27: सम्पत्तियों और देयताओं की सारांशीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

		देयताएं			सम्पत्तियाँ				
		2013-14	2014-15	वृद्धि प्रतिशत	2013-14	2014-15	वृद्धि प्रतिशत		
<b>समेकित निधि</b>		<b>87,329.76</b>	<b>1,00,510.54</b>	<b>15.09</b>	<b>समेकित निधि</b>	<b>97,887.19</b>	<b>1,13,671.65</b>	<b>16.13</b>	
अ	आन्तरिक ऋण	80,580.93	93,476.44	16.00	अ	कुल पूँजीगत परिव्यय	92,883.17	1,08,971.29	17.32
ब	भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	6,748.83	7,034.10	4.23	ब	ऋण एवं अग्रिम	5,004.02	4,700.36	(-) 6.07
<b>आकस्मिकता निधि</b>		<b>200.00</b>	<b>500.00</b>	<b>150.00</b>					
<b>लोक लेखे</b>		<b>44,020.51</b>	<b>48,384.93</b>	<b>9.91</b>	<b>लोक लेखे</b>	<b>25.61</b>	<b>68.45</b>	<b>167.28</b>	
अ	अल्प बचते, भविष्य निधियाँ, इत्यादि	29,265.67	32,247.42	10.19	अ	अग्रिम	2.89	5.74	98.62
ब	जमा	12,153.97	13,565.10	11.61	ब	प्रेषण	-	-	
स	आरक्षित निधियाँ	2,598.67	2,570.63	(-) 1.08	स	उच्चत तथा विविध	22.72	62.71	176.01
द	प्रेषण	2.20	1.78	(-) 19.09		<b>नकद शेष (चिन्हित निधि निवेश सहित)</b>	<b>10,446.44</b>	<b>8,949.28</b>	<b>(-) 14.33</b>
						<b>योग</b>	<b>1,08,359.24</b>	<b>1,22,689.38</b>	<b>13.22</b>
						<b>राजस्व लेखा में घाटा</b>	<b>23,191.03</b>	<b>26,706.09</b>	<b>15.16</b>
	<b>योग</b>	<b>1,31,550.27</b>	<b>1,49,395.47</b>	<b>13.57</b>	<b>योग</b>	<b>1,31,550.27</b>	<b>1,49,395.47</b>	<b>13.57</b>	

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2014-15 के दौरान परिसम्पत्तियों 13 प्रतिशत बढ़ी, जबकि देयताएँ गत वर्ष की तुलना में 14 प्रतिशत बढ़ी ।

### 1.10.2 राजकोषीय देयताएं

राज्य की बकाया राजकोषीय देयतायें 2010-11 में ₹ 99,285 करोड़ से 2014-15 के अन्त में ₹ 1,47,609 करोड़ हो गयी, जिससे 11 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर्शाते हुई।


जीएसडीपी के सापेक्ष में राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्ति तालिका 1.28 में दर्शायी गयी है:

तालिका 1.28: राजकोषीय देयताएं - मूलभूत मानक

	(₹ करोड़ में)				
	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजकोषीय देयतायें	99,285	1,06,560	1,17,809	1,29,910	1,47,609
वृद्धि दर	8.5	7.3	10.6	10.3	13.6
<b>राजकोषीय देयतायें प्रतिशतता के रूप में</b>					
जीएसडीपी	29.3	25.7	25.1	25.1	25.7
राजस्व प्राप्तियों	216.2	186.9	176.1	174.4	161.6
स्व-संसाधनो	367.0	308.4	276.3	276.1	284.4

स्रोत: वित्त लेखे

गत वर्ष के समक्ष चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय देयताओं के संघटकों को चार्ट 1.9 तथा 1.10 में प्रस्तुत किया गया है।



स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2014-15 के दौरान, आन्तरिक ऋण 16 प्रतिशत (₹ 12,896 करोड़), लोक लेखा दायित्व 11 प्रतिशत (₹ 4,518 करोड़) तथा केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम 4 प्रतिशत (₹ 285 करोड़) में वृद्धि के कारण राजकोषीय देयतायें गत वर्ष की तुलना में 14 प्रतिशत (₹ 17,699 करोड़) बढ़ी।

वर्ष 2014-15 के दौरान राजकोषीय देयताओं (कुल बकाया ऋण) का जीएसडीपी से अनुपात 25.69 प्रतिशत था जो कि वर्ष 2014-15 के लिए तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित (36.5 प्रतिशत<sup>48</sup>) एवं एमटीएफपीएस के आकलन (25.78 प्रतिशत) से कम था। ये देयताएं वर्ष 2014-15 के अंत में राजस्व प्राप्तियों का 1.62 गुणा तथा राज्य स्व-संसाधनों का 2.95 गुणा थीं।

वर्ष 2014-15 के दौरान, वार्षिक वृद्धिजन्य उधार<sup>49</sup> (₹ 17,699 करोड़) तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा (₹ 17,035 करोड़) से अधिक थे।

### 1.10.3 रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों का निवेश

तालिका 1.29 में चालू वर्ष के दौरान रोकड़ शेष तथा राज्य सरकार द्वारा रोकड़ शेषों में से किये गये निवेशों को दर्शाया गया है।

तालिका 1.29: रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों का निवेश

	वृद्धि/कमी (-)	प्रारम्भिक शेष 1.4.2014 को	अन्तिम शेष 31.3.2015 को
(₹ करोड़ में)			
<b>(अ) सामान्य रोकड़ शेष</b>			
कोषालयों में रोकड़	-	0.05	0.05
रिजर्व बैंक में जमा	22.74	6.67	29.41
स्थानीय-मार्गस्थ प्रेषण	2.17	(-) 0.37	1.80
<b>योग</b>	<b>24.91</b>	<b>6.35</b>	<b>31.26</b>
रोकड़ शेष निवेश खाते में रखे गये निवेश	(-) 1,368.98	8,997.56	7,628.58
<b>योग (अ)</b>	<b>(-) 1,344.07</b>	<b>9,003.91</b>	<b>7,659.84</b>
<b>(ब) अन्य रोकड़ शेष तथा निवेश</b>			
विभागीय अधिकारियों यथा सार्वजनिक निर्माण विभागीय अधिकारियों, वन विभागीय अधिकारियों, जिलाधिकारियों के पास रोकड़	(-) 0.07	1.07	1.00
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिये स्थायी पेशगियां	(-) 0.26	3.52	3.26
आरक्षित निधियों में निवेश	(-) 15.76	1,437.94	1,285.18
<b>योग (ब)</b>	<b>(-) 153.09</b>	<b>1,442.53</b>	<b>1,289.44</b>
<b>महायोग (अ) + (ब)</b>	<b>(-) 1,497.16</b>	<b>10,446.44</b>	<b>8,949.28</b>

स्रोत: वित्त लेखे

<sup>48</sup> तेरहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन (परिशिष्ट 9.1)

<sup>49</sup> इसमें खुले बाजार से उधार, वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से अनुबन्धित ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि से ऋण, केन्द्रीय सरकार से ऋण ईएपी सहित, राज्य आयोजनागत योजनाओं एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए कोई ऋण, लोक लेखे में अल्प बचत, प्रावधायी निधि, आरक्षित निधियाँ एवं जमाओं इत्यादि के अन्तर्गत अन्तर्गत राशि के कारण उत्पन्न दायित्व शामिल है।

चालू वर्ष के अन्त में राज्य सरकार का रोकड़ शेष ₹ 8,949 करोड़ था जो कि गत वर्ष की तुलना में ₹ 1,497 करोड़ (14 प्रतिशत) की कमी को दर्शाता है। अधिशेष रोकड़ शेष मुख्यतः वर्ष 2014-15 के दौरान लिये गये ₹ 12,300 करोड़ के बाजार से कर्जे के कारण रहा।

### • रोकड़ शेषों का निवेश

तेरहवें वित्त आयोग ने पैरा 7.123 में सुझाया कि वृहद रोकड़ शेषों वाले राज्यों को नये उधार लेने से पूर्व अपने विद्यमान नकद शेषों का उपयोग करने का प्रबंधित प्रयास करना चाहिये, क्योंकि बहुत से राज्यों का नकद शेष एक माह के कुल व्यय से अधिक था। जबकि, राज्यों को निर्बाध व्यय के लिये कुछ नकदी प्रवाह की आवश्यकता हो सकती है, किन्तु, एक स्तर से अधिक रोकड़ संचयन अकुशल प्रबंधन का द्योतक है, क्योंकि इससे परिहार्य ब्याज दायित्व का भार बढ़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इस तथ्य को दोहराया है एवं सलाह दी है कि राज्यों को अपने रोकड़ शेषों का अधिक कुशलता से प्रबंधन करना चाहिये।

नकद शेषों<sup>50</sup>, लिये गये बाजार ऋणों एवं बजटीय व्यय की वर्षवार स्थिति तालिका 1.30 में दी गई है।

तालिका 1.30.: नकद शेष, बाजार ऋण और बजटीय व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1 अप्रैल को नकद शेष	2,361.65	6,087.76	9,785.11	12,886.72	10,446.44
31 मार्च को नकद शेष	6,087.76	9,785.11	12,886.72	10,446.44	8,949.28
भारत सरकार के कोषालय बिलों/ प्रत्याभूतियों में निवेशित नकद शेष	5,708.51	9,307.62	12,127.66	8,997.40	7,628.42
लिये गये बाजार ऋण	6,180	4,500	8,041	8,800	12,300
कुल बजटीय व्यय	51,036	60,524	71,956	90,440	1,26,470
मासिक औसत बजटीय व्यय	4,253	5,044	5,996	7,537	10,539

स्रोत: वित्त लेखे एवं बजट प्रलेख

राज्य सरकार के रोकड़ शेष अधिशेष स्वतः ही 5 प्रतिशत वार्षिक की औसत ब्याज दर से 14 दिवसीय कोषालय बिलों में एवं आंशिक 91, 181 एवं 364 दिवसीय रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के नीलामी कोषालय बिलों में निवेशित हो जाते हैं। वर्ष 2014-15 के अंत तक, ₹ 7,628.42 करोड़ की राशि भारत सरकार के कोषालय बिलों/प्रतिभूतियों में निवेशित की गयी, जिन पर ₹ 777.96 करोड़ का ब्याज अर्जित किया गया। आगे, ₹ 1,285.18 करोड़ का निवेश चिन्हित निधियों में भी किया गया।

<sup>50</sup> इसमें कोषालयों में रोकड़, रिजर्व बैंक में जमा, स्थानीय-मार्गस्थ प्रेषण, विभागीय अधिकारियों के पास रोकड़, स्थायी अग्रिम, नगद शेषों से निवेश तथा पृथक आरक्षित निधियों से निवेश सम्मिलित है।

### 1.10.4 आरक्षित निधि के अन्तर्गत लेन-देन

राज्य सरकार की राज्य बजट नियमावली के पैरा संख्या 4.5 के अनुसार, रिजर्वस और आरक्षित निधियाँ राज्य सरकार के लेखों (लोक लेखे) के अन्तर्गत विशिष्ट और सुपरिभाषित उद्देश्यों के लिए सृजित की जाती हैं। इन निधियों का वित्तपोषण राज्य की समेकित निधि या बाह्य एजेन्सियों से प्राप्त अंशदान अथवा अनुदान से होता है। इन निधियाँ को आगे दो भागों में विभक्त किया गया है (i) ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ और (ii) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ। ये निधियाँ राज्य की समेकित निधि के संबंधित व्यय शीर्ष को नामे करके राशि अन्तरित कर बनाई जाती हैं। इसके पश्चात, वर्ष के दौरान किये गये कुल व्यय का संबंधित आरक्षित निधि से पुनर्भरण किया जाता है।

#### • संचालित आरक्षित निधियाँ

31 मार्च 2015 को, लोक लेखा में ₹ 2,570.63 करोड़<sup>51</sup> की 22 आरक्षित निधियाँ थी जिसमें ब्याज वाली 3 निधियाँ ₹ 362.17 करोड़ शामिल थीं। वर्ष 2014-15 के दौरान, राज्य की आरक्षित निधियों में ₹ 1,735.23 करोड़ जमा किये गये थे जिसमें मुख्यतः राज्य आपदा मोचन निधि (₹ 789.77 करोड़), राज्य सड़क तथा सेतु निधि (₹ 280 करोड़) तथा गारण्टी मोचन निधि (₹ 663.37 करोड़) शामिल थी।

राज्य सरकार को 31 मार्च 2014 को अन्य देय ब्याज वाली निधियों में पड़े ₹ 89.58 करोड़ पर ₹ 6.72 करोड़ (वित्त एवं मार्गोपाय अग्रिमों पर औसत ब्याज दर को 7.5 प्रतिशत पर परम्परागत अनुमानित मानते हुये) का ब्याज देना था। तथापि, यह पाया गया कि उसका भुगतान नहीं किया गया।

#### • असंचालित आरक्षित निधियाँ

वर्ष 2014-15 के वित्त लेखे के अनुसार, 5 आरक्षित निधियाँ (₹ 4.24 करोड़) पाँच वर्षों से अधिक समय से असंचालित थीं। इनमें से एक निधि<sup>52</sup> (₹ 0.20 करोड़) ब्याज वाली तथा शेष चार निधियाँ<sup>53</sup> (₹ 4.04 करोड़) बिना ब्याज वाली थीं।

<sup>51</sup> इसमें शामिल थे (i) राज्य आपदा मोचन निधि: ₹ 288.02 करोड़; (ii) गारण्टी मोचन निधि: ₹ 1,723.79 करोड़; (iii) संसाधन विकास निधि: ₹ 180.89 करोड़; (iv) राज्य सड़क एवं सेतु निधि: ₹ 221.29 करोड़ तथा (v) द्वार आरक्षित निधि के अन्तर्गत जल कार्य: ₹ 73.94 करोड़।

<sup>52</sup> झामर कोटड़ा रॉक फॉस्फेट की विभागीय प्रबन्धन योजना: ₹ 20.45 लाख

<sup>53</sup> (i) कृषक सुधार निधि: ₹ 0.74 लाख, (ii) विश्व खाद्य कार्यक्रम सहायता से गहन अंडा तथा मुर्गी उत्पादन एवं विपणन केन्द्रों के लिए निधि: ₹ 0.95 लाख, (iii) राज्य सड़क सुधार विकास कोष: ₹ 4.02 करोड़ एवं (iv) राजकीय प्रतिभूति मुक्ति निधि: ₹ 0.18 लाख ।



#### 1.10.4.1 राज्य आपदा मोचन निधि

राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ), 1 अप्रैल 2010 को विद्यमान आपदा सहायता निधि के स्थान पर संस्थापित की गयी। निधि के लिए वर्ष 2010-15 के लिये तेरहवें वित्त आयोग द्वारा ₹ 3,319 करोड़<sup>54</sup> का आकार निर्धारित किया गया, इसमें से 75 प्रतिशत हिस्सा राशि भारत सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिशत हिस्सा राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी थी।

वर्ष 2014-15 के दौरान भारत सरकार तथा राज्य सरकार ने अपना-अपना हिस्सा प्रदान किया। 31 मार्च 2015 को एसडीआरएफ में ₹ 288.02 करोड़ (वर्ष 2014-15 के दौरान सरकार द्वारा निवेश नहीं की गयी राशि पर चुकाये गये ब्याज ₹ 31.10 करोड़ के भुगतान सहित) आपदा राहत कार्यों के लिये किये गये व्यय (₹ 1,570.57 करोड़) के बाद शेष था।

#### 1.10.4.2 प्रत्याभूति ऋण मोचन निधि

राज्य सरकार ने वर्ष 1999-2000 में एक प्रत्याभूति ऋण मोचन निधि संस्थापित की। भारतीय रिजर्व बैंक, जो निधि को संचालित करता है, के दिशा निर्देशों के अनुसार निधि के कॉरपस को बकाया प्रत्याभूतियों के 5 प्रतिशत के आवश्यक स्तर तक बढ़ाना है। 31 मार्च 2015 को प्रत्याभूति ऋण मोचन निधि के अन्तर्गत ₹ 1,723.79 करोड़ शेष था जोकि बकाया प्रत्याभूति (₹ 94,577.81 करोड़) का 1.8 प्रतिशत था। वर्ष के दौरान इस निधि से किसी राशि का पुनर्भरण नहीं किया गया। वर्ष 2014-15 के दौरान सरकार ने, प्राप्त होने वाले ₹ 618.82 करोड़ के विरुद्ध ₹ 617.89 करोड़ का गारन्टी कमीशन प्राप्त किया। यह राशि विविध प्राप्तियों के अन्तर्गत दर्ज थी तथा गारन्टी मोचन निधि में राशि ₹ 615.83 करोड़ हस्तान्तरित की गयी।

#### 1.10.4.3 समेकित शोधन निधि

बारहवें वित्त आयोग ने अनुशंषा की थी कि राज्य सरकारें सभी ऋणों के परिशोधन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रशासित एक समेकित शोधन निधि का सृजन करे। भारतीय रिजर्व बैंक, के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्यों को समेकित शोधन निधि में गत वर्ष के अन्त तक बकाया दायित्वों का न्यूनतम 0.5 प्रतिशत अंशदान करना चाहिये। राजस्थान सरकार ने 2006-07 में समेकित शोधन निधि को संस्थापित किया तथा इसके बाद 2007-08 में इस निधि को बन्द कर दिया।

<sup>54</sup> 2010-11: ₹ 600.66 करोड़, 2011-12: ₹ 630.69 करोड़, 2012-13: ₹ 662.22 करोड़, 2013-14: ₹ 695.33 करोड़ तथा 2014-15: ₹ 730.10 करोड़।

### 1.10.5 आकस्मिक देयताएँ

- **प्रत्याभूतियों की स्थिति**

प्रत्याभूतियाँ राज्य की समेकित निधि के ऊपर वे आकस्मिक देयताएँ हैं जो उधार लेने वाले, जिनके लिये प्रत्याभूति दी गई थी, द्वारा चूक के प्रकरण में होती है।

वित्त लेखे के विवरण 9 के अनुसार गत तीन वर्षों में राज्य द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि तथा बकाया प्रत्याभूतियाँ निम्न प्रकार थी।

तालिका 1.31: राजस्थान सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियाँ

प्रत्याभूतियाँ	2012-13	2013-14	2014-15
दी गयी प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि	1,13,340	1,40,526	1,61,918
दी गयी प्रत्याभूतियों की बकाया राशि	75,546	85,911	94,578
दी गयी प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि का कुल राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत	169.4	188.7	177.3

(₹ करोड़ में)

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2014-15 दौरान सरकार ने प्राप्य ₹ 618.82 करोड़ के विरुद्ध ₹ 617.89 करोड़ का गारन्टी कमीशन प्राप्त किया। सरकार की बकाया गारन्टियाँ राजस्व प्राप्तियों की 104 प्रतिशत थी। वर्ष 2014-15 में कोई गारन्टी नहीं भुनाई गई।

बकाया प्रत्याभूतियाँ वर्ष 2013-14 में ₹ 85,911 करोड़ से 10 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 94,578 करोड़ हो गयी। बकाया प्रत्याभूतियाँ मुख्यतः पाँच विद्युत कम्पनियों (₹ 86,979 करोड़), दो शहरी विकास एवं आवास (₹ 3,243 करोड़), एक सड़क एवं परिवहन (₹ 1,727 करोड़) एवं सात सहकारी संस्थाओं (₹ 1,442 करोड़) से संबंधित थी। विद्युत कम्पनियों की प्रत्याभूतियाँ बॉण्ड/ऋण पत्रों को जारी करके कर्जे/ओवरड्राफ्ट द्वारा प्राप्त की गई राशि एवं उस पर निर्दिष्ट दर पर ब्याज को चुकाने के लिए दी गई थीं।

- **बजट से इतर उधार**

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के द्वारा राज्य के कर्ज विनियमित होते हैं। राजकोषीय देयताओं के अतिरिक्त, जिला परिषदों/कम्पनियों/निगमों सहित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा प्रत्याभूति ऋण का उपयोग किया गया। इन विभागों द्वारा राज्य बजट से बाहर प्रायोजित विभिन्न राज्य योजनागत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए बाजार/वित्तीय संस्थाओं से निधियाँ उधार ली जाती हैं। यद्यपि, राज्य सरकार यह इंगित करती है कि इन कार्यक्रमों के लिए निधियाँ राज्य बजट से इतर इन कम्पनियों/निगमों/जिला परिषदों द्वारा जुटाये संसाधनों से वहन की जाएगी। वास्तव में इनमें से कई संस्थानों द्वारा लिए गये उधार, जिनका पुनर्भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, अन्ततोगत्वा राज्य सरकार की देयताएँ हो जाती

है जिसे “बजट से इतर उधार” कहा जाता है, जो कि धारा 293(3) के अन्तर्गत अनुमत्य नहीं है। तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार भारत सरकार ने (फरवरी 2014) राज्य के लिए वर्ष 2014-15 हेतु निवल उधार की उच्चतम सीमा ₹ 17,035 करोड़ निश्चित की थी।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने सूचित किया (जुलाई 2015) कि मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को रहने के लिए आवासों के निर्माण हेतु जिला परिषदों द्वारा हुड़को से लिए गए ऋण के मूलधन के भुगतान हेतु वर्ष 2014-15 तक राज्य सरकार ने ₹ 3,948.66 करोड़ की प्रत्याभूति दी। संस्वीकृतियों से ज्ञात हुआ कि इन प्रत्याभूतियों के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा जिला परिषदों को वर्ष 2014-15 के दौरान राशि ₹ 491.45 करोड़ (₹ 249.73 करोड़ मूलधन पेटे एवं ₹ 241.72 करोड़ ब्याज पेटे) का भुगतान किया गया।

तथापि वित्त लेखे 2014-15 के विवरण संख्या 20 से प्रकट हुआ कि इन प्रत्याभूतियों के विरुद्ध जिला परिषदों द्वारा हुड़को को मूलधन पेटे राशि ₹ 251 करोड़ (₹ 249.73 करोड़ की बजाय) का भुगतान किया गया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2015) कि हुड़को द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार ₹ 1.27 करोड़ का अन्तर विभिन्न जिला परिषदों के विरुद्ध बकाया ऋण के समायोजन के कारण था। तथापि, बकाया ऋण, भुगतान में विलम्ब एवं आरोपित शास्ति ब्याज, यदि कोई हो, इत्यादि का विस्तृत विवरण ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से प्रतीक्षित रहा।

वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 2,520.44 करोड़ के प्रारम्भिक शेष में ₹ 600.64 करोड़ की प्रत्याभूति जोड़ी गई तथा वर्ष 2014-15 के अन्त में ₹ 2,870.08 करोड़ का शेष छोड़ते हुए ₹ 251.00 करोड़ की प्रत्याभूति चुकाई गई।

इस प्रकार वर्ष 2014-15 के दौरान मुख्य शीर्ष 2515-196-25 “अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता-ग्रामीण बीपीएल आवास” के अन्तर्गत जिला परिषदों की ओर से हुड़को को मूलधन एवं ब्याज पेटे योजनागत व्यय की पूर्ति के लिए ₹ 491.45 करोड़ के बजट से इतर उधार का सहारा लेकर द्वारा राज्य सरकार ने अन्तिम भुगतान कर्ता द्वारा भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में ₹ 2,870.08 करोड़ की आकस्मिक देयता अर्जित की।

इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार ने वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 17,699 करोड़ उधार लिए जिससे भारत सरकार द्वारा निश्चित की गई ऊपरी सीमा ₹ 17,035 करोड़ पार हों गई। बजट से इतर उधार को शामिल करने के बाद वर्ष 2014-15 के दौरान निवल उधार ₹ 18,049 करोड़ हो गये जो भारत सरकार द्वारा निश्चित की गई ऊपरी सीमा से 6 प्रतिशत अधिक थे।

### 1.10.6 सरकार के उधारों का विश्लेषण

राज्य सरकार का लोक ऋण वर्ष 2010-11 के ₹ 69,278 करोड़ से 45 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 1,00,511 करोड़ हो गया। यह पिछले वर्ष से 15 प्रतिशत बढ़ा। विस्तृत विवरण निम्न तालिका 1.32 में दिया गया है:

तालिका 1.32: वर्ष 2010-15 के दौरान बकाया उधार

(₹ करोड़ में)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
<b>(अ) आन्तरिक ऋण</b>					
बाजार कर्ज	35,448	38,551	44,209	51,384	61,386
कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक से कर्ज	3,323	3,947	4,553	5,422	6,482
केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	22,656	21,518	20,767	20,022	20,126
अन्य संस्थाओं से कर्ज	470	441	444	3,753	5,483
<b>योग (अ)</b>	<b>61,897</b>	<b>64,457</b>	<b>69,973</b>	<b>80,581</b>	<b>93,477</b>
<b>(ब) केन्द्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम</b>					
गैर-योजनेतर कर्ज	67	60	55	49	44
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	7,163	7,052	6,789	6,690	6,980
अन्य योजनागत कर्ज	151	137	137	10	10
<b>योग (ब)</b>	<b>7,381</b>	<b>7,249</b>	<b>6,981</b>	<b>6,749</b>	<b>7,034</b>
<b>कुल उधार (अ + ब)</b>	<b>69,278</b>	<b>71,706</b>	<b>76,954</b>	<b>87,330</b>	<b>1,00,511</b>
वृद्धि दर	7.2	3.5	7.3	13.5	15.1

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2010-15 की अवधि में बकाया उधारों और आन्तरिक ऋण में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी प्रदर्शित हुई, जबकि वर्ष 2010-14 तक केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋण और अग्रिम में घटती हुई प्रवृत्ति दर्शित हुई तथा इसके बाद वर्ष 2014-15 के दौरान पिछले वर्ष से ₹ 285 करोड़ बढ़ा। बाजार ऋण का अंश कुल उधारों से वर्ष 2010-11 के 51 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014-15 में 61 प्रतिशत हो गया। बाजार कर्ज ने पिछले वर्ष से 19.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करी जो कि वर्ष 2011-15 के दौरान औसत वृद्धि दर 18.3 प्रतिशत से अधिक थी।


### 1.11 राजकोषीय असंतुलन

तीन मुख्य राजकोषीय पैमाने - राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे एवं प्रारम्भिक घाटे, एक विशिष्ट अवधि के दौरान राज्य सरकार के वित्त प्रबन्धन में समग्र राजकोषीय असंतुलन की सीमा को इंगित करते हैं। सरकारी लेखों में घाटा, प्राप्तियों एवं व्यय के अन्तर को दर्शाता है। घाटे की प्रकृति, सरकार के राजकोषीय प्रबन्ध के विवेक की सूचक होती है। आगे, वह प्रवृत्ति जिससे घाटे को वित्त पोषित किया गया तथा संसाधनों को प्रयुक्त किया गया, राजकोषीय स्थिति के महत्वपूर्ण सूचक होता है। यह भाग इन घाटों को वित्त पोषित करने की प्रवृत्ति, प्रकृति, परिमाण एवं


तरीके और वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए एफआरबीएम अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत तय किये गये लक्ष्यों के समक्ष राजस्व एवं राजकोषीय घाटों के वास्तविक स्तरों के आंकलन को भी प्रस्तुत करता है।

### 1.11.1 घाटे की प्रवृत्ति

चार्ट 1.11 एवं 1.12, वर्ष 2010-15 की अवधि के दौरान घाटे के सूचकों की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करते हैं।



स्रोत: वित्त लेखे



स्रोत: वित्त लेखे

### 1.11.1.1 राजस्व अधिशेष घाटा

राजस्व अधिशेष राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के अन्तर को प्रदर्शित करता है। राजस्व अधिशेष उधार कम करने में सहायता करता है।

वर्ष 2013-14 में राज्य सरकार राजस्व अधिशेष (घाटे वाले) राज्य में परिवर्तित हो गया। वर्ष 2014-15 के दौरान, राजस्व घाटा (₹ 3,215 करोड़) पिछले वर्ष से ₹ 2,176 करोड़ बढ़ा। वर्ष 2014-15 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर 22.6 प्रतिशत के विरुद्ध राजस्व व्यय की वृद्धि दर 25.2 प्रतिशत थी। इस मामले की विस्तृत विवेचना अनुच्छेद 1.2.1 में की गयी है।

### 1.11.1.2 राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा सामान्यतः सरकार की वृद्धिजन्य देयताओं या इसके अतिरिक्त उधारों को प्रदर्शित करता है। घाटे की पूर्ति या तो अतिरिक्त लोक ऋणों (आन्तरिक या बाह्य) अथवा लोक लेखे की अधिशेष निधियों से की जा सकती है। घाटे की प्रवृत्ति के साथ राजकोषीय घाटे की प्रवृत्ति मुख्य घटकों के सापेक्ष तालिका 1.33 में दर्शायी गयी है:

तालिका 1.33: राजकोषीय घाटा तथा उसके पैमाने

(₹ करोड़ में)

अवधि	गैर-ऋण प्राप्तियाँ	कुल व्यय	राजकोषीय घाटा	राजकोषीय घाटा प्रतिशत के रूप में		
				जीएसडीपी	गैर-ऋण प्राप्तियाँ	कुल व्यय
2010-11	46,260	50,386	4,126	1.22	8.9	8.2
2011-12	58,256	61,882	3,626	0.88	6.2	5.9
2012-13	68,023	76,557	8,534	1.82	12.6	11.2
2013-14	74,797	89,986	15,189	2.93	20.3	16.9
2014-15	92,346	1,11,346	19,000	3.31	20.6	17.1

स्रोत: वित्त लेखे

राजकोषीय घाटा जीएसडीपी, गैर-ऋण प्राप्तियों तथा कुल व्यय से प्रतिशतता के रूप में 2011-12 में सबसे कम था। वर्ष 2014-15 के दौरान राजकोषीय घाटे में वृद्धि मुख्यतः पूँजीगत व्यय एवं राजस्व घाटे में वृद्धि के कारण हुई।

राजकोषीय घाटे की जीएसडीपी से प्रतिशतता 2.93 प्रतिशत (2013-14) से बढ़कर 3.31 प्रतिशत (2014-15) हो गयी, जो कि एफआरबीएम अधिनियम 2005 (संशोधित मार्च 2011 तथा सितम्बर 2011) में निर्धारित लक्ष्य 3 प्रतिशत से अधिक थी। वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक राजकोषीय घाटा एफआरबीएम अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित सीमा में रखने के पश्चात राज्य सरकार ने सीमा के पार कर लिया है।

### 1.11.1.3 प्राथमिक घाटा

जब राजकोषीय घाटा सामान्यतः अतिरिक्त स्रोत की आवश्यकता को प्रदर्शित करता है, तब ऐसे स्रोतों के एक हिस्से की ब्याज भुगतान के लिए आवश्यकता हो सकती है। ब्याज भुगतान पुराने दायित्वों के व्यय को प्रदर्शित करते हैं और चालू

आवंटित प्राथमिकताओं से स्वतंत्र होते हैं। असंतुलन की चालू प्रकृति देखते हुए, ऐसे भुगतानों को अलग करने और कुल असंतुलन में से कम करने की आवश्यकता होती है।

प्राथमिक अधिशेष 2011-12 तक कायम रखा गया था। प्राथमिक अधिशेष 2012-13 में पूँजीगत व्यय में वृद्धि हो जाने के कारण प्राथमिक घाटे में परिवर्तित हो गया। प्राथमिक घाटा 2013-14 में ₹ 6,126 करोड़ से 2014-15 में बढ़कर ₹ 8,537 करोड़ हो गया।

#### 1.11.1.4 गैर-आयोजना राजस्व घाटा

गैर-आयोजना राजस्व घाटा गैर-आयोजना राजस्व व्यय और राज्य के स्व-संसाधनों के अन्तर को प्रदर्शित करता है। वर्ष 2014-15 के दौरान, गैर-आयोजना राजस्व घाटा ₹ 15,196 करोड़ (गैर-आयोजना राजस्व व्यय का 22.6 प्रतिशत) तेरहवें-वित्त आयोग द्वारा गैर-आयोजना राजस्व आधिक्य हेतु किये गये मानक आंकलन ₹ 864 करोड़ (गैर-आयोजना राजस्व व्यय का 2.3 प्रतिशत) से अधिक था।

#### 1.11.2 राजकोषीय घाटे के घटक एवं उनके मद-वार वित्त पोषण का स्वरूप

वर्ष 2014-15 के दौरान प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ वर्ष 2009-10 से वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य के राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के प्रत्येक मद-वार निवल संवितरण/बहिर्गमन का तालिका 1.34 प्रस्तुत करती है।

#### तालिका 1.34: राजकोषीय घाटे के घटक एवं उनके मद-वार वित्त पोषण का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

		निवल संवितरण/बहिर्गमन					2014-15		
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	प्राप्तियाँ	संवितरण	निवल
<b>(अ) राजकोषीय घाटे का अपघटन</b>									
1	राजस्व घाटा/अधिशेष (-)	4,747	(-) 1,055	(-) 3,357	(-) 3,451	1,039	91,327	94,542	3,215
2	निवल पूँजीगत व्यय	5,166	5,238	7,103	10,675	13,654	15	16,103	16,088
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	386	(-) 57	(-) 120	1,310	496	1,004	701	(-) 303
	<b>योग (अ)</b>	<b>10,299</b>	<b>4,126</b>	<b>3,626</b>	<b>8,534</b>	<b>15,189</b>	<b>92,346</b>	<b>1,11,346</b>	<b>19,000</b>
<b>(ब) राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण का पैटर्न</b>									
1	बाजार से उधार	6,112	4,837	3,103	5,658	7,175	12,300	2,298	10,002
2	भारत सरकार से कर्ज	(-) 142	(-) 94	(-) 131	(-) 268	(-) 232	795	509	286
3	राष्ट्रीय अल्प बचत निधियों को जारी की गयी विशेष प्रत्याभूतियाँ	(-) 560	(-) 553	(-) 1,138	(-) 751	(-) 745	1,347	1,243	104
4	मार्गोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
5	वित्तीय संस्थाओं से कर्ज	442	470	594	610	4,178	3,699	910	2,789
6	अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	2,145	2,841	2,767	2,164	2,521	7,082	4,100	2,982
7	जमा तथा अग्रिम	1,274	885	1,096	3,416	(-) 421	1,07,067	1,05,658	1,409
8	उच्च एवं विविध	(-) 14	(-) 49	12	(-) 3	12	22	62	(-) 40
9	प्रेषण	(-) 1	-	-	29	(-) 6	10,487	10,488	(-) 1

(₹ करोड़ में)

		निवल संवितरण/बहिर्गमन					2014-15		
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	प्राप्तियाँ	संवितरण	निवल
10	आरक्षित निधियाँ	(-)1,761	(-) 485	1,020	781	267	1,724	1,752	(-) 28
	<b>योग (ब)</b>	<b>7,495</b>	<b>7,852</b>	<b>7,323</b>	<b>11,636</b>	<b>12,749</b>	<b>1,44,523</b>	<b>1,27,020</b>	<b>17,503</b>
11	रोकड़ शेष में वृद्धि (-)/कमी (+) (अ-ब)	2,804	(-)3,726	(-)3,697	(-)3,102	2,440			1,497
12	कुल घाटा (ब+11)	10,299	4,126	3,626	8,534	15,189			19,000

\* 2014-15 के प्राप्तियों एवं संवितरणों के योग के प्रकरणों में लागू नहीं है क्योंकि यह अ+ब का संचयी है एवं वास्तविक नकद शेष का सूचक नहीं है।  
स्रोत: वित्त लेखे।

राजकोषीय घाटा, राज्य की उधारों की कुल मांग है एवं यह राजस्व एवं गैर-ऋण प्राप्तियों की तुलना में, कर्जे एवं अग्रिम सहित राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय का आधिक्य है। राजकोषीय घाटे का अपघटन, राज्य द्वारा अपने राजस्व एवं गैर-ऋण प्राप्तियों के अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता को विभिन्न उधारों से पूरे करने की सीमा को प्रकट करता है।

राज्य सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे का मुख्य भाग निरन्तर बाजार के उधारों से पोषित किया जाता रहा। राजकोषीय घाटे के पोषण में इसका अंश वर्ष 2013-14 में 47 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014-15 में 53 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 19,000 करोड़ के राजकोषीय घाटे की पूर्ति, मुख्यतः बाजार से उधार (₹ 10,002 करोड़), वित्तीय संस्थाओं से कर्जे (₹ 2,789 करोड़), अल्प बचत, प्रावधायी निधि इत्यादि (₹ 2,982 करोड़), जमा एवं अग्रिम (₹ 1,409 करोड़) तथा रोकड़ शेष (₹ 1,497 करोड़) से हुई। बाजार से उधार तथा अल्प बचत, प्रावधायी निधि इत्यादि, भविष्य में ब्याज भार बढ़ाते हुए पिछले वर्ष से क्रमशः 19.5 प्रतिशत एवं 10.2 प्रतिशत वृद्धि से, बढ़े।

### 1.11.3 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात तथा प्राथमिक घाटे का प्राथमिक राजस्व घाटे एवं पूँजीगत व्यय (ऋण एवं अग्रिमों सहित) में संयोजन, राज्य वित्तीय घाटे की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात उस सीमा को प्रदर्शित करता है जिस तक उधार ली गयी निधियों का चालू उपभोग हेतु उपयोग किया गया। इसके अतिरिक्त, राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से निरन्तर उच्च अनुपात यह भी दर्शाता है कि राज्य का परिसम्पत्ति आधार लगातार कम होता जा रहा है तथा उधार के एक भाग (राजकोषीय देयतायें) के लिए पर्याप्त परिसम्पत्तियाँ उपलब्ध नहीं हैं।

प्राथमिक घाटे के विभाजन (तालिका 1.35) में घाटे की उस सीमा को दर्शाया गया है जो पूँजीगत व्यय, जो राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सुधार करने के लिए वांछित होगा, में वृद्धि के कारण है।



तालिका 1.35: प्रारम्भिक घाटा/अधिशेष-घटकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर ऋण प्राप्तियाँ	प्रारम्भिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्रारम्भिक व्यय	गैर-ऋण प्राप्तियाँ एवं प्रारम्भिक राजस्व व्यय का अन्तर	प्रारम्भिक घाटा (-)/ अधिशेष (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2010-11	46,260	37,504	5,251	262	43,017	(+) 8,756	(+) 3,243
2011-12	58,256	45,762	7,119	1,109	53,990	(+) 12,494	(+) 4,266
2012-13	68,023	55,122	10,683	2,412	68,217	(+) 12,901	(-) 194
2013-14	74,797	66,447	13,664	812	80,923	(+) 8,350	(-) 6,126
2014-15	92,346	84,079	16,103	701	1,00,883	(+) 8,267	(-) 8,537


स्रोत: वित्त लेखे।

वर्ष 2010-11 में प्राथमिक व्यय में पूँजीगत व्यय का अंश 12 प्रतिशत था जो कि वर्ष 2014-15 में बढ़कर 16 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2014-15 के दौरान गत वर्ष की तुलना में प्राथमिक व्यय में ₹ 19,960 करोड़ की बढ़ोतरी के समक्ष गैर-ऋण प्राप्तियाँ ₹ 17,549 करोड़ बढ़ी। इसके परिणामस्वरूप, प्राथमिक घाटे में ₹ 2,411 करोड़ की बढ़ोतरी हुई। प्रारम्भिक राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय में गत वर्ष की तुलना में क्रमशः ₹ 17,632 करोड़ (26.5 प्रतिशत) एवं ₹ 2,439 करोड़ (17.8 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि जमा तथा अग्रिमों में ₹ 111 करोड़ (13.7 प्रतिशत) की कमी हुई। वर्ष 2014-15 के दौरान प्रारम्भिक घाटे में परिणित होते हुए गैर-ऋण प्राप्तियाँ प्रारम्भिक व्यय से कम हुईं।

## 1.12 ऋण प्रबन्धन

### (i) ऋण प्रोफाइल

31 मार्च 2015 को राज्य ऋण का परिपक्वता प्रोफाइल निम्नानुसार है:



स्रोत: वित्त लेखे

**चार्ट 1.13** में दर्शाये गये आँकड़ों के अनुसार ₹ 7,290.35 करोड़ के ऋणों की परिपक्वता प्रोफाइल स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हुई। 1-3 वर्षों (₹ 10,724.56 करोड़), 3-5 वर्षों (₹ 18,517.05 करोड़) और 5-7 वर्षों (₹ 14,522.44 करोड़) की अवधि में अदायगियों के समूह बनाये गये। ऋण परिपक्वता प्रोफाइल के रूप में, वर्ष के अन्त में कुल लोक ऋण (₹ 33,310.77 करोड़) का लगभग 33 प्रतिशत 7 से 10 वर्ष की परिपक्वता अवधि से संबंधित था। सरकार को एक अच्छी सुविचारित ऋण अदायगी नीति यह सुनिश्चित करने हेतु, बनानी होगी कि कोई अतिरिक्त उधार जिनकी परिपक्वता इन आलोच्य वर्षों में हो, नहीं लिये जायेंगे।

**(ii) ऋण धारणीयता**

ऋण धारणीयता को एक समयावधि में ऋण-जीएसडीपी के अनुपात को स्थिर बनाये रखने की राज्य की योग्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है और जो उसके ऋणों को चुकाने की क्षमता को भी दर्शाता है। अतः ऋण की धारणीयता वचनबद्ध देयताओं को चुकाने के लिए तरल परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त उधारों की लागत का इन उधारों से प्राप्त प्रतिलाभ के साथ संतुलन बनाये रखने की क्षमता भी है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि, ऋण चुकाने की क्षमता में वृद्धि के सादृश्य होनी चाहिए। **तालिका 1.36** में वर्ष 2010-11 से प्रारम्भ पाँच वर्षों की अवधि के लिए राज्य के ऋण की धारणीयता का विश्लेषण इन सूचकों के अनुसार किया गया है।

**तालिका 1.36: ऋण की धारणीयता: सूचक एवं प्रवृत्तियाँ**

(₹ करोड़ में)

ऋण के धारणीयता के सूचक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
बकाया ऋण <sup>55</sup>	69,278	71,706	76,954	87,330	1,00,511
ऋण/जीएसडीपी (प्रतिशत में)	20.5	17.3	16.4	16.9	17.5
ऋण/राजस्व प्राप्ति (प्रतिशत में)	150.8	125.8	115.0	117.3	110.1
ब्याज अदायगियों का भार (ब्याज अदायगी/राजस्व प्राप्ति प्रतिशत)	16	14	12	12	11
गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अन्तराल)	6,173	500	(-) 4,908	(-) 6,655	(-) 3,811
उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता	383	(-) 617	2,908	3,038	7,236

राज्य का बकाया ऋण वर्ष 2009-10 में 69,278 करोड़ से 45 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2014-15 में 1,00,511 करोड़ हो गया ।

● **गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता**

ऋण की स्थिरता एवं इसकी धारणीयता के लिए राज्य की वृद्धिजन्य गैर-ऋण प्राप्तियाँ, वृद्धिजन्य ब्याज देयताओं एवं वृद्धिजन्य प्रारम्भिक व्यय की पूर्ति के लिए

<sup>55</sup> इसमें आन्तरिक ऋण तथा भारत सरकार से कर्जे एवं अग्रिम सम्मिलित है।

पर्याप्त होनी चाहिए। ऋण धारणीयता पर्याप्त रूप से सुसाध्य हो सकता है यदि वृद्धिजन्य गैर-ऋण प्राप्तियों से वृद्धिजन्य ब्याज देयताएँ तथा वृद्धिजन्य प्राथमिक व्यय की पूर्ति हो सके।

वर्ष 2012-15 के पर्यन्त ऋणों की अधारणीयता इंगित करते हुए सतत् ऋणात्मक गैर-ऋण प्राप्ति (संसाधन अंतर) अन्तर ऋणात्मक रहा।

- **उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता**

उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता को ऋण मोचन (मूलधन + ब्याज अदायगी) की कुल ऋण प्राप्तियों से अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है तथा यह ऋण प्राप्तियों की उस मात्रा, जिस तक ऋण प्राप्तियाँ ऋण मोचन में उपयोग में आयी है, को इंगित करता है।

ब्याज एवं अदायगी का प्रावधान करने के पश्चात उधारों से उपलब्ध निवल कोष वर्ष 2013-14 में ₹ 3,038 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 7,236 करोड़ हो गया।

#### **ब्याज भार**

ब्याज अदायगियों का राजस्व से अनुपात राज्य की ऋण की धारणीयता को सुनिश्चित करता है। वर्ष 2014-15 के दौरान ब्याज अदायगियों राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 11 प्रतिशत थीं।

### **1.13 निष्कर्ष एवं सिफारिशें**

निरन्तर दूसरे वर्ष के लिए भी, राज्य सरकार राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (एफआरबीएम) अधिनियम में प्रतिपादित शून्य राजस्व घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ रही। वर्ष 2014-15 के दौरान, राजस्व घाटा वर्ष 2013-14 के ₹ 1,039 करोड़ से बढ़कर ₹ 3,215 करोड़ हो गया। राज्य सरकार राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 3 प्रतिशत के भीतर रखने में विफल रही जैसाकि एफआरबीएम अधिनियम में दिया गया है तथा वर्ष 2014-15 के अंत तक, राजकोषीय घाटा ₹ 19,000 करोड़ (जीएसडीपी का 3.31 प्रतिशत) था। इसके आगे, प्रारम्भिक घाटा (₹ 8,537 करोड़) भी गत वर्ष की तुलना से ₹ 2,411 करोड़ बढ़ा।

वर्ष 2014-15 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा बजट अनुमानों में ₹ 738 करोड़ के राजस्व अधिशेष को प्राप्त करने के परिप्रेक्ष्य में, राजस्व व्यय के लिए ₹ 1,05,387 करोड़ तथा राजस्व प्राप्तियों के लिए ₹ 1,06,125 करोड़ अनुमानित किये गए। यह पाया गया कि वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय ₹ 94,542 करोड़ (अनुमानों से 10.3 प्रतिशत कम) एवं वास्तविक प्राप्तियाँ ₹ 91,327 करोड़ (अनुमानों से 13.9 प्रतिशत कम) रही, जिससे राजस्व घाटा हुआ। बकाया ऋण में गत वर्षों से तीव्र वृद्धि

हुई, जो वर्ष 2010-11 के अंत से ₹ 99,285 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 के अंत तक ₹ 1,47,609 करोड़ हो गया जोकि वर्ष 2014-15 में प्रतिशतता के रूप में जीएसडीपी का 25.7 प्रतिशत था तथा यह एफआरबीएम अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित 36.5 प्रतिशत के लक्ष्य के भीतर था। तथापि, वार्षिक वृद्धिजन्य उधार (₹ 17,699 करोड़) भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा (₹ 17,035 करोड़) से अधिक थे।

राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2010-11 के ₹ 45,928 करोड़ से वर्ष 2014-15 में ₹ 91,327 करोड़ भारी वृद्धि के साथ बढ़ी। राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर गत वर्ष के 11.3 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान 22.6 प्रतिशत (₹ 16,856 करोड़) थी। यह वृद्धि मुख्यतः भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान में गत वर्ष के 21.9 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2014-15 में 124.2 प्रतिशत (₹ 10,863 करोड़), भारत सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुसार केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत राज्य की समेकित निधि के माध्यम से कार्यकारी अभिकरणों को उल्लेखनीय निधियों के हस्तांतरण के कारण से रही। राजस्व प्राप्तियों में कर-राजस्व का हिस्सा वर्ष 2010-11 के 45.2 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014-15 में 42.3 प्रतिशत रह गया।

यद्यपि, राज्य का समग्र राजस्व व्यय वर्ष 2010-11 के 44,873 करोड़ से 111 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 94,542 करोड़ हो गया, जबकि इसका कुल व्यय में हिस्सा 89.1 से गिरकर 84.9 प्रतिशत हो गया। तथापि, राजस्व व्यय में गत वर्ष के 19 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो व्यय पर नियंत्रण में कमियों को इंगित करती है। आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय वर्ष 2010-11 के ₹ 36,121 करोड़ के उस अवधि की तुलना में 2014-15 में ₹ 67,098 करोड़ समान रूप से बढ़ा एवं गत वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत वृद्धि के बाद राजस्व व्यय का 71 प्रतिशत रहा। वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन एवं सहाय्य का व्यय 2010-11 के ₹ 29,317 करोड़ से 78 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 52,216 करोड़ हो गया। चालू वर्ष के दौरान, इसमें गत वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

***इच्छित सीमाओं के भीतर राजकोषीय परिमाणों से समाहित प्राप्तियों एवं व्ययों के अनुमान अधिक वास्तविक होने चाहिए एवं राज्य सरकार का यह प्रयास होना चाहिए कि व्यय को बजट अनुमानों के भीतर ही रखें। व्यय पर नियमित नियंत्रण एवं प्राप्तियों का प्रबन्धन आवश्यक है।***

सरकार द्वारा विशिष्ट कार्यों एवं उद्देश्यों के लिये विभिन्न प्रकारों के उपकर लगाये गए हैं। इनकी पारदर्शिता के उद्देश्य से, इनके आगमों को चिह्नित निधि को हस्तांतरित किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न उद्देश्यों हेतु लगाये गये उपकर को लागू करने एवं अनुसरणीय कार्यवाही में अनियमितताएँ पाई गईं।

बजट उद्घोषणा वर्ष 2008-09 में लगाये गये पर्यावरण एवं स्वास्थ्य उपकर के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 तक ₹ 300.51 करोड़ एकत्रित किये गए। तथापि, वर्ष

2012-13 तक इन्हें समेकित निधि से लोक लेखे में हस्तांतरित नहीं किया गया एवं वर्ष 2014-15 के अन्त तक मात्र ₹ 51.58 करोड़ व्यय किये गए।

राजस्थान भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा की शर्तें अधिनियम) नियम, 2009 के अन्तर्गत राजस्थान भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार निधि स्थापित की गई थी तथा राज्य सरकार द्वारा ₹ 942.66 करोड़ एकत्रित किये गए। तथापि वर्ष 2010-15 के दौरान मात्र ₹ 70 करोड़ व्यय किये गए। इन वर्षों में राज्य सरकार द्वारा मण्डल को उपकर का हस्तांतरण निर्धारित अवधि के बाद भी किया गया।

‘राजस्थान वित्त अधिनियम, 2009’ के माध्यम से जल संरक्षण उपकर लगाया गया। वर्ष 2009-15 की अवधि के दौरान, तीन विद्युत् वितरण कम्पनियों द्वारा उपकर के रूप में ₹ 841.82 करोड़ वसूले गए। तथापि, इसमें से ना तो निधि बनाई गई ना ही व्यय किया गया।

विभिन्न उपकरों की प्राप्तियों को लम्बी अवधि तक समेकित निधि/लोक लेखे में रखना राजस्व व्यय एवं राजस्व घाटे को कम करके दिखाने में परिणित हुई।

**राज्य सरकार को उपकर की उचित वसूली एवं इसे समय पर चिह्नित निधियों में हस्तांतरण तथा वांछित उद्देश्यों के लिए इनका उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।**

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि के विक्रय, नियमितीकरण एवं भूमि रूपान्तरण तथा नगरीय निर्धारण शुल्क के माध्यम से समेकित निधि में जमा कराये गए राजस्व के साथ ही जयपुर विकास प्राधिकरण के वार्षिक लेखों की समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य की समेकित निधि में सम्बन्धित शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 230.17 करोड़ कम जमा कराये गए। यह राजस्थान सरकार (राजस्व विभाग) के आदेश (8 दिसम्बर 2010) तथा नगरीय आवास एवं विकास विभाग के आदेशों (31 मई 2012 एवं 21 जून 2012) का उल्लंघन था, जिसके अनुसार भूमि के विक्रय के अन्तर्गत वसूले गए राजस्व का 20 प्रतिशत, नियमितीकरण एवं रूपान्तरण शुल्क के अन्तर्गत वसूले गए राजस्व का 40 प्रतिशत तथा नगरीय निर्धारण शुल्क के अन्तर्गत वसूले गए राजस्व का 60 प्रतिशत, सरकारी लेखों के सम्बन्धित शीर्षों में जमा कराया जाना चाहिये था।

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के अतिरिक्त तकनीकी मार्गदर्शन एवं अधीक्षण (टीजीएस) का कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपा गया (फरवरी 2011 में)।

टीजीएस के अनुसरण में, हमारे द्वारा सभी स्थानीय निकायों के लेखों को तैयार करने और उनके प्रमाणीकरण की स्थिति की समीक्षा की गई। यह पाया गया कि मार्च 2015 तक, राजस्थान पंचायती राज नियमों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के लेखे मुख्यतः पारम्परिक प्रारूपों में रखे जा रहे थे। राज्य सरकार अप्रैल 2011 से, भारत सरकार के निर्देशानुसार, साधारण लेखांकन प्रारूप 2009 के अनुसार लेखों

का संधारण, प्रतिरूप लेखांकन पद्धति 'पंचायती राज संस्थान लेखांकन सॉफ्टवेयर (पी आर आई ए सॉफ्ट)' में करने में विफल रही। नगरीय स्थानीय निकायों में लेखांकन की उपार्जित पद्धति में परिवर्तन की स्थिति स्पष्ट एवं जाँचने योग्य नहीं पाई गई थी।

टीजीएस में पाया गया कि विभिन्न स्थानीय निकायों यथा पंचायती राज संस्थानों, नगरीय स्थानीय निकायों, जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मण्डल आदि के लेखे, निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा सामान्य रूप से प्रमाणित नहीं किये जा रहे थे।

**स्थानीय निकायों में लेखांकन पद्धति का सुदृढीकरण होना चाहिए। राज्य सरकार को लेखों को समय पर तैयार करने एवं प्रस्तुत करने तथा उनका प्रमाणीकरण सुनिश्चित करना चाहिये।**

तेरहवें वित्त आयोग (2010-15) की सिफारिशों के अनुसरण में, भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को ₹ 12,950 करोड़ का सहायतार्थ अनुदान आवंटित किया गया। तथापि, वास्तविक जारी राशि ₹ 12,270.80 करोड़ के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा ₹ 12,352.66 करोड़ का व्यय किया गया। पाँच विभाग (सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, गृह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, विधि एवं विधिक मामलात, तथा जल संसाधन विभागों) जो उल्लेखनीय सहायतार्थ अनुदान प्राप्त कर रहे थे, के दस्तावेजों की नमूना जाँच में ₹ 539.32 करोड़ के अनुदानों से वंचित रहने/अप्राप्ति सहित इनके जारी करने एवं उपयोग में अनियमितताएँ पाई गईं।

**राज्य सरकार को भारत सरकार द्वारा वित्त आयोग के अधीन जारी किये जाने वाले अनुदानों एवं उनके उपयोग में अनुश्रवण कर अधिक तत्परता से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुदानों का उपयोग वांछित उद्देश्यों हेतु समय पर एवं प्रभावी रूप से किया जा रहा है।**

वर्ष 2014-15 के दौरान, सरकार द्वारा ₹ 4,391.59 करोड़ सरकारी कम्पनियों, सांविधिक निगमों एवं सहकारी संस्थाओं आदि में निवेश किया गया। इसमें से, ₹ 3,959.21 करोड़, हानि उठा रहे पाँच सांविधिक निगमों/सरकारी कम्पनियों; चार विद्युत् कम्पनियों तथा राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम को सम्मिलित करते हुये, निवेशित किये गये। यद्यपि, गत पाँच वर्षों के दौरान, राज्य सरकार द्वारा ₹ 18,376.02 करोड़ निवेशित किये गये, सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों में किये गये निवेश पर औसत प्रतिलाभ 0.5 प्रतिशत से कम रहा। जबकि, सरकार द्वारा वर्ष 2010-15 के दौरान अपने उधारों पर 7.7 प्रतिशत का औसत ब्याज चुकाया।

**राज्य सरकार के लिये यह परामर्श होगा कि निवेश किये गये धन की उचित प्राप्ति सुनिश्चित करे, अन्यथा उच्च लागत पर ली गई उधार निधियाँ, कम वित्तीय प्रतिफल वाली परियोजनाओं में, लगातार निवेशित होती रहेगी।**